अंक १

संख्या १

मंगलवार,
१६ फरवरी, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक १ में संख्या १ से संख्या २५ तक हैं)

भाग १—प्रश्नोत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १—४२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४२—४८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।
(मूल्य ४ आने)

688 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, १६ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री जी० वी० मावलंकर) पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात मूल्य

*१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बनाये गये इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

(ख) १९३९, १९४६, १९४७, १९४९ तथा १९५२ में ऐसे इस्पात के प्रति टन मूल्य क्या थे तथा वर्तमान मूल्य क्या हैं ? प्रत्येक दशा में प्रति टन उत्पादन-लागत क्या थी ?

(ग) यह विषय जांच के लिये तटकर आयोग के समक्ष कैसे आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग). कम्पनी ने अभ्यावेदन किया था कि कच्चे माल के मूल्यों, मजूरी तथा किराये में वृद्धि होने के कारण उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है । अतः सरकार ने उनका मामला तटकर आयोग को भेज दिया था कि वह कम्पनी की लागत की विस्तृत जांच पड़-ताल करे तथा उचित प्रतिधारण मूल्यों के सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें दे। तटकर आयोग की सिफ़ारिशों का ध्यान रखते हुये, सरकार ने पिछली बार निर्धारित किये प्रतिधारण मूल्यों में उचित बृद्धि की अनुमति दे दी थी ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनु-बन्ध संख्या १**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मैसूर आइरन फैक्टरी के इस्पात का मूल्य टाटा इस्पात की अपेक्षा अधिक था, तथा इसके परिणाम स्वरूप ही मूल्य में बृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तथा द्वितीय भाग का उत्तर नकारात्मक है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इसका क्या कारण है कि इस्पात का मूल्य १९४६ के पश्चात् दुगना या तिगना हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तिगुना नहीं हुआ है । यह अभी दुगना भी नहीं हुआ है । परन्तु उत्पादन लागत में बृद्धि हो गई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : निर्माण पर विवरण के अनुसार, १९२ रु० १३ आ० व्यय होता है जबकि प्रतिधारण-मूल्य ३३१ रु० है। १३८ रु० ३ आ० प्रति टन की इस वृद्धि का हम क्या कारण मानें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्माण-मूल्य उत्पादन मूल्य है परन्तु इसमें अव-मूल्यन, ब्याज, पूंजी पर लाभ, प्रबन्ध तथा समस्त ऊपरी व्यय सम्मिलित नहीं है। अतः इस में विषमता है।

श्री हेडा : क्या यह सच है कि निर्माण-शाला-मूल्य तथा बाजार-मूल्य में लगभग २०० रु० प्रति टन का अन्तर है, अथवा लागत-मूल्य के लगभग ४० प्रति शत का ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सच नहीं है। मूल इस्पात अर्थात् 'व्यापारी इस्पात' के मूल्य में निम्न अंतर है :–

टाटा का प्रतिधारण मूल्य ३३१ रु० है तथा बाज़ार मूल्य ३९३ रु० हैं।

सूती कपड़ा उद्योग

*३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी समिति ने, जिसके सभापति श्री नित्यानन्द कानूनगो हैं, सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; तथा

(ख) यदि नहीं तो, कब तक इसके प्रस्तुत होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान्। आशा है कि यह चालू वर्ष के मध्य से पूर्व प्राप्त हो जायेगा।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने में देर होने का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समितियां नियुक्त की जाती हैं तथा काम होता है। उन्हें बहुत से आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं। इस विशेष मामले में, समिति को अपने प्रतिवेदन का आधार स्थापित करने के लिये सांख्यकीय आंकड़ों के सम्बन्ध में काफ़ी जांच पड़ताल करनी पड़ी थी। सांख्यकीय आंकड़ों के एकत्रित करने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या हम इस सत्र के अन्त तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की अपेक्षा कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे आशा है कि यह अपेक्षा पूर्ण हो जायेगी।

सस्ता फर्नीचर

*५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सस्ते फर्नीचर के नमूनों की स्पर्धा हुई थी ;

(ख) उसमें कितनों ने भाग लिया ;

(ग) कौन सा नमूना मान्य स्तर के अनुसार था ;

(घ) क्या कोई पारितोषिक दिया गया था ; तथा

(ङ) यदि हां, तो किस स्पर्धाकारी ने पारितोषिक प्राप्त किया ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्, सस्ते कर प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्पर्धा हुई थी।

(ख) आठ।

(ग) से (ङ) तक। निर्णय कारियों का मत था कि प्रस्तुत नमूनों में से कोई भी नमूना इतना अच्छा नहीं था कि उसे राष्ट्र

पति के स्वर्ण पदक के योग्य समझा जाय। श्रीमती उर्मिला ई० चौधरी द्वारा रखा गया नमूना, प्राप्त नमूनों में सर्वोत्तम समझा गया तथा उन्हें राष्ट्रपति का रजत पदक दिया गया।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि सस्ते फर्नीचर को लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार क्या पग उठायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसे प्रोत्साहन देकर।

नेपाल को नालीदार चादरों का निर्यात

*६. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की किसी फर्म को १९५२-५३ या १९५३-५४ में नेपाल को नालीदार चादरों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां तो, निर्यात की मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है ;

(ग) क्या इस कर्म के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इसमें नालीदार चादरों के निर्यात में बेईमानी की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्। कलकत्ता की एक से अधिक फर्मों को निर्यात की अनुमति दी गई थी।

(ख)	मात्रा	लगभग मूल्य
	टन	रुपया
१९५२-५३	३०१	१,९५,६५०
१९५३-५४	४८७·५	३,१६,९००

(ग) जिन फर्मों को निर्यात अनुज्ञायें दी गई थीं उनमें से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा गया है तथा पत्र की एक प्रति सारे दल नेताओं को भेजी गई है ? यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को भी भेजी गई है। पत्र की एक प्रति मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : पत्र भेजा गया होगा, परन्तु यह पूछने का अभिप्राय क्या है ?

श्री नानादास : बात यह है कि माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें कलकत्ता से किसी भी कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु यह वह पत्र है जो मुझे प्राप्त हुआ है तथा इसमें शिकायत की गई है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें बिना हस्ताक्षर की शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा कुछ जांच पड़ताल की जाती है। यदि प्रसंग किसी बिना हस्ताक्षर की शिकायत का है तो, मुझे यह स्वीकार करना चाहिय। परन्तु ऐसी कोई भी लिखित शिकायत, जिस पर किसी के हस्ताक्षर हों, प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नानादास : यह बिना हस्ताक्षर के नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चाहे कुछ हो। माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्हें बिना हस्ताक्षर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हो सकता है कि यह शिकायत जो माननीय सदस्य के पास है, उन्हें प्राप्त न हुई हो।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि प्रायः किन किन रेलवे स्टेशनों से लोहे की चादरें नेपाल को भेजी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चादर बनाने वाले कारखानों के क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों से।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार तथा नेपाल सरकार इस इस्पात के परिवहन पर कोई शुल्क लगाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक नेपाल सरकार का सम्बन्ध है, मैं सूचना देने में असमर्थ हूं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हम इस्पात के निर्यात पर शुल्क लगाते थे, परन्तु हम ने उन वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क नहीं लगाया जो देश से भूमि द्वारा गई हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार को विदित है कि भारत में नालीदार चादरों की कमी है तथा वे बाजार में प्राप्य नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह हो सकता है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि जस्त का पानी चढ़ी हुई नाली दार चादरें प्रायः पूर्वी पाकिस्तान को चोरी से भेजी जाती हैं ? क्या उन्हें यह विदित है कि नेपाल के लिये नियत कुछ मात्रा कलकत्ता में चोर-बाजार में बेची जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नेपाल के लिये नियत मात्रा के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया है तथा मामले की जांच पड़-ताल हो रही है। इस सामान्य बात के विषय में कि इन चादरों को चोर बाजार में बेचा जाता है, यह विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर है। कभी मांग कम होती है तथा माल चोर बाज़ार में नहीं बेचा जाता है। कभी मांग अधिक होती है तथा कदाचित माल चोर बाज़ार में बेचा जाता है।

पंचायतें तथा सहकारी संस्थायें

***८. श्री झूलन सिन्हा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा ग्राम पंचायतें तथा सहकारी संस्थाओं के छोटे स्तर पर सिंचाई तथा अन्य विकास कार्य में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई हैं, उन्हें देश में किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

श्री झूलन सिन्हा : क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश भेजे हैं ?

श्री नन्दा : जी हां।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : निदेश क्या है ?

अध्यक्ष महोदय मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

विदेशों में प्रचार

***९. श्री एस० एन० दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य उपमंत्री ने अपने पश्चिमी तथा मध्य-पूर्वी देशों के भ्रमण के दौरान में भारत की विदेशों में प्रचार सम्बन्धी समस्याओं का विशेष अध्ययन किया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन उपायों के किये जाने का सुझाव दिया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) इन देशों के भ्रमण के दौरान में उपमंत्री महोदय ने वहां पर स्थित भारतीय दूतावासों के काम को जिसमें प्रचार विभाग का काम भी शामिल है, ध्यान पूर्वक देखा था।

(ख) उनके निष्कर्षों पर जिन्हें सूचित किया जा रहा है, पूरा पूरा विचार किया जायेगा जिससे विदेशों में किये गये प्रचार कार्य में सुधार किया जा सके।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस अध्ययन से संगठन या प्रचार के तरीकों तथा साधनों के सम्बन्ध में कोई त्रुटियां ज्ञात हुई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अनुभव करता हूं कि यदि हम विदेशों में प्रभावी प्रचार करना चाहते हैं तो हमें बहुत अधिक धन व्यय करना होगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उन सुझावों पर जिन्हें कार्यान्वित करने का विचार किया गया है, इस समय की अपेक्षा अधिक व्यय होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे संशय है कि किसी भी प्रकार के सुधार के कारण कुछ अतिरिक्त व्यय को करना ही होगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सुझावों के कार्यान्वित किये जाने की दशा में इस विभाग में कर्मचारियों को बढ़ाना होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : निस्सन्देह मैं कर्मचारियों की संख्या के बढ़ाये जाने के पक्ष में हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय उपमंत्री ने इस समस्या का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ? क्या उन्होंने दूसरे देशों के कार्यों को देखकर इस समस्या को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया है अर्थात् क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है कि पाकिस्तान किस प्रकार का प्रचार कर रहा है तथा कितने धन के व्यय से ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

निर्यात तथा आयात मंत्रणा बोर्ड

*१०. **श्री केशवैयंगार :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा (१) निर्यात तथा (२) आयात के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये बोर्डों तथा समितियों के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) उनकी नियुक्ति या नामीकरण किस आधार पर किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इस समय ऐसी तीन समितियां हैं, अर्थात् :

(१) आयात मंत्रणा परिषद्

(२) निर्यात मंत्रणा परिषद्

(३) रूई आयात मंत्रणा समिति

तीनों समितियों के सदस्यों की एक सूची संलग्न की जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]

(ख) विभिन्न सम्बद्ध हितों के प्रतिनिधान को जिनके साथ संतुलित प्रादेशिक वितरण की आवश्यकता और दर्मियाने व छोटे व्यापारियों तथा इन नियंत्रणों के कार्यान्वित होने से सब से अधिक प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को विचाराधीन रखा गया है ।

रूई आयात मंत्रणा समिति के सदस्य व्यापार तथा आयोग से लिये गये हैं तथा अपने अपने क्षेत्र में विस्तृत अनुभव के आधार पर चुने गये हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई सदस्य किसानों का भी प्रतिनिधित्व करता है तथा, यदि करता है तो वह कौन हैं ?

श्री करमरकर : विशेषत: कृषि का तो नहीं जहां तक मैं देखता हूं । आप किस समिति के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री एन० एल० जोशी : आयात तथा निर्यात समितियों के बारे में ।

श्री करमरकर जैसा कि मैंने निवेदन किया, इन सदस्यों को कर्मचारी वर्ग,

व्यापार तथा आयोग, उपभोक्ताओं तथा संसद-सदस्यों में से चुना गया है ।

विस्थापित विद्यार्थी

*११. **श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्थापित विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता के निमित्त कोई योजना है ; तथा

(ख) यदि है तो सरकार ने इस योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में ५७,८३,७०० रुपये की मंजूरी दी गई है । पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि इस पर अभी तक कुल कितने धन का व्यय किया गया है ? उत्तर केवल चालू वर्ष के लिये स्वीकृत धन राशि के सम्बन्ध में है ।

श्री जे० के० भोंसले : प्रति वर्ष आय-व्ययक एक करोड़ रुपये का है । पिछले तीन वर्षों से हम इतनी ही धन-राशि व्यय करते आ रहे हैं ।

श्री राधा रमण : क्या मैं इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में बतला रहा हूं—संख्या १,५०,००० से अधिक है ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह निश्चय कर सकी है कि यह सहायता कितने समय तक दी जायेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : हम आशा करते हैं कि १९५६ तक सारा उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्यों द्वारा ले लिया जायगा ।

श्री एस० सी० देव : क्या मैं राज्यवार आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : इस वर्ष हमने बम्बई को ८ लाख रुपये, पंजाब को २० लाख रुपये, मद्रास को १५,००० रुपये, उत्तर प्रदेश को १० लाख रुपये, मध्य प्रदेश को १,१५,००० रुपये, पेप्सू को ३ लाख रुपये, राजस्थान को ३ लाख रुपये, मध्य भारत को ३०,००० रुपये, सौराष्ट्र को ७०,००० रुपये, हैदराबाद को ५,००० रुपये, दिल्ली को १० लाख रुपये, अजमेर को ६०,००० रुपये, भोपाल को ३५,००० रुपये, कच्छ को १२,००० रुपये, मैसूर को १५,००० रुपये, विन्ध्य प्रदेश को १०,००० रुपये, हिमाचल प्रदेश को १०,००० रुपये तथा बिलासपुर को ७०० रुपये दिये हैं ।

कोक भट्टी संयन्त्र

*१३. **श्री एस० सी० सामन्त** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी में एक कोक भट्टी संयत्र की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) संयत्र की स्थापना सम्बन्धी कार्य करने वाले सार्थ का नाम;

(ग) इस कार्य का ठेका दिये जाने की तिथि, तथा किस दिनांक को सार्थ के साथ किये गये इस ठेके पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये गये ;

(घ) इस क़रार के पक्षों के नाम क्या हैं ;

(ङ) किस तिथि से इस संयत्र द्वारा उत्पादन कार्य आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है ; तथा

(च) इस समय प्रदाय के स्रोत ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) कार्य अनुसूचि के अनुसार चल रहा है ।

(ख) मैसर्स कार्ल स्टिल, जी० एम० बी० एच० रैकलिंघ हौसन, पश्चिमी जर्मनी ।

(ग) सार्थ को १ अगस्त , १९५२ को कार्य आरम्भ करने का अनुदेश दिया गया था तथा औपचारिक क़रार पर १९ दिसम्बर, १९५३ को हस्ताक्षर किये गये थे ।

(घ) मैसर्स सिन्दरी फर्टेलाइज़र्ज़ एन्ड कैमीकल्स लिमिटेड, सिन्दरी; तथा मैसर्स कार्ल स्टिल, पश्चिमी जर्मनी ।

(ङ) मध्य अगस्त, १९५४ के लगभग ।

(च) इस समय कोक मैसर्स इन्डियन स्टील कम्पनी से लिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं इस संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी इस समय के व्यय को जान सकता हूं तथा क्या बाद में यह व्यय कुछ और हो जायगा ?

श्री आर० जी० दुबे : संभावित व्यय २३५ लाख रुपये है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या उपोत्पादों को प्राप्त करने का कोई उपबन्ध है; यदि ऐसा है तो वे क्या हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी इस पर विचार नहीं किया गया है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : श्रीमान्, क्या मैं बता सकता हूं कि कुछ उपोत्पादों को प्राप्त करने का विचार किया गया है ——मैं तत्काल तो उनके नाम बता नहीं सकता हूं——तथा बाद में अन्य अन्य उपोत्पादों को जो पहले से ही कार्यक्रम में शामिल नहीं किये गये हैं, प्राप्त करने के उपाय किये जायंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस संयंत्र द्वारा उत्पादन के पूर्ण रूप से कार्य आरम्भ कर दिये जाने की दशा में कुल कितना कोक तैयार हो सकेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : प्रत्याशित सामर्थ्य ६०० टन प्रति दिन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह परिमात्रा सिन्दरी फैक्टरी के लिये काफ़ी होगी अथवा हमें दूसरे स्रोतों से भी कुछ मात्रा प्राप्त करनी होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : यह काफी रहेगा ।

चाय

*१४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में प्रति-वर्ष उत्पादित चाय की मात्रा ;

(ख) निर्यातित मात्रा ;

(ग) भारत में बेची गई मात्रा ; तथा

(घ) भारत में चाय के आन्तरिक उपयोग का प्राक्कलन ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १,अनुबन्ध संख्या ३]**

(ग) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) लगभग १७०० लाख पौंड ।

श्री एन० एम० लिंगम : विवरण से पता चलता है कि उत्पादन क्रमशः कम हो रहा है । क्या सरकार ने इस कमी के कारणों की जांच की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि गत वर्ष कम मूल्यों के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस का एक कारण यह बताया गया था कि चाय निकृष्ट प्रकार की थी ; उसमें बहुत सी डांठें थीं। स्वाभाविकतः बागान-स्वामियों ने इस वर्ष छांट छांट कर पत्तियां तोड़ीं और उनके संगठनों ने कुछ हद तक स्वेच्छापूर्ण नियंत्रण अपने आप पर लागू किये इसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन में स्वल्प कमी हुई है।

श्री एन० एम० लिंगम : एक ओर बढ़ता हुआ निर्यात एवं आंतरिक उपयोग के लिए बढ़ती हुई मांग और दूसरी ओर घटता हुआ उत्पादन, इन दोनों के बीच की खाई को मिटाने के लिए क्या करने का सरकार का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी राय है कि माननीय सदस्य ने समस्या को यथार्थ रूप में सामने रखा है। हम इसी कोशिश में हैं कि इस खाई को किस प्रकार मिटाया जाय।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को विदित है कि अभी चाय की संसार में कमी है और हम अन्य देशों के समान, विशेषतः श्रीलंका के समान संसार की मांग को पूरी करने के लिये आगे नहीं बढ़ रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं कहूंगा कि यह बात बिल्कुल सही है। चाय के उपयोग में अनेक कारणोंवश वृद्धि हो गई है जैसे कि इंगलिस्तान में चाय के राशन का हट जाना तथा इंगलिस्तान के चाय संचय का २००० लाख पौंड से १००० लाख पौंड तक हुआ संकोच। मैं नहीं मानता कि इसके लिए दिय गये अन्य कारण सही हैं—कम से कम मैं नहीं कह सकता कि वे सही हैं।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जो चाय उत्पादन में भारत के साथ स्पर्धा करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बात को तो सब लोग जानते हैं : श्रीलंका ; कुछ हद तक इण्डोनेशिया ; पाकिस्तान ; और अब पूर्वी अफ्रीका भी इस क्षेत्र में चंचु-प्रवेश कर रहा है।

पटसन जांच आयोग

*१५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं की विक्रय-प्रथाओं की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्या सिफारिशें क्या हैं ; तथा

(ग) इस आयोग पर अब तक किया गया कुल व्यय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ८ फरवरी, १९५४ तक लगभग २२००० रुपये।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या आयोग द्वारा कोई अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमने केवल अन्तिम प्रतिवेदन ही मांगा है।

कोयला

*१६. **श्री पी० सो० बोस** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में प्रतिवर्ष निर्यातित कोयले की कुल मात्राएं ;

(ख) जिन स्थानों को कोयला भेजा गया उनके नाम ; तथा

(ग) क्या भारत सरकार को सूचना देकर या बिना सूचना दिये, उक्त स्थानों से कोयले का पुनर्निर्यात किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) भारत सरकार को सूचना देकर किसी कोयले का पुनर्निर्यात नहीं हुआ है और न ऐसे किसी पुनर्निर्यात की जानकारी हमें मिली है ।

श्री पी० सी० बोस : विवरण में बताया गया है कि १९५२ में ३३००००० टन कोयला निर्यात हुआ जब कि १९५३ में १९००००० टन। इस आकस्मिक कमी का क्या कारण है ?

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, वर्ष १९५१ तथा १९५२में परिस्थितियां असाधारण थीं । उदाहरण के तौर पर, इंगलिस्तान तथा युरोप में कोयले की कमी थी ; दक्षिण अफ्रीका में भी परिवहन की अड़चनें उपस्थित हुई थीं। इसीलिए १९५१-५२ में असाधारण वृद्धि हुई थी। किन्तु १९५३ में ये परिस्थितियां समाप्त हो गईं।

श्री पी० सी० बोस : क्या यह मान लिया जाय कि १९५२-५३ के आंकड़े ही औसत आंकड़े हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य का ध्यान १९५० के आंकड़ों की ओर आकर्षित करता हूं । यदि १९५० के आंकड़ों की १९५३ के आंकड़ों से तुलना की जाए तो वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या कोयले के पुर्निर्यात के बारे में तथ्य मालूम करने की कोई व्यवस्था विद्यमान है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मुझे विदित है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

नारियल की जटा का सामान

*१८. **श्री बालमीकि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कहां कहां और कितने कितने मूल्य की नारियल की जटा की चटाइयां और सुतली निर्यात की गई ; तथा

(ख) कौनसा देश सब से अधिक नारियल की जटा का सामान आयात करता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रख जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनु संख्या ५]**

(ख) इंगलिस्तान ।

श्री बालमीकि : इस सामान के बारे में कुछ देशों की शिकायतें आई हैं । तो क्या इस जटा के बने हुए सामान की क्वालिटी को बढ़ाने के लिये कुछ किया गया है ?

श्री करमरकर : उसके बारे में कोई शिकायत नहीं आ रही है ।

श्री बालमीकि : सन्, १९५२-५३ में ४५४ लाख का सामान बाहर गया जबकि १९५३-५४ में ३५८ लाख का ही गया । यह कमी क्यों हुई ?

श्री करमरकर : यह ठीक है, क्योंकि बाहर से उन्होंने सामान नहीं मंगाया, इसलिये कम गया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार इस विषय में जांच कर के इन वस्तुओं के लिये अन्य मण्डियां ढूंढने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : हां, यह सदैव हमारी कोशिश होती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो परिणाम क्या निकला ?

श्री करमरकर : इन परिणामों की गणना आसानी से नहीं की जा सकती । हमारे प्रयास जारी रहते हैं ।

श्री रघुरामय्या : मेरा सुझाव है कि इसी के साथ साथ प्रश्न संख्या ३१ को भी लिया जाय जो इससे संबंधित है ।

श्री नन्दा : वह भिन्न प्रकार का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न संख्या १९ लेंगे ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*१९. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **योजना** मंत्री आंध्र राज्य की उन मुख्य परियोजनाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने का सरकार का इरादा है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : योजना आयोग ने अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजनाओं पर विचार नहीं किया है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आंध्र राज्य ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में समावेश के लिये किन्हीं परियोजनाओं की सिफारिश की है ?

श्री नन्दा : नहीं, द्वितीय पंजवर्षीय योजना के लिए किसी की नहीं ।

श्री वल्लाथरास : क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समावेश के लिए अपनी अपनी परियोजनाओं की सूची मंगवाई है ?

श्री नन्दा : जी हां, हमने सूचियां अवश्य मंगवाई थीं किन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना के पुनरीक्षण के लिए ; द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं ।

श्री वल्लाथरास : क्या मद्रास राज्य ने अपनी सूची भेजी है ?

श्री नन्दा : हम इस समय सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और अतिनिकट भविष्य में इस दशा में पग उठाये जायेंगे ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के उस अंश का उल्लेख कर सकता हूं जिस में यह कहा था कि पंच वर्षीय योजना में कृष्णा को सम्मिलित किया गया है और बतलाऊं कि कृष्णा आंध्र राज्य में से बहती है ।

श्री नन्दा : ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की नई परियोजनाएं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : प्रथम पंचवर्षीय योजना की कितनी योजनाएं पांच वर्ष की अवधि में पूरी होने की संभावना है और कितनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में जारी रहेंगी ?

श्री नन्दा : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । सिंचाई तथा विद्युत की योजनाओं के बारे में राज्यों को अपने अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जा रहा है जिन पर एक विशेष समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

रूस से आयात

*२०. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ के दौरान में रूस से आयात किए गए मिट्टी के तेल, पेट्रोल

तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य ; और

(ख) क्या ये वस्तुएँ दोनों देशों के मध्य हुए वस्तु विनिमय समझौते में सम्मिलित हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत तथा रूस के मध्य कोई वस्तु विनिमय समझौता नहीं है।

नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी गोष्ठी

*२१. **श्री बी० सी० दास**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नंगल में नदी घाटी परियोजनाओं पर कोई गोष्ठी हुई थी ;

(ख) गोष्ठी में सम्मिलित हुए व्यक्तियों के नाम ; और

(ग) क्या निर्णय लिए गये ?

योजना व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री बी० सी० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि गोष्ठी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कब किए जाएँगे ?

श्री नन्दा: निर्णय किए जा रहे हैं। कुछ निर्णय कर लिए गये हैं और कुछ बाद में किए जायेंगे।

श्री बी० सी० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि ये निर्णय कब किए जायेंगे।

श्री नन्दा: वे विभिन्न समितियों को सौंप दिए गये हैं।

श्री बी० सी० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि इन समितियों द्वारा निर्णय कब तक किए जायेंगे ?

श्री नन्दा: दो समितियां हैं—एक यंत्रों के कार्यकरण, संधारण, प्रमापीकरण आदि के लिए हैं। ये सिफारिशें उपकरण तथा यंत्र समिति को निर्दिष्ट कर दी गई थीं। मैं समझता हूं कि उसकी सिफारिशें एक या दो मास में प्राप्त हो जायेंगी और तब कार्यवाही की जाएगी। दूसरी समिति जो बांधों में मिट्टी डालने, कंकरीट भरने और चिनाई का कार्य करने की दरों के सम्बन्ध में निर्मित की जा रही है। अन्य प्रस्ताव भी हैं जिनके सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं।

श्री बी० सी० दास : क्या गोष्ठी में इस बात पर चर्चा की गयी थी कि विभिन्न परियोजनाओं के अनुभव को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का उत्साहपूर्ण सहकार किस प्रकार प्राप्त किया जाए ?

श्री नन्दा : यह भी किया जा रहा है।

श्री वल्लाथरास : क्या इस गोष्ठी में समस्त भारत के प्रतिनिधियों को भाग लेने को कहा गया था अथवा केवल कुछ राज्य विशेषों से ही कहा गया था, और क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य ने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा है ?

श्री नन्दा : जिन राज्यों में कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं उनसे अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा गया था, और जिन लोगों ने भाग लिया था उनकी सूची विवरण में दी हुई है।

श्री वल्लाथरास : क्या मद्रास ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

हीराकुड में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*२२. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **सिंमाई तथा विद्युत** मंत्री १० दिसम्बर, १९५३ को हिराकुड परियोजना क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२५ का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रस्तावित ८०,००० एकड़ भूमि में से अब तक कितनी खेती योग्य बनाई गयी है ;

(ख) इस कार्य में अब तक कितना व्यय किया गया है ;

(ग) भूमि उद्धार केन्द्रों में जिन परिवारों को भूमि दी गई है उनमें से कितने परिवार उन क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये भेज दिए गए हैं ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में कोई प्रयोगात्मक खेती की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो (१) उस पर कितना व्यय हुआ, (२) उससे कितनी आय हुई और (३) प्रति एकड़ कितनी औसत उपज हुई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) तक सूचना संकलित की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रक्खी जाएगी।

डा० नटवर पांडे : क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जो ज़मीनें सरकार द्वारा पुनरुद्धारित की गयी हैं उन पर लगभग १० वर्ष तक खेती नहीं की जा सकती ?

श्री नन्दा : यह सच नहीं है।

श्री टी० ए०न सिंह : सरकार द्वारा प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, इस पुनरूद्धारित भूमि का प्रयोग कितने नवीन बसे हुए किसानों द्वारा किया गया है ?

श्री हाथी : संख्या तो मुझे महीं मालूम, किन्तु अक्टूबर, १९५३ तक ३४६ व्यक्तियों को ज़मीनें दी गयी हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी ज़मीन दी गयी है ?

श्री हाथी : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो ज़मीनें विस्थापित व्यक्तियों को नहीं दी गयी हैं वहां पर क्या उड़ीसा सरकार द्वारा परियोजना से प्राप्त होने वाले रुपये से खेती की जा रही है ?

श्री हाथी : सामान्यतः उड़ीसा सरकार का कार्यक्रम यह है कि वर्ष प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार, ज़मीन पुनरुद्धारित करती है। अभी जलाशय में कोई ज़मीन नहीं गयी है। यह ज़मीन केवल पुनर्वासन के लिये मकानादि बनाने के निमित ली गयी थी और इसे बांट दिया गया है।

डा० नटवर पांडे : विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित कार्य को व्यवहृत करने के लिये तीन कार्यालय हैं : एक तो भूमि-अर्जन के लिए, दूसरा भूमि-पुनरुद्धार के लिए और तीसरा पुनर्वासन के लिये। मैं ने अभी अभी देखा है कि ४८ गांवों के गांव वालों को अपनी ज़मीनें और मकान छोड़ने के नोटिस दे दिये गए हैं। उत्तर मिला है कि अभी कोई सूचना संकलित नहीं हुई है। उन लोगों का क्या नसीब होगा जिन्हें कि इस वर्ष मानसून प्रारम्भ होने से पहले जाना है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर माननीय सदस्य दूसरे प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

श्री सारंगधर दास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात की दृष्टि में कि उड़ीसा सरकार ज़मीनों का पुनरुद्धार कर रही है—मैं समझता हूं कि ५,००० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया

जा चुका है—क्या वे ज़मीनें विस्थापित व्यक्तियों को नहीं दी जातीं, क्या उन ज़मीनों पर खेती की जा रही है क्योंकि अन्यथा उन पर फिर जंगल उग आएगा ?

श्री हाथी : कुछ ज़मीनों पर जहां लोग आए नहीं हैं, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदर्शन-फार्मों के प्रयोजन से खेती की जा रही है ।

विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

*२३. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई, दिल्ली और जलंधर प्रदेशों में २६ जनवरी, १९५४ तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया ; और

(ख) कुल कितनी राशि दी गयी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). पंजाब में ६५१५ दावेदारों को कच्चे गृहावासों के मुआवज़े के रूप में १७,९७,९२५ रु० का भुगतान किया गया है । राजस्थान में ५०२ गैर-पंजाबियों को, उनके कृष्य-भूमि के दावों की जांच करने के पश्चात् १६,००० एकड़ से कुछ अधिक भूमि दी गयी है । इसके अतिरिक्त, जनवरी १९५४ के अंत तक बम्बई तथा दिल्ली में २३० दावेदारों को ९,६३,३४६ रु० की राशि का अंतरिम मुआवजा दिया गया है। जलन्धर में मुआवज़ा देना १ फरवरी, १९५४ से प्रारम्भ किया गया था ।

श्री गिडवानी : इन ५१,००० व्यक्तियों के प्राथमिक वरीयता के दावों का सरकार कब तक भुगतान कर देने की आशा करती है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकता ।

श्री गिडवानी : क्या इसमें दो अथवा चार अथवा बारह मास लगने की सम्भावना है ?

श्री ए० पी० जैन : यह सब कार्य की प्रगति पर निर्भर है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि किन वर्गों के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवज़े के भुगतान से वंचित रक्खा गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जिनके कि कोई दावे नहीं हैं ।

फिल्में

* २५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किन्हीं फिल्मों को सरकार के पास अभ्यावेदन किए जाने पर प्रदर्शित करने की अनुमति दी गयी थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी हां । केन्द्रीय सेंसर बोर्ड के निर्णय पर अपील किए जाने पर कुछ फिल्मों को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गयी थी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं सेंसर बोर्ड द्वारा इन फिल्मों के अस्वीकृत किये जाने का कारण जान सकता हूं, जिनके विषय में केन्द्रीय सरकार ने बाद में अनुमति दे दी थी?

डा० केसकर : सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के आधीन बोर्ड को फिल्मों को स्वीकार या अस्वीकार करने या उनमें काट-छांट करने की शक्ति मिली हुई है और वह इस के लिये बाध्य नहीं है कि फिल्म विशेष को अस्वीकृत करने का कारण हमें बतायें। अतः मैं कारण न बता सकूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या बोर्ड के पास सरकार द्वारा बताये गये कुछ ऐसे नियम हैं, जिनके अनुसार वह फिल्मों का सेंसर करे, और यदि हैं, तो उक्त नियमों के अतिरिक्त और किस कारण सरकार ने बोर्ड के निर्णय पलट दिये ?

डा० केसकर : मैं प्रश्न का आशय नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न तथा इससे पहले वाले प्रश्न में मूल बात यही प्रतीत होती है कि यदि सरकार कुछ विशेष कारणों के आधार पर ही सेंसर करने की अनुमति नहीं देगी, तो सरकार के लिये भी निर्णय करना असंभव हो जायगा। प्रत्येक बात के लिये कुछ सुनिर्दिष्ट कारण होने चाहिये।

डा० केसकर : जैसा मैंने बताया, बोर्ड को एक साधारण निदेश दिया गया है कि कतिपय आधारों पर बोर्ड फिल्म को अस्वीकृत कर सकता है या आपत्तिजनक बता सकता है। बोर्ड से कहा गया है कि फिल्मों पर इस निदेश के अनुसार ही निर्णय करे। साधारणतः बोर्ड और उसके प्रमंडल के काम की इस दृष्टि से देखभाल की जाती है कि वे उस निदेश को माने। जिस किसी को यह शिकायत हो कि किसी मामले में असमर्थनीय निर्णय किया गया है, उसे अपील का अधिकार दिया गया है। चूंकि बहुत थोड़ी अपीलें हमारे पास आती हैं, अतः मैं नहीं समझता कि बोर्ड नियमानुसार काम नहीं करता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत फिल्मों पर स्वीकृति देने से पहले सरकार बोर्ड से फिर परामर्श करती है और यदि करती है तो क्या उसकी बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : अर्थात् क्या अपील होने पर निर्णय देने से पहले बोर्ड की बात सुनी जाती है ?

डा० केसकर : प्रक्रिया यह है कि जब कोई यह समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और सरकार के पास अपील करता है, तो बोर्ड से उस निर्णय से संबंधित ब्योरे मांगे जाते हैं, इन ब्योरों में बोर्ड अपने कारण बताने की कोशिश करता है या सरकार के निदेश के उस भाग का निर्देश करता है, जिसके अधीन उसने फिल्म को अस्वीकृत किया है। बाद में सरकार फिल्म को देख कर यह निर्णय करती है कि क्या बोर्ड की बात सही है या निर्णय बदल कर प्रमाण-पत्र दिया जाये।

शोलापुर मिल का मामला

*२८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से पैदा होने वाली परिस्थिति पर विचार किया है, जिसमें उस विधि को गैरकानूनी बताया गया है, जिसके अधीन सरकार ने शोलापुर के वस्त्र मिल का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था ; तथा

(ख) क्या इस स्थिति के निपटारे के लिये कुछ समाधान खोजा गया है, और यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विषय विचाराधीन है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस निर्णय से सरकार को कुछ आर्थिक हानि हुई है, और यदि हुई है तो कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस निर्णय से भारत सरकार को कोई हानि नहीं हुई है, पर इस के परिणामस्वरूप हो सकती है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इस के कार्यान्वय की वर्तमान स्थिति जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान प्रबन्ध-व्यवस्था ही प्रबन्ध चलाती रहेगी।

श्री टी० एन० सिंह : समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले इस समाचार में कितनी सचाई है कि सरकार और शोलापुर मिल

के मालिकों के बीच कुछ समझौता —एक प्रकार का अन्तःकालीन समझौता हो गया है, जिसके अनुसार सरकार ये मिल उनको लौटाने जा रही है, और किसी भी विधि में संशोधन नहीं किये जाएंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्य से कुछ बात होने से पहले छपने वाले समाचारों में आधी भी सचाई नहीं होती। इस विषय में भी यही बात है।

श्री एन० एल० जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विधि में संशोधन करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक संशोधन द्वारा स्थिति में पूरा सुधार नहीं हो सकता। यह स्थिति शायद संविधान में संशोधन करके सुधारी जा सकती है।

पंजाब में हथकरघे

*२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य में इस समय काम में आने योग्य हथकरघों की संख्या; तथा

(ख) कितने हथकरघों में हाथ का कता हुआ और कितनों में मिल का सूत प्रयुक्त किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार के प्राक्कलन के अनुसार ५२,००० हथकरघे काम कर रहे हैं, जिनमें १५००० में हाथ का कता तथा ३७,००० में मिल का सूत प्रयुक्त होता है। वस्त्र जांच समिति भी देश में चालू हथकरघों की कुल संख्या के संबन्ध में अलग पड़ताल कर रही है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में हाथकरघों की संख्या कम हो गई है, और यदि सच है, तो संख्या में इस कमी के कारण क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ऐसी कोई बात मालूम नहीं है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या वस्त्र जांच समिति से सभी राज्यों और देश के सभी स्थानों का दौरा करने के लिये कहा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं उससे ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। उसने अपना कार्यक्रम स्वयं बनाया है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि इनमें कितने हथकरघे व्यक्तिगत आधार पर और कितने सहकारी आधार पर चलाये जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे पास जो आंकड़े हैं, यदि उनमें ये सब बातें होतीं, तो हमें और जांच न करनी पड़ती। इस समय हमारे पास हथकरघों से संबन्धित जो आंकड़े हैं, वे जहां तक मुझे पता है, कदापि परिपूर्ण नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब में हथकरघे के बने इन सामानों की बिक्री के लिये कुछ प्रदर्शनालय (म्यूजियम) खोलने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय भांडार (एम्पोरियम) से है। इसका उत्तर आज के लिये रखे गये दूसरे प्रश्न के उत्तर में मिल जायेगा। मेरी समझ से पंजाब सरकार के पास ऐसी कुछ व्यवस्था है।

आन्ध्र में स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

*३०. **श्री नानादास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार को १९५३-५४ में स्थानीय विकास निर्माण कार्य के लिये रु० ७.३८ लाख का अनुदान दिया गया है ; तथा

(ख) यदि सच है, तो इन निर्माण-कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां, श्रीमान् । यह वर्तमान वर्ष के पूरे आवंटन के आधे का अग्रिम भुगतान है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ३१-१-५४ तक रु० १६.६९ लाख के १४८ निर्माण कार्य जिसमें रु० ८.३२ लाख का केन्द्रीय अनुदान अंतर्ग्रस्त है, स्वीकृत किये गये थे। राज्य सरकार से मंगाये गये प्रगति सम्बन्धी वृत्तांत की प्रतीक्षा है।

नंदीकोंडा परियोजना

***३१. श्री रघुरामय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंदीकोंडा परियोजना के सम्बन्ध में पड़ताल की अंतिम रिपोर्ट आंध्र तथा हैदराबाद राज्य सरकारों ने योजना-आयोग के पास भेज दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): नहीं, श्रीमान्।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रपति के कल के अभिभाषण में इस परियोजना का भी निदेश अभिप्रेत है ? यदि नहीं, तो पहली पंचवर्षीय योजना में और कौन सी परियोजना सम्मिलित की जा रही है ?

श्री हाथी : निर्देश कृष्णा-पेन्नार योजना का किया गया था, जो इस योजना में ली जाने वाली पांच योजनाओं में से एक है।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं यह समझूं कि इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद यदि सरकार को संतोष हुआ, तो क्या पहली पंचवर्षीय योजना में कृष्णा-परियोजना शीर्षक के अन्तर्गत इसे भी शामिल किया जायेगा ?

श्री हाथी : इस योजना में विभिन्न योजनायें और विकल्प शामिल हैं। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद बाकी सभी विकल्पों पर विचार किया जायेगा और तभी एक निर्णय किया जायेगा।

श्री रघुरामय्या: क्या कोई समयावधि है, जिसके पहले रिपोर्ट आ जाने से ही इसे पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा सकेगा ?

श्री हाथी : वस्तुतः कोई समयावधि नहीं है, पर अब इस रिपोर्ट के इस मास के अंत तक आ जाने की आशा है।

डा० रामाराव: क्या सरकार को विदित है कि खोसला-समिति ने कृष्णा-पेन्नार योजना के स्थान पर नंदीकोंडा योजना का स्पष्ट अनुमोदन किया था ? अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया कि कृष्णा योजना का अर्थ कृष्णा-पेन्नार योजना है। क्या इसका अर्थ है कि अब सरकार खोसला समिति की सिफारिश को न मान कर कृष्णा-पेन्नार योजना अपनाना चाहती है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): यह अभिप्राय नहीं है। खोसला समिति की रिपोर्ट में कुछ और पड़ताल करने का सुझाव दिया गया था। कई सरकारों को भाग लेना था, और अब वह जांच लगभग हो चुकी है और हमें रिपोर्ट मिलने वाली है। पहले के किसी निर्णय को पलटा न जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या आंध्र सरकार से कहा गया है कि कृष्णा-पेन्नार और नंदीकोंडा दोनों परियोजनाओं की संभाव्यता के बारे में एक रिपोर्ट भेजे, तभी किसी एक को पहली पंचवर्षीय योजना में रखा जा सकेगा ?

श्री नन्दा : हां, ऐसा किया गया है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद तथा आंध्र राज्य सरकारें जो रिपोर्ट भेजेंगी, क्या वह अंतिम होगी ?

श्री हाथी : रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी । सरकार इसका निश्चय करेगी—ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट अंतिम और बाध्य होगी ।

महानदी पुल के लेखे

*३२. **श्री आर० एन० एस० देव**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री महानदी पर पुल के निर्माण सम्बन्धी लेखों की जांच करने के लिये जांच समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में १८ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०३ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या

(क) रिपोर्ट पर विचार समाप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस के निर्णय क्या हैं ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार के निष्कर्ष और निर्णय क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह हैं :

(१) महानदी रेल-सड़क पुल की कुल लागत ६८,७५,१८४ रुपये है । इस में अभी कुछ संशोधन करने बाक़ी हैं ।

(२) अन्तिम लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये थे : कार्य सम्पादन में उचित आयोजन का न होना, कम अनुमान लगाना, है मिल्टन गर्डरों का अधिक प्रयोग, अधिक वेतनों पर श्रमिकों का आयात, उपस्थिति-पत्रों पर बहुत से मज़दूरों का लगाया जाना, बिना पर्याप्त संरक्षणों के विशेष कार्ययुक्त कर्मचारियों को रखना, प्रतिस्पर्धी टेन्डर बुलाने से पहले कार्य आदेशों का देना और कुछ व्यर्थ व्यय ।

सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श के साथ यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि क्या लेखों में झूठे उपस्थितिपत्रों के बारे में कोई निर्णय था ?

श्री हाथी : झूठे उपस्थितिपत्रों के बारे में नहीं, इन के तरीक़े पर कुछ आलोचना थी ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : अभी सारी रिपोर्ट विचाराधीन है । कार्यवाही इस के बाद की जायेगी ।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जान सकता हूं कि परियोजना का व्यय कैसे आवंटित किया जायेगा ?

श्री हाथी : इस बात पर विभिन्न मंत्रालय—यातायात, रेल और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय—आपस में परामर्श कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री जी को विदित है कि झूठे लखों के बहुत से मामले हैं, जिन के फलस्वरूप बहुत सा रुपया हड़प कर लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : कहां ? इस परियोजना में ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी हां ।

श्री हाथी : जी नहीं, कोई नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० नटवर पांडे : क्या यह सत्य है कि मरम्मत न होने के कारण महानदी के पुल की हालत दिन प्रति दिन ख़राब होती जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

ट्रेडमार्क जांच समिति

*३३. **श्री एस० एन० दास : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेड मार्क जांच समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तो इस की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट अप्रल, १९५४ के अन्त में प्रस्तुत कर देगी ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इस समिति की नियुक्ति के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कोई कालावधि निर्धारित की गई थी ?

श्री करमरकर : कोई समय निश्चित नहीं किया गया था । किन्तु समिति से फ़रवरी के अन्त में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा की जाती थी ।

हाथकर्घा बुनकर

*३५. **श्री डी० सी० शर्मा** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंग कि बुनकरों को सहायता देने के लिये पंजाब राज्य को हाथकर्घा निधि में से कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : २४,१६० रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह राशि किस आधार पर निश्चित की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा । स्थिति यह है कि पंजाब सरकार से एक निश्चित राशि के लिये योजनायें बनाने के लिये कहा गया है । इस मामले में उस से कहा गया था कि ये योजनायें ३,३८,००० रुपये तक की हों । उस ने जो योजनायें प्रस्तुत की हैं और जिन की मंजूरी दी गई है, केवल २४,००० रुपये या इससे कुछ अधिक राशि की हैं । चार योजनायें—एक २,०८,००० रुपये की; दूसरी १६,००० रुपये की; तीसरी ३२,४५० रुपये की और चौथी ८,००० रुपये की—अभी विचाराधीन हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा और पंजाब सरकार को और कितना अनुदान दिया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि कि मैं ने कहा है, पंजाब सरकार से लगभग ३,३८,००० रुपये तक की योजनायें भेजने के लिये कहा गया है । हमें आशा है कि ये मास के अन्त से पहले मंजूर कर दी जायेंगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह धन व्यपगत हो जाये । मैं चाहता हूं कि इस का उपयोग इस वर्ष किया जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि यह अनुदान बुनकरों में कैसे वितरित किया जाता है ? क्या यह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जाता है या पंजाब सरकार अपने आप ही करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुदान देते समय मोटे तौर पर बतला दिया जाता है कि वितरण कैसे किया जाय । वास्तविक वितरण राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि किसी राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों और

आर्थिक रूप से अधिक प्रगतिशील क्षेत्रों के बीच कोई भेद किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि मैं इस मामले में उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, किन्तु इन अनुदानों को देने में भारत सरकार का विचार यह है कि जहां तक हो सके राज्य सरकारों को पिछड़े हुए क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

श्री एम० डी० रामास्वामी: मैं जान सकता हूं कि उपकर का वितरण प्रत्येक राज्य में हाथकर्घों की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है या किसी अन्य आधार पर ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मोटे तौर पर यह आधार हाथकर्घों की संख्या नहीं बल्कि उन की सूत की खपत है, क्योंकि हाथ-कर्घों की संख्या वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अनुदान से लगभग कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस का उत्तर देना मेरी शक्ति से बाहर है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा अभिप्राय यह है प्रति व्यक्ति कितना धन उपलब्ध हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्री बंसल ने मुझे उनके प्रश्न पूछने के लिये अधिकृत किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कौन से प्रश्न ?

श्री एस० एन० दास : संख्या ४ और दो अन्य ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने लिख कर अधिकृत किया है ?

श्री एस० एन० दास : जी हां, श्रीमान् । कल उन्होंने कार्यालय में लिख कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन की बात मान लेता हूं ।

पी० एंड० ओ० जहाजों में विभेद

*४ **श्री बंसल** : **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एण्ड ओ० जहाजों पर जो व्यवहार किया जाता है, उस के विरुद्ध भारत सरकार को एक विदेश में भेजे गये एक भारतीय उच्चाधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत किस प्रकार की थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने कुछ शिकायतें की हैं कि पी० एण्ड ओ० जहाजों पर अश्वेत यात्रियों के साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है ।

(ग) इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बातचीत की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सम्बन्धित सरकारों से निकट भविष्य में उत्तर की आशा रखती है और यदि ऐसा है तो कब तक ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमने यहां पहले से ही इंगलिस्तान के उच्चायुक्त से पत्र व्यवहार कर लिया था और अब उसी के अनुसार कार्य हो रहा है । अब हम पी० एण्ड ओ०

कम्पनी के पदाधिकारियों से परामर्श कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं सरकार को जिस समय ये शिकायतें मिली थीं वह काल जान सकता हूं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं क्योंकि इस प्रश्न के कुछ भाग का निबटारा मेरे मंत्रालय द्वारा किया गया था ? हमने इसके विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सुना था और मामले की जांच पड़ताल की गई थी । मामले पर अग्निपोत पदाधिकारियों से बातचीत की गई थी और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि न केवल सरकारी अफसर से ही वरन् अन्य सभी सम्बन्धित लोगों से कम्पनी ने भेंट की और स्थिति की व्याख्या की गई । सरकार को आश्वासन दिलाया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों का भी कोई अवसर नहीं आयेगा और मैं इस समय यह समझता हूं कि जब तक कोई नई शिकायतें न की जायें तब तक हमें उस आश्वासन पर विश्वास करना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या में शिकायत किस प्रकार की थी यह जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : शिकायत इस प्रकार की थी कि किसी स्टीमर विशेष में यात्रा करने वाले भारतीय यात्री ने अनुभव किया था कि उसके साथ कई प्रकार से भेद-भाव पूर्ण व्यवहार किया गया था । मैं समझता हूं कि एक शिकायत यह भी थी कि बच्चों को बायलरों के निकट वाले किसी स्थान में रखा गया था और भोजन करने के कमरे की सुविधाओं में कुछ भेद-भाव किया गया था । यह सामान्य भावना का प्रश्न है विशिष्ट शिकायतों का नहीं । मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार की जातीय शिकायत केवल पी० एण्ड ओ० जहाजों के विरुद्ध ही की गई है अथवा अन्य किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध भी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार के पास इस समय केवल यही एक शिकायत है ।

भारतीय वाणिज्य-दौत्य

*२६. **श्री बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय यू० एस० ए० में कार्य करने वाले भारतीय वाणिज्य-दौत्यों की संख्या ;

(ख) उन नगरों के नाम जहां वे कार्य कर रहे हैं; तथा

(ग) क्या उस देश में और वाणिज्य-दौत्य खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). यू० एस० ए० में कोई भी भारतीय वाणिज्य-दौत्य नहीं है किन्तु न्यूयार्क एवं सान फ्रांसिस्को में भारतीय महावाणिज्य दौत्य है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : ये वाणिज्य-दौत्य क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं अथवा वैदेशिक कार्य मत्रालय के अन्तर्गत ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन महा-वाणिज्य-दौत्यों का प्रशासन पक्ष वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के नियत्रंण में है ।

श्री एन० एल० जोशी : इन वाणिज्य-दौत्यों के कृत्य क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वाणिज्यदौत्य सम्बन्धी कार्यवाहियां ।

जी० ए० टी० टी०

*३१. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान एक प्रेस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तथा पेरू के अतिरिक्त सभी संविदा करने वाले देशों ने जी० ए० टी० टी० तालिकाओं की कार्यावधि १ जुलाई, १९५५ तक बढ़ा देने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो जी० ए० टी० टी० में इन देशों के भाग न लेने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; तथा

(ग) इन देशों को दी गई रियायतों के सम्बन्ध में भारत की स्थिति के सुरक्षण के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । किन्तु बाद को जी० ए० टी० टी० सचिवालय से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा पर हस्ताक्षर करने का निश्चय कर लिया है । संविदा करने वाले देश घोषणा पर हस्ताक्षर करने की तिथि ३० अप्रैल, १९५४ तक बढ़ा देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) हम यह नहीं समझते हैं कि घोषणा पर हस्ताक्षर कर देने से ब्राज़ील तथा पेरू जी० ए० टी० टी० से बाहर हो गये हैं । इन दोनों देशों ने जी० ए० टी० टी० के कच्चे मसौदे पर अस्थायी रूप से लागू करने के लिये हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस से हट जाने की कोई सूचना नहीं दी है ।

(ग) भारत सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ब्राज़ील अथवा पेरू भारत को दी गई प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें वापस ले लेने के इच्छुक हैं । इस कारण इस अवस्था में ऐसा कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा उन देशों को किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं जिन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हुए हैं ?

श्री करमरकर : मैं उनको उन वस्तुओं के नाम बता सकता हूं जिन पर भारत को रियायतें मिली हैं तथा उसने रियायतें दी हैं, किन्तु यह बहुत काफी लम्बी सूची है । यदि आप अनुमति देंगे तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो वह सदन पटल पर इसका विवरण रख सकते हैं ।

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री नानादास : क्या मैं जी० ए० टी० टी० के भूतकाल में अपने देश के सदस्य होने से प्राप्त किये गये मुख्य लाभ जान सकता हूं ।

श्री करमकर : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र लाभ उठाने के लिये इस विषय पर तमाम साहित्य सदन के पुस्तकालय से पढ़ सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी

*२. **सरदार हुकम सिंह** : (क) क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५४ में, गृह-व्यवस्था तथा सामूहिक सुधार पर नई दिल्ली में कोई संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी हुई थी ?

(ख) इस में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी ?

(ग) किन किन देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेज कर भाग लिया था ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां, श्रीमान्। यह २१ जनवरी को प्रारम्भ हुई थी और १७ फरवरी, १९५४ को समाप्त होगी।

(ख) जिन विषयों पर चर्चा हुई वे थे :

(१) स्थानीय भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के उत्पादन तथा उनके प्रभावपूर्ण उपभोग में वृद्धि करने के तरीक़ ;

(२) गृह-निर्माण तथा सामुदायिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को तैयार करने के तरीक़े ; तथा

(३) वास्तविक निर्माण सम्बन्धी आयोजन।

(ग) गोष्ठी में इन इन देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है :

बर्मा, सीलोन, फिजी, हांगकांग, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक़, जापान, लाओस, पाकिस्तान, सिंगापुर तथा वियतनाम।

चाय

*७. **श्री गोपाल राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में चाय प्रचार के लिये प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है ; तथा

(ख) क्या यह प्रचार कनाडा में भी किया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०-टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ख) जी हां :

त्रावनकोर-कोचीन के लिये विशेष योजना

*१२. **श्री ए० एम० टामस**: (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये कोई विशेष योजनायें (योजना में परिवर्तन तथा विस्तार करने के परिणामस्वरूप) बनाई गई हैं और यदि ऐसा है, तो कब ?

(ख) इन योजनाओं को चलाने के लिये अनुमानतः कितने और धन की आवश्यकता होगी ?

(ग) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ख) ३·४५ करोड़ रुपये।

(ग) २७·३ करोड़ की राज्य योजना के अन्तर्गत कुल पूंजी में से १९५३–५४ के अन्त तक लगभग १५ करोड़ रुपये के व्यय किये जाने की आशा है।

ऋणों का पुन भुगतान

*२४. **श्री वीरेन दत्त**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऋणों के पुनः भुगतान के लिये विस्थापित व्यक्तियों को कितने नोटिस जारी किये गये थे ;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों के किसी संगठन ने कोई विरोध किया था ; तथा

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्य किये गये थे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

पंच वर्षीय योजना तथा आन्ध्र

१. **श्री राघवय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र सरकार ने किन विभिन्न सिंचाई योजनाओं को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत किया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : आन्ध्र सरकार ने योजना आयोग को निम्नलिखित परियोजनायें सम्मिलित करने के लिये लिखा था :

(१) तुंगभद्रा उच्च स्तर स्थित नहर योजना ।

(२) गंडीकोटा परियोजना जिसमें तुंगभद्रा उच्च स्तर स्थित नहर में से पानी ले जाने की व्यवस्था हो ।

(३) कृष्णा परियोजना (सिद्धेश्वरम; नन्दीकोंडा) ।

(४) पुलिचिन्तला परियोजना ।

(५) गोदावरी बाढ़ बचाव योजना ।

(६) वंशधरा परियोजना ।

(७) कृष्णा रेगुलेटर (जल नियंत्रक) तथा पुल ।

(८) कुरनूल-कड़प्पा नहर को नये ढंग से बनाना (जिससे उस में ३,००० कुजेक्स पानी जा सके) ।

इन परियोजनाओं में से, कुरनूल-कड़प्पा नहर को नये ढंग से बनाने तथा कृष्णा रेगुलेटर-व-पुल परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये आश्रम तथा अपाहिज घर

२. **श्री हेम राज** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये १९४७ से दिसम्बर, १९५३ तक सरकार ने जितने आश्रमों तथा अपाहिज घरों की अपने नियंत्रण में देख भाल की है उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये स्थित हैं ;

(ग) इनमें से प्रत्येक में रखे गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(घ) इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति पर कितना औसत व्यय होता है ; तथा

(ङ) इस प्रकार के आश्रमों तथा अपाहिज घरों में वे क्या काम करते हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग) तक . एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये **परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९**] । १९४८ से पहिले कोई आश्रम या अपाहिज घर स्थापित नहीं किये गये थे ; उस समय विस्थापित व्यक्ति सहायता कैम्पों में रखे गये थे ।

(घ) केन्द्रीय सरकार इन आश्रमों का प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों को औसतन २५ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति मास सहायक अनुदान देती है और इस सहायक अनुदान में से इनके प्रबन्ध चलाने का काम उन अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है ।

इन आश्रमों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं।

(ङ) केवल उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो वृद्ध और अपाहिज हैं और जो काम नहीं कर सकते हैं, इन में रहने वाले व्यक्तियों को दर्जी के काम, कढ़ाई, कताई, बनाई, क्रोशिया के काम, डलिया बुनने तथा साबुन बनाने आदि दस्तकारी के कामों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय सामुदायिक परियोजना संगठन

३. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **योजना मंत्री** यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सामुदायिक परियोजना संगठन के क्या कार्य हैं ; तथा

(ख) उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा व्योरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उहमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्र का सामुदायिक परियोजना प्रशासन विभिन्न राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों की योजना बनाने, संचालन करने तथा समन्वय करने के लिय उत्तरदायी हैं।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रचार

४. श्री टी० बी० विट्ठलराव : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी प्रचार कार्य पर प्रति वर्ष अब तक (राज्य-वार) कितना धन व्यय किया गया है ; तथा

(ख) राज्य-वार तथा वर्ष-वार व्यय के मद क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० कसकर) : (क) तथा (ख), केन्द्रीय सरकार का पंचवर्षीय योजना का एकीकृत प्रचार कार्यक्रम पूरे भारत के लिये है और इस लिये वह किसी राज्य विशेष में नहीं किया जाता है। राज्य अपना प्रचार कार्य स्वयं करते हैं। इसलिए व्यय के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पूर्ववर्ती वर्षों में पंचवर्षीय योजना के लिये कोई संगठित कार्य नहीं किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सूचना केवल इस अवधि के अन्त में एकत्रित की जा सकती है।

———

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१६ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १६ फरवरी, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

स्थगन प्रस्ताव

गन्ने के भाव में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय : मुझे गन्ने की मूल्य वृद्धि तथा गन्नाउत्पादकों की मांगों के भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने के प्रश्न का निर्देश करने वाले श्री आर० एन० सिंह के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में भारत सरकार का क्या भाग है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : में वाद-विवाद होने के पश्चात् इस वर्ष हम ने पिछली वर्ष की अपेक्षा गन्ने के मूल्य में थोड़ी वृद्धि कर दी है। कृषि वस्तुओं के भाव गिर रहे हैं और यदि गन्ने का मूल्य वर्तमान स्तर पर रखा जाता है तो परिणाम यह होगा कि हमारे पास केवल गन्ना ही रहेगा और गन्ना उत्पादकों को कठिनाई होगी, क्योंकि गुड़ का भाव कम होने के कारण गन्ना भी पेरा नहीं जायेगा। सन् १९५२ और उस से पहले के वर्षों का यही अनुभव है, इसलिये वर्तमान स्तर से अधिक मूल्य बढ़ाना संभव नहीं है। पिछले सत्र के स्थगित होने के पूर्व इस प्रश्न के उठने पर जैसा कि मैं ने सदन को बतलाया था कि मैं ने लोगों को रायकोला में एक सम्मेलन करने का परामर्श दिया था जहां मैं वस्तुस्थिति का वर्णन कर सकूं। जब रायकोला में मैं ने सम्मेलन को सम्बोधित किया तो प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने गन्ना उत्पादकों को यह सलाह दी कि यदि वह पहली फरवरी से फैक्टरियों को गन्ना देना बन्द कर दें तो संभवतः मंत्री गन्ने का मूल्य बढ़ा देने की घोषणा कर देंगे। ज्यूं ही यह पता चला कि उत्तर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं ने फैक्टरियों को यह नोटिस दिया है कि यदि वे अधिक मूल्य नहीं देने को प्रस्तुत थे तो पहली तारीख से गन्ना बन्द कर दिया जायेगा तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ओर से एक प्रैस नोट जारी किया गया जिस में यह बताया गया कि मूल्य बढ़ाना सम्भव नहीं था पर यदि किसी फैक्टरी को चीनी के ऊंचे दामों के कारण अतिरिक्त लाभ हो रहा था, तो उक्त लाभ का समुचित भाग गन्ना उत्पादकों को दिया जायेगा। मैं ने रायकोला में भी यही बात दुहराई और प्रैस नोट के कारण सहकारी संस्थाओं ने नोटिस वापिस ले लिये, और कहा कि यदि चीनी का मूल्य बढ़ता है तो उन्हें भी अधिक दाम मिलेगा। इस आश्वासन से उन्हें संतोष प्राप्त हुआ। मेरे रायकोला पहुंचने पर सभी दल मुझ से

[श्री किदवई]

मिले, और वहां उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का निर्णय किया। एक दल का नेतृत्व श्री शिब्बनलाल सक्सेना कर रहे थे और पी० एस० पी० के नेतृत्व में एक दूसरा दल कार्य कर रहा है। वे सब मान गये और जेल से श्री गेंदा सिंह ने भी सन्देश दिया कि हड़ताल समाप्त कर दी जानी चाहिये और इस पद्धति को स्वीकार करना चाहिये। पी० एस० पी० के नेता ने कहा कि वह अपने साथियों से लखनऊ में परामर्श करने के पश्चात कोई निर्णय करेंगे, परन्तु वहां उन की बात मानी नहीं गई।

अब स्थिति यह है कि गन्ना सम्बन्धी कोई हड़ताल नहीं है। गन्ना उत्पादकों और पी० एस० पी० नेताओं के बीच झगड़ा है। गन्ना उत्पादक फैक्टरियों को गन्ना देना चाहते हैं परन्तु पी० एस० पी० के लोग वहां उस को रोक रहे हैं। उत्तरी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक फैक्टरी की समस्त आवश्यकता पूरी हो रही है और बिहार के लोग उन के प्रस्तावों की परवाह नहीं करते हैं। यहीं समीप ही कुछ फैक्टरियां हैं, यदि कोई माननीय सदस्य उन्हें देखना चाहें मैं दिखला सकता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। गन्ना उत्पादक गन्ना देने को आतुर हैं किन्तु पी० एस० पी० के नेता फैक्टरियों के बाहर धरना दे रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं, यह वस्तुस्थिति है।

श्री आर० एन० सिंह (ज़िला गाजीपुर–पूर्व व ज़िला बलिया–दक्षिण-पश्चिम) : २८८ केन ग्रोअर्स (गन्ना उत्पादक) गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन में और लोग भी हैं। तो भी यह बात हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्राइक (हड़ताल) खत्म हो गयी है ?

श्री किदवई : हड़ताल का केवल १२ फैक्टरियों पर प्रभाव पड़ा था। कुछ फ़ैक्टरियों में केवल एक दिन और कुछ में केवल दो दिन के लिये सम्भरण रुका था। ७ फरवरी को जब रायकोला में सम्मेलन हुआ था, तो पश्चिमी क्षेत्र में तीन तथा पूर्वी क्षेत्र में एक फ़ैक्टरी चल रही थी। एक फ़ैक्टरी ९ फरवरी को चली जब उसे निर्णय का पता चला। तभी से लोगों को रोका जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह भी समाप्त हो जायेगा और यह औपचारिक ढंग से एक या दो दिन में ही समाप्त हो सकता है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि मूल्य बढ़ा दिया गया था परन्तु मुझे यह कहने का अवसर नहीं मिला था कि मूल्य १ रु० १२आ० से गिर कर १ रु० ३ आ० हुए फिर बढ़ कर १ रु० ५आ० या १रु० ७ आ० हो गये थे। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार न किये जाने के कारण हड़ताल हुई। यदि अब हड़ताल नहीं है तो एक लाख टन चीनी मंगवाने की जल्दी क्यों की जा रही है ?

श्री किदवई : यह भ्रान्ति है कि चीनी मंगवाने में शीघ्रता की जा रही है पिछले वर्ष उत्पादन का अनुमान १३.७ लाख टन और उपभोग का अनुमान १७ लाख टन लगाया गया था, इसलिये हम ने पहले यह अनुमान लगाया कि दो लाख टन के लगभग मंगवायेंगे, परन्तु बाद में हमने अधिक मंगवाने की आवश्यकता अनुभव की और तदनुसार हम ने २.५ लाख टन चीनी मंगवाई है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ़सल अच्छी न होने के कारण इस वर्ष उत्पादन कम होगा, अर्थात् १२ या १२$\frac{1}{2}$ लाख टन होगा। यदि उपभोग पिछले वर्ष के समान ही रहा, तो हमें अगले वर्ष १ अप्रैल और आगामी ३० मार्च के बीच लगभग ५ लाख टन चीनी मंगवानी पड़ेगी।

श्री सारंगधर दास : यदि प्रौद्योगिक अनुसन्धान विद्यालय लखनऊ द्वारा दिये गये

साप्ताहिक उत्पादन के आंकड़े बतला दिये जायें, तो हम स्थिति को समझ सकेंगे ।

श्री किदवई : मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से कम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर उत्तर-पश्चिम) : उसी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किस सम्बन्ध में ?

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कि यह एडमिट होगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं एडमिट होने की कनसेंट (सहमति) नहीं देना चाहता । मैं ने बहुत सुना और सुनने के बाद मेरा निश्चय यह हुआ है कि यह एडमिट नहीं होना चाहिये ।

कुम्भ मेले की दुखद घटना

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा स्थगन प्रस्ताव कुम्भ मेला दुर्घटना के विषय में है । यह कल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव जैसा ही है, इसलिये मैं नहीं समझता कि यह आज भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्री नन्द लाल शर्मा (पोहर) : मैं कुछ नई बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इसी प्रकार की दुर्घटनायें और राज्यों में भी हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा । अब यह प्रस्ताव समाप्त होता है । अब माननीय उत्पादन मंत्री वक्तव्य देंगे ।

नयें इस्पात कारखाने के लिए स्थान सम्बन्धी वक्तव्य

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : नवीन इस्पात संयंत्र योजना के विषय में अपने २४ अगस्त, १९५३ के वक्तव्य में मैं ने बतलाया था कि जर्मन सार्थ क्रप्प ऐड डिमैग जिस का हम ने करार किया था, इस संयंत्र की स्थिति, नमूना बनावट तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी परामर्श देगा । इस के अनुसार जर्मन सार्थ के प्रविधिक विशेषज्ञों ने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों का दौरा किया और इन राज्यों की प्रविधिक रिपोर्ट और ज्ञापन का अध्ययन किया । उन्हों ने अतिरिक्त आंकड़े इकट्ठे किये, प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण किया, तथा राज्यों की सरकारों और तत्सम्बन्धी केन्द्रीय अधिकारियों के साथ चर्चा की । इस प्रकार अध्ययन करने के पश्चात् यहां के और जर्मनी के चोटी के प्रविधिक विशेषज्ञों के सहयोग से उन्होंने उड़ीसा में रूरकेला स्थान पर नवीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ।

भारत सरकार ने इस सिफारिश का बड़े ध्यान पूर्वक परीक्षण किया है और परामर्शदाताओं की रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की सरकारों के मतों पर विचार किया है, तथा मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्रियों और उड़ीसा के दो मंत्रियों से भी वाद विवाद किया गया है । सभी उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि रूरकेला स्थान पर इस संयंत्र को स्थापित करने के विषय में उन के परामर्शदाताओं की सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश के खनिजसंसाधनों के विशेषकर

[श्री के० सी० रेड्डी]

लौह प्रस्तर और कोयले के अधिक विस्तृत परिमाप, परीक्षण और विश्लेषण का कार्य तुरन्त ही हाथ में लेना चाहिये, जिस से कि इन संसाधनों का आर्थिक और औद्योगिक विकास करने में सुविधा हो ।

परामर्शदाताओं के ज्ञापन की एक प्रति मैं सदन पटल पर रख रहा हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—१७।२४]

श्री मेघनाथ साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मैं इस पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया नियमों के अनुसार इस की अनुमति नहीं दी जा सकती है । जब माननीय सदस्य को चर्चा करने का अवसर मिले तब वह माननीय मंत्री के वक्तव्य का लाभ उठा सकता है, परन्तु इस समय नहीं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : कुछ बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं । अतः हमें कुछ समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय मंत्री से मिल कर इस की व्यवस्था कर सकते हैं ।

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को दिये गए संरक्षण को जारी रखने और सीमेंट के भावों में परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अनुसार इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं, अर्थात् :

(१) रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को दिये गय संरक्षण को जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ३६ (४)—टी० बी० ।५३, तिथि ३१ दिसम्बर, १९५३;

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या ३६ (४)—टी० बी० ।५३, तिथि ३१ दिसम्बर, १९५३;

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अनुसार विवरण, जिस में उन कारणों का वर्णन किया गया है कि जिन के परिणामस्वरूप ऊपर निर्देशित प्रत्येक अभिलेख्य (१) से (३) की प्रति निर्धारित अवधि के अन्दर सदन पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१४।५४]

(५) सीमेंट के भावों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(६) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या एस० सी० (बी०) ८ (२५७) ।५४, तिथि १ फरवरी, १९५४; तथा

(७) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१, की धारा १६ (२) के परन्तुक के अनुसार विवरण जिस में उन कारणों का वर्णन किया गया है जिन के परिणामस्वरूप ऊपर वर्णित प्रत्येक अभिलेख्य (५) और (६) की प्रति निर्धारित अवधि के अन्दर सदन पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—१५।५४]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं १ अप्रैल से ३० सितम्बर १९५३ के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की कार्यवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक

प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस---१६।५४]

भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन विधेयक---क्रमशः

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "'भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक विवाद रहित विधान है। भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम १९५१ में पारित हुआ था, और गत तीन वर्षों में इस अधिनियम के संचालन से उसमें कुछ दोष और छूट गई बातें प्रकट हुई हैं। उन दोषों को इस विधेयक के द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उद्देश्य और कारणों के विवरण से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के मुख्य प्रयोजन जान लिये होंगे। राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों के निबटारे के ढंग के सम्बन्ध में कुछ विवाद हुए थे। उस के लिये विशिष्ट रूप से व्यवस्था की जा रही है और राष्ट्रपति को ऐसे सभी प्रश्नों को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद निबटाने की शक्ति दी जा रही है।

और फिर इस में आकस्मिकता निधि की स्थापना करने और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य विधान मण्डलों के सामने रखने का उपबन्ध है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रस्तुत किये गये संशोधनों से जहां तक मुझे पता चलता है कुछ माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में जिस एकमात्र प्रश्न से कुछ सन्देह पैदा हो गया है, वह भाषा के सम्बन्ध में है। विधेयक के खण्ड ६ में विशिष्ट रूप से यह उपबन्धित है कि राज्य विधान मण्डलों में पुरःस्थापित सभी विधेयक और उन में पारित सभी अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी में हों, परन्तु यह भी कहा गया है कि जहां प्रादेशिक भाषा हिन्दी हो वहां विधेयक का अनुवाद हो सकता और वह अनुवाद भी प्रामाणिक होगा।

प्रस्तुत संशोधनों से यह पता चलता है कि कुछ सदस्यों की यह इच्छा है कि अंग्रेजी को बिलकुल निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर हिन्दी को रखा जाय। यहां पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य संविधान के अनुच्छेद ३४८ को ध्यान में रखें। इस विधेयक का वर्तमान खण्ड ३३ (क) उक्त अनुच्छेद का दुहराया गया रूप मात्र है। यह एक अनिवार्य चीज़ है और हम इस से हट नहीं सकते हैं। मुझे इसे इसलिये पुरःस्थापित करना पड़ा था क्यों कि वर्तमान अधिनियम में कुछ दोष था और उस दोष को दूर करना आवश्यक था। अन्यथा, मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक सीदा सादा है, और इस के सम्बन्ध में मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): माननीय राज्य मंत्री के कथनानुसार भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक एक विवाद रहित विषय है। उन के विचार से सभी चीजें विवाद रहित होती हैं। परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त विवादास्पद विषय है, क्योंकि इन भाग 'ग' राज्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

हम किसी प्रगतिशील ढंग पर कार्य नहीं कर रहे हैं ।

पहली बात तो यह है कि इन भाग 'ग' राज्यों को भाग 'ख' राज्यों के समान स्तर पर नहीं रखा जाता है । अब इस ईर्ष्याजनक भेदभाव को सदैव के लिये निरन्तर बनाये रखा जा रहा है । अच्छा हो कि अब हम इन राज्यों को समाप्त कर दें । ये राज्य हमारे वर्तमान ढांचे में असंगत हैं । यह असंगति इतनी अधिक है कि जहां तक भाग 'क' अथवा भाग 'ख' राज्यों के शासन का संबंध है, हमें अपने संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिये संसद् केस मक्ष आना पड़ता है। यही नहीं, यदि वह परिवर्तन कुछ विशेष अनुच्छेदों में किया जाना है, तो न केवल संसद् को वह संशोधन एक विशेष ढंग से पारित करना होता है, बल्कि भारत के आधे राज्यों को भी उस के लिये अनुमति देनी पड़ती है । परन्तु इन भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । इन के सम्बन्ध में यह उपबन्धित है कि अनुच्छेद २४० के अधीन हम संविधान में परिवर्तन करसकते हैं और इन भाग 'ग' राज्यों को संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने की अनुमति दे सकते हैं : अनच्छेद २४० (२) में कहा गया है :

> "खण्ड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन करने का प्रभाव रखता है ।"

मेरी समझ में नहीं आता कि भाग 'ग' राज्यों के शासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार तो इन राज्यों की जनता के साथ भेद-भाव किया जाता है । जब कि संविधान में हम ने सभी को समान विधि के संरक्षण और विधि की दृष्टि में समानता की प्रत्याभूति दी है, तो फिर ऐसा भेदभाव करना उचित नहीं है । पर इस संशोधन के द्वारा हम उसी को बनाये रखने जा रहे हैं । पहले, एक नियंत्रक प्राधिकार था, परन्तु अब इस संशोधन के द्वारा उसे भी समाप्त किया जा रहा है ।

खण्ड ७ में धारा ३९ से सम्बन्धित एक संशोधन है, और उस में राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना अथवा उस में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कुछ अजीब चक्करदार बातें कही गई हैं, जिन की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

अब मैं भाषा के प्रश्न पर आता हूं । खण्ड ६ के द्वारा १९५१ के अधिनियम में एक नई धारा ३३ क को जोड़ने का विचार है । हम सब इतने दिनों से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये आन्दोलन करते रहे हैं और इस चीज़ को हम ने अपने संविधान में स्वीकार भी कर लिया है । परन्तु यहां पर अब हम फिर अंग्रेजी पर वापस जा रहे हैं । मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह प्रतिगामी कदम क्यों उठाया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित है और ऐसा करने से व्यर्थ ही बहुत अधिक व्यय भी होगा—हिन्दी से अंग्रजी में, अनुवाद करवाने में । सभी प्रशासनिक आदेश जनता के लिये होते हैं और जब कि जनता हिन्दी को अच्छी तरह से समझ सकती हो, तो फिर अंग्रेजी की क्या आवश्यकता है ? कम से कम अजमेर भोपाल, दिल्ली हिमाचल प्रदेश की जनता तो हिन्दी भली भांति समझ सकती है । रही कुर्ग की बात, तो उस के सम्बन्ध में प्रादेशिक भाषा को सम्मिलित किया जा सकता ह, परन्तु अंग्रेजी

को फिर से चालू करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है ।

खण्ड ४, सन् १९५१ के अधिनियम की धारा २२ में संशोधन करता है, और उस के अनुसार राज्य विधान मण्डल को संसद् द्वारा किये गये कार्यों को रद्द कर सकने की शक्ति दी जा रही है। इस में मुझ को कोई बुद्धिमता प्रतीत नहीं होती है । इन राज्यों की विधान सभाओं के मुट्ठी भर सदस्य संसद् के ४९९ सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों को रद्द कर सकने के योग्य नहीं हो सकते । अतः मैं तो समझता हूं कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है । मेरे विचार से तो इन सारे भाग 'ग' राज्यों को बिलकुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये । अजमेर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस अजमेर राज्य को नहीं चाहता है । यदि इस राज्य को राजस्थान के साथ मिला दिया जाये तो भारत सरकार का ७० लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल एक संशोधक विधेयक है । इस के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाना कि अजमेर एक पृथक् राज्य के रूप में रहे या नहीं अथवा उस को किसी पड़ौसी राज्य के साथ मिलाया जा या नहीं, संगत नहीं ह । सच तो यह है कि माननीय सदस्य विषय से असंगत बातें कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, केवल वे ही बातें सुसंगत होंगी जिन पर इस विधेयक में मूल अधिनियम के संशोधन के रूप में चर्चा की गई है

श्री यू० एम०त्रिवेदी : दूसरी बात म यह कहना चाहता था कि संविधान के अनुच्छेद ३४५ के अनुसार हिन्दी सभी राज्यों की सरकारी भाषा होगी । अभी तो राज्य हिन्दी को अपनायेंगे उन्हीं में हिन्दी सरकारी भाषा रहेगी । मेरा निवेदन यह है कि अजमेर और भोपाल में सभी लोग हिन्दी बोलते हैं । इस सम्बन्ध में जो संशोधन किया जा रहा है, उस के द्वारा अंग्रेज़ी को केवल सरकारी भाषा ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यह भी व्यवस्था की जा रही है कि राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित विधेयकों अथवा उस के द्वारा पारित अधिनियमों आदि के, अंग्रेज़ी अनुवाद भी तैयार किये जायें । निस्सन्देह इस अनुवाद कार्य में काफी अतिरिक्त व्यय होगा, जिस की कोई आवश्यकता नहीं है । विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अजमेर आदि सभी राज्यों में हिन्दी बोली जाती है । मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी दशा में विभिन्न भाग 'ग' राज्यों में हिन्दी को पीछे ढकेल कर अंग्रेज़ी को प्रमुख स्थान क्यों दिया जा रहा रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कितने भाग 'ग' राज्यों में विधेयकों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : कुर्ग को छोड़ कर इन सभी राज्यों के लोगों की भाषा हिन्दी है ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रामसेन) : श्रीमान्, उपाध्यक्ष जी, पार्ट सी रियासतों के सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मेरे साथी त्रिवेदी जी ने जो बात कही है मेरा ऐसा ख्याल है कि वह बिल्कुल गैर मुताल्लिक है । पार्ट सी रियासतों को खत्म करने का जो मसला है उस के मुताल्लिक तो जो बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) मुकर्रर हुआ है उस की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा और उस वक्त ही यह मालूम होगा कि पार्ट सी रियासतों का भविष्य क्या होगा । इस सिलसिले में उन्होंने एक बात को नज़रअन्दाज़ कर दिया कि अजमेर वालों की क्या राय है । अभी एक साथी ने कहा कि अजमेर के लोग इस से पहले ज़रूर कुछ राय रखते थ जब कि

[पंडित सी० एन० मालवीय]

तमाम इन रियासतों का एकीकरण हो रहा था लेकिन अब जो पार्ट सी रियासतों के रहने वाले हैं उन की राय किस ओर है। अब उन को बजाय खत्म करने के वहां के लोगों की राय यह होती जा रही है कि उन रियासतों को और ज्यादा बड़ा कर के हिन्दुस्तान की जो और रियासतें बनें उन्हीं के समान दरजा दिया जाय।

दूसरी बात कि राजस्थान के लोगों में अजमेर के सम्बन्ध में पूछना या भोपाल के सम्बन्ध में मध्य भारत के लोगों से पूछना यह कोई लोकतंत्रात्मक तरीका नहीं है। इस सिलसिले में भोपाल के लोगों से ही पूछना चाहिये, अजमेर के लोगों से ही पूछना चाहिये कि वह क्या चाहते हैं। यहां के रहने वाले लोग भी हिन्दुस्तान से अलग नहीं हैं। वह भी भारत की एकता को चाहते हैं और हिन्दुस्तान में रहने वाले एक नागरिक की हैसियत से सोचते हैं और वह वही सोचेंगे जो भारत के हित में होगा और उन के हित में होगा।

इस सिलसिले में जो दूसरी बात अंग्रेज़ी और हिन्दी के सम्बन्ध में कही है उसमें त्रिवेदी जी ने यह बात दिखाने की कोशिश की है कि इस अमेंडमेंट के ज़रिये से हम हिन्दी को खत्म करके अंग्रेजी को लाना चाहते हैं। शायद वह यह भूल गये कि अभी अंग्रेजी भाषा चल रही है। अदालतों में चल रही है, हमारी पार्लियामेंट में चल रही है और हिन्दुस्तान के बहुत से ऐसे भाग हैं जहां अभी हिन्दी भाषा का प्रयोग नहीं हो सका है।

एक माननीय सदस्य: त्रिवेदी जी के भाषण में चल रही है।

पंडित सी० एन० मालवीय : तो यह भावना तो अच्छी है और किसी को इस से इख्तिलाफ भी नहीं ह कि हिन्दी भाषा होनी चाहिए और इसके लिए हम कदम भी बढ़ा रहे है, जितना भी हो रहा है उतनी जल्दी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हिन्दी भाषा को पार्ट सी रियासतों के लिऐ कर दिया जायेगा तो उसका परिणाम यह होगा कि सिर्फ वहां वाले उस कानून को समझ सकेंगे और कोई दूसरा जो देखेगा वह मुमकिन है कि न समझ सके। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालम होगा कि उसी अमेंडमेंट में यह प्राविज़न है कि पार्ट सी रियासतों को इस से नहीं रोका गया है कि वह अपनी रीजनल (प्रादेशिक) भाषा में बिल या ऐक्ट पास कर लें। वह अपने यहां की भाषा में चाहे वह हिन्दी हो या और कोई भाषा हो अपने बिल पेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भोपाल की मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। भोपाल में हिन्दी में बिल पेश होते हैं, हिन्दी में उनके ऊपर बहस होती है, हिन्दी में उन पर संशोधन पेश किए जाते हैं। लेकिन आसानी के लिये और उस चीज़ को तमाम हिन्दुस्तान के नक्शे में बिठाने के लिए यह किया जा रहा है कि उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हो। आखिर यह कौनसा मसविदा होगा जिसको हमारे त्रिवेदी जी मानेंगे और जिसका इंटरप्रिटेशन अदालतें करेंगी। जाहिर है कि अभी तक हम इस हालत में नहीं हुए हैं कि हिन्दी कानूनों की सही तरीके से व्याख्या कर सकें। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में अगर त्रिवेदी जी को कोइ कानून के मुताल्लिक मुकद्दमा लड़ना पड़ा तो वह हिन्दी के कानून को तो अपने सामने रखेंगे लेकिन शायद वह इतनी हिन्दी नहीं जानते कि उस अनुवाद को समझ सकें.....

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह बात गलत है शायद मैं आपसे ज्यादा जानता हूं।

पंडित सी० एन० मालवीय : लेकिन जो अनुवाद होता है उससे ज्यादा नहीं जानते होंगें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उस अनुवाद को भी मैं सही कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : "आप से" मानी चेयर, यही बात है न ? पता नहीं कि माननीय सदस्य "चेयर" से अधिक जानते हैं या नहीं ।

पंडित सी० एन० मालवीय : श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, त्रिवेदी जी ने जो तक़रीर की है मैं सिर्फ़ उस का हवाला दे रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि अगर मेरे दोस्त त्रिवेदी जी को उस क़ानून पर किसी अदालत में बहस करने की ज़रूरत होगी तो वह अंग्रेज़ी के अनुवाद को देखेंगे और उसी के अनुसार केसेज़ को करेंगे और उन को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी । ऐसी सूरत में यह कहना कि हिन्दी भाषा को मटियामेट कर रहे हैं या उसको पीछे की ओर हटा रहे हैं यह सही नहीं है बल्कि यह सिर्फ़ आसानी की बात है और इस मामले में यह बात साफ़ कर दी गयी है कि सिर्फ़ उस का जो अंग्रेज़ी का मसिवदा होगा उसे आथारिटेटिव माना जायगा, लेकिन पार्ट सी स्टेट्स को यह अधिकार है कि वे जो अपने क़ानून बनावें या जो बिल लावें उन को हिन्दी में या रीजनल भाषा में बना सकती हैं ।

इस के बाद एक बात और है जिस में यह है कि १ अप्रैल, १९५२ के पहले, चूंकि वहां सी पार्ट रियासतों में लेजिस्लेटिव असैम्बलीज़ नहीं थीं, इसलिये पार्लियामेंट ने कुछ क़ानून उन के लिये बनाये थे या कुछ दूसरे सूबों के क़ानूनों को वहां लागू कर लिया गया था, उस सिलसिले में कुछ क़ानून ऐसा बन गया था कि संशोधन नहीं हो सकता । इस के लिये ज़रूरत थी कि तबदीली की जाय जिस में वहां सी पार्ट की असैम्बलीज़ उन क़ानूनों में भी संशोधन कर सकें । यह बात दूसरी है कि उन क़ानूनों में कुछ तबदीली की जाय या नहीं, लेकिन यह अख्तियार उन को ज़रूर होना चाहिये । जब तक ये सी पार्ट रियासतें हैं वह अगर यह महसूस करें कि पहली अप्रैल सन् १९५२ के पहले ऐसे क़ानून बन गये हैं जिन में कुछ तबदीली करने की आवश्यकता है तो वह उस में तबदीली कर सकें । मेरी समझ में यह कोई लोकतन्त्र के विरुद्ध नहीं है । जब तक सी पार्ट रियासतें हैं उन को यह अधिकार दिया जाना चाहिये । उन को यह अख्तियार है कि स्टेट लिस्ट में जितने क़ानून बने हैं वह उन में संशोधन कर सकें तो फिर सिर्फ़ १ अप्रैल, १९५२ के पहले जो क़ानून बने हैं उन को तरमीम न कर सकें यह बात समझ में नहीं आती । इसलिये इस की पूरी ज़रूरत थी । सी पार्ट की रियासतों की तरफ़ से, वहां के लैजिस्लेचर्स के ज़रिये से, वहां के मिनिस्टर्स के ज़रिये से और वहां के जो अन्य लोग हैं उन के ज़रिये से और जो जनता वहां की है उन की तरफ़ से भी कई रिप्रैजेंटेशन (प्रतिनिधान) किये गये और उस की बिना पर यह तमाम चीज़ें इस बिल में लाई गयी हैं और इन की सख्त ज़रूरत है ।

इस के बाद कनसालिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड की बात है, इस की भी सख्त ज़रूरत है । इस सिलसिले में मैं तमाम सी पार्ट रियासतों की तरफ़ से तो नहीं कह सकता, लेकिन भोपाल की तरफ़ से मैं ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट का मशकूर हूं और वहां की जनता का आभार प्रदर्शित करता हूं । वहां इस से आप ने काफ़ी तरक्की करने का मौक़ा दिया है । एक साहब ने यहां कहा था कि भोपाल को इतना रुपया क्यों दिया जाता है ? इसलिये कि भोपाल में इन्तज़ाम अच्छे तरीक़े से हो रहा है और उस के नतीजे निकल रहे हैं । वहां पर तरक्क़ी करने के लिये जितनी ज़रूरत होती है वह मदद दी जा रही है । लेकिन एक दिक्क़त यह होती थी कि कभी कभी खर्च के लिये रुक जाना पड़ता था और इसलिये वहां ऐसी सूरत आ जाने पर जब कि उन को किसी खर्च की ज़रूरत पड़ती थी तो उन के पास खर्च के लिये कोई फंड ऐसा नहीं था जिस में

[पंडित सी० एन० मालवीय]

से वह खर्च कर सकें। इसलिये इस कंटिंजेंसी फंड के पैदा करने से वहां यह ज़रूरत पूरी हो जायगी और इस तरीक़े से उन के काम में आसानी पैदा हो जायगी।

एक बात की तरफ़ में ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जो कनसालिडेटेड फंड सी पार्ट रियासतों के लिये है इस में अक्सर यह होता है कि जो मंजूरियां हो जाती हैं उन मंजूरियों के बाद केन्द्र में अदाई देर में होती है और जो फंड होते हैं उन के खर्च होने में अक्सर देर हो जाती है और इस वजह से वह लैप्स हो जाते हैं। इसलिये इन के इन्तज़ाम के बारे में यह करना चाहिये कि जो वहां कंटिंजेंसी फंड या दूसरे फंड सी पार्ट रियासतों के लिये हों वह इस तरीक़े से रखे जायं कि जो बजट मंजूर हो जाय, जिस फंड के लिये रुपया मंजूर हो जाय, वह आसानी से फौरन उन को मिल सके और उन को दिल्ली के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पढ़ें जिस से कि उन के काम में ज्यादा रुकावट पैदा होती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और मैं कोई वजह नहीं पाता कि इस में कोई हिन्दी अंग्रेज़ी का सवाल पैदा किया गया है या जो पार्लियामेंट ने किया है उस को मटियामेट करने का सवाल पैदा किया गया है या यह कि जो सी पार्ट रियासतें हैं उन के लिये कोई विरासत लिख दी जा रही है कि वह कभी खत्म नहीं होंगी और जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। इस वक्त जो पोजीशन है उस को सामने रख कर इस अमेंडमेंट बिल को लाने की सख्त ज़रूरत थी।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे राज्य विभाग के मंत्री महोदय ने एक ऐसा विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया है कि जिस में भाग 'ग' राज्यों को कुछ और अधिकार दिये जा रहे हैं, जैसा कि इस विधेयक के आबजैक्ट्स और रीजन्स (उद्देश्य तथा कारण) के बयान में लिखा है: "इस प्रकार के अभ्यावेदन किये गये हैं कि इस अधिनियम के अधीन राज्य विधान-सभायें उन क़ानूनों का संशोधन नहीं कर सकतीं जो पहली अप्रैल, १९५२ से पहले संसद् द्वारा राज्यों के लिये बनाये गये हैं।"

इस सम्बन्ध में तो उन्होंने आप ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाग 'ग' राज्य के प्रधान मंत्रियों ने और भी अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया था। अच्छा होता कि वह तमाम कठिनाइयां जिन का सामना भाग 'ग' राज्यों को करना पड़ रहा है इस विधेयक से दूर हो जातीं। मुझ को एक समाचार से जो हिन्दुस्तान टाइम्स के ६ अगस्त सन् १९५३ के अंक में छपा था, यह बात साफ़ मालूम हुई थी।

इस से यह ज़ाहिर है कि क़रीब क़रीब सब बातों पर समझौता किया गया था और वह सभी बातें स्वीकार कर ली गई थीं। लेकिन जहां तक मुझे इस विधेयक से मालूम हो रहा है वह तमाम बातें इस में नहीं आई जो कि चीफ़ मिनिस्टर्स ने अपने मांगपत्र (रिप्रैजेंटेशन) में पेश की थीं। उन्हों ने कई बातों का उल्लेख किया था। मिसाल के लिये एक तो यह है कि जो कठिनाइयां भाग 'ग' राज्यों में महसूस की जा रही हैं उन को दूर कर दिया जाय। वह इस में कुछ अंशमें किया जा रहा है। इस के अलावा उन की धन खर्च करने की जो शक्ति है, मर्यादा है, उस को भी बढ़ाने के लिये उन्हों ने कुछ मसौदा पेश किया था। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वह यह है कि कर्मचारियों (सरविसेज) पर उन का अधिकार (कंट्रोल) होना चाहिये, इस सम्बन्ध में भी इस बिल में कोई जिक्र नहीं आया।

इस के अलावा राज्य सरकार के प्रधान मन्त्रियों के प्रतिनिधि मंडल की जो बातचीत मन्त्री महोदय से हुई थी उस में यह था कि अभी तक जो वहां की धारा सभाएं हैं, 'ग' राज्यों में, उन को बहुत संकुचित अधिकार हैं, यहां तक कि किसी बिल के मसौदे को पेश करने के पेश्तर उन को यहां केन्द्रीय सरकार के पास भेजना पड़ता है। जब वह यहां से मंजूर हो कर जाता है तभी राज्य सभा में वह पेश होता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : किस क़ानून के मातहत यह मसौदा यहां भेजा जाता है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : किस क़ानून के मातहत विधेयकों के प्रारूप भेजे जाते हैं यह मैं नहीं जानता लेकिन ऐसा व्यवहार (प्रैक्टिस) में हो रहा है। कोई क़ानून हो या न हो यह मैं नहीं कह सकता। मुमकिन है कि यह मन्त्री महोदय की कुछ निजी हिदायतें हों, लेकिन यह जो आजकल चल रही है वह बात है। राज्यों के प्रधान मन्त्रियों ने जो अपना वक्तव्य दिया था और जो आप के सामने बातें रखी थीं उसमें यह साफ़ तौर से कहा था कि यह दिक्कत भी हटा लेनी चाहिये, क्योंकि संविधान (कांस्टीट्यूशन) में यह साफ़ तौर पर लिखा है कि

"राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता।"

कांस्टीट्यूशन में सिर्फ़ इतनी ही बात है कि बिल के पास होने के पहले प्रेसीडेंट की स्वीकृति की आवश्यकता है। इसलिये इस तरह की कठिनाइयों का भी दूर होना आवश्यक था।

एक बात और है जो कि प्रधान मन्त्रियों के प्रतिनिधि मंडल में कही गई थी। वह यह है कि २० हजार से अधिक खर्च वहां के प्रधान-मन्त्री या सरकारें नहीं कर सकतीं। वह चाहते थे कि बड़ी बड़ी रक़में जो बजट में स्वीकृत हो जाती हैं और जो बजट केन्द्र से भी स्वीकृत हो जाती हैं, उस में स्वीकृत धनराशियों का तो वे कम से कम खर्च कर सकें। अभी वह उस स्वीकृत रक़मों में से भी २० हजार से अधिक खर्च नहीं कर सकते। जब बजट राज्य सरकार द्वारा और राज्य सभा द्वारा पारित (पास) हो जाता है और केन्द्रीय सरकार से भी स्वीकृत हो जाता है तो क्या वजह है कि २० हजार से अधिक वह सरकारें खर्च नहीं कर पायें। हमारे देश में भाग 'क' राज्य हैं, भाग 'ख' राज्य हैं, भाग 'ग' राज्य हैं और भाग 'घ' राज्य हैं। इस प्रकार चार क़िस्म की श्रेणियों में वह विभिन्न प्रकार से बंटे हुए हैं। कहने को तो हम यह कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब को हम बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन वस्तुतः अभी 'ग' राज्यों के अन्दर जो कठिनाइयां महसूस हो रही हैं वह भी दूर नहीं हो रही हैं। मैं आशा करता था कि इस विधेयक में उन सब बातों का समावेश कर दिया जायेगा। खैर अभी नहीं किया गया है तो आगे किया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले जब अयोग्यता निवारक विधेयक (रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन बिल) यहां पेश किया गया था तो मैंने मन्त्री महोदय के सामने बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज किया था कि आप इस के अन्दर धारा १७ का भी संशोधन कर दें जिस में उन के बारे में फिर से कोई आपत्ति खड़ी न हो सके। लेकिन उस समय वह बात नहीं मानी गयी। आज वही बात इस बिलमें रखी गयी है। जो बार बार टुकड़ों में एक चीज़ को करने से तो अच्छा यह है कि तमाम समस्याओं पर हम विचार करें और विचार करने के बाद एक पूरा (काम्प्रहैंसिव) क़ानून तैयार करें जिस से समस्याओं का हल बहुत देर तक के लिये हो जाय। मैं उन से फिर से नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा मौक़ा जब कभी आये तो सदस्यों

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

(मैम्बरों) से, राज्य सरकारों से और अन्य लोगों से मशविरा करके यह बातें की जायें तो अच्छा हो। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे।

एक और बात की तरफ़ मैं मन्त्री महोदय की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि अभी जैसा मैं ने कहा, २० हजार से अधिक खर्च करने का अधिकार वहां की राज्य सरकारों को नहीं है, इसी सम्बन्ध में किसी अफसर को विशेष भत्ता यदि राज्य सरकार देना चाहती है तो वह भी नहीं दे सकती। मेरी समझ में इस का भी संशोधन करना आवश्यक था। भाग 'ग' राज्यों के अन्दर अभी तक जुडीशल कमिश्नर कोर्ट्स हैं और वह केवल चीफ़ कोर्ट या हाई कोर्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं, इन में से एक ही व्यक्ति होता है जो जज का काम करता है और वर्तमान समय में जब हम हाईकोर्ट में बेंचेज़ या एक से अधिक जजों की नियुक्ति करते हैं और यदि हम वहां पर बड़े इजलासों का निर्माण करें तो वह ठीक और उचित होगा क्योंकि किसी भी अभियोग (केस) में यह भी संभव हो सकता है कि एक आदमी किसी एक बात से प्रभावित हो जाय, इसलिए यदि हम वहां पर बड़े इजलासों का निर्माण करते तो वह अच्छा होगा। आर्थिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्रियों ने निवेदन किया था कि या तो आप ऐसा करें कि उन को पास पड़ौस के किसी राज्य के हाईकोर्ट से मिला दें, यदि ऐसा न हो सके, तो भाग 'ग' राज्यों के जितने आयुक्त न्यायाधीश (जुडीशल कमिश्नर्स) हैं उन को मिला कर एक हाईकोर्ट का निर्माण कर दें, ताकि वह सब मिल कर विभिन्न राज्यों में अलग अलग न्याय करें।

डा० काटजू : मैं बीच में यह बता देना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को ठीक सूचना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो बात मैं आपको बतला रहा हूं, वह हिन्दुस्तान टाइम्स की १ सितम्बर, सन् १९५३ की रिपोर्ट के आधार पर आश्रित है,

डा० काटजू : आज १६ फरवरी है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आज अगर हालत में सुधार हो गया है, तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने सुधारों की जो योजना बनायी होगी, वह सुधार हमारे समक्ष आयेंगे।

अब इस बिल के सम्बन्ध में जो उद्देश्य और कारण (आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स) दिये गये हैं उस में भाषा के ऊपर भी संशोधन पेश किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं हमारे संविधान में जो भाषा सम्बन्धी धारा है, उस में स्पष्ट लिखा है कि संघ की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी होगी। लेकिन भाग 'ग' राज्यों के संशोधन विधेयक में लिखा है :

"भाषा अंग्रेजी होगी"

मैं मानता हूं कि आगे चलकर मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि जहां कहीं दूसरी भाषा राज्य सरकार ने प्रचलित कर दी हो, वहां अंग्रेजी का अनुवाद जो गजट में शाया होंगे, वह प्रमाणित मान जायेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद प्रमाणित माना जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि जब हमारे राज्य की भाषा हिन्दी है, तो उसको क्यों नहीं माना जाता और जब संविधान (कांस्टीट्यूशन) में स्पष्ट लिखा है कि हमारे राष्ट्र की भाषा हिन्दी होगी, उचित और न्यायसंगत है कि हिन्दी भी मान लेना चाहिये और साथ ही अंग्रेज़ी का अनुवाद भी प्रमाणित मान लिया

जाय उस समय तक जब तक कि यह पन्द्रह वर्ष की अवधि पूरी नहीं होती। मैं आपको बतलाऊं विभाग 'ग' राज्यों में अधिकतर हिन्दी में ही काम होता था और मैं भी एक ऐसे राज्य से आता हूं जो 'ग' भाग में सम्मिलित है और इस नाते मुझे वहां का अच्छी तरह ज्ञान है और मैं आपको बताऊं कि अभी तक वहां सारा राज काज हिन्दी में चलता था और कोई आपत्ति नहीं की जाती थी...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से इस संशोधन के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद ३४८ में यह बात नहीं दी गई है कि विधेयकों की भाषा अंग्रेज़ी होगी। संविधान के अनुच्छेद ३४८ के उपखण्ड (ख) में दिया गया है कि अंग्रेज़ी भाषा ही होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी हां, तभी तो मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि अंग्रेज़ी भाषा में भी विधेयक, नियम तथा विनियम बनाये और परिचालित किये जा सकते हैं। जो बात मैं कहता हूं वह यह है कि हिन्दी के अलावा अंग्रेज़ी भी मानी जाय जैसा कि हमारे संविधान ने माना है। अंग्रेजी में भी बिल और क़ानून संकल्प आदि छापे जायें, लेकिन वहां राज्य की प्रधान भाषा हिन्दी हो और अंग्रेज़ी भाषा दूसरी भाषा हो और साथ ही बिल आदि के जो अंग्रेज़ी अनुवाद हों, उनको प्रमाणित माना जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह तो अब भी मौजूद है, ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां की भाषा अंग्रेज़ी कर दी गई।

श्री एम० एल० द्विवेदी : नहीं, बहुत फ़र्क पड़ गया है, अब वहां जितनी कार्रवाई है, वह सब अंग्रेज़ी में चलती है। विन्ध्य-प्रदेश, भूपाल और अजमेर में जहां पर पहले सब काम काज हिन्दी में होता था, वहां अब अंग्रेज़ी में होता है .....

डा० काटजू : भूपाल में तो सब फ़ारसी और उर्दू में होता था, भूपाल में तो सब काम हिन्दी में नहीं होता था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वहां आप हिन्दी कर दीजिये, हिन्दी तो हमारे मुल्क भर की भाषा है, साथ में अंग्रेज़ी भी चले, मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेज़ी न रहे, लेकिन आम काम काज जो वहां पहिले सब हिन्दी में चलता था, वह चलता रहे। आज आपके उसमें नये संशोधन करने से यह हो गया कि लोगों को जो दफ्तरों और कचहरियों आदि से सरकारी कागज़ों और मिस्लों की नक़लें दी जाती हैं वह अंग्रेज़ी में दी जाती हैं और जनता को उनका हिन्दी में अनुवाद करने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है और उसके लिये प्रति पृष्ठ तीन तीन और चार चार रुपये तक खर्चने पड़ते हैं। जनता को हिन्दी में उनका अनुवाद कराने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राज्य की तरफ़ से ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि उनको हिन्दी की प्रतिलिपियां मिल सकें जो कि भाग 'ग' राज्यों के निर्माण के पेश्तर उनको मिला करती थीं।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़-ज़िला बिजनौर—उत्तर) : यह बात मेरे ज़िले में भी हुई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। ऐसी कोई योजना बनाई गई होती जिससे राज्य के निवासियों को अपना काम काज हिन्दी में चला सकने की सुविधा होती, यदि केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क रखने के लिये या किन्हीं दूसरों से बातचीत करने के लिये खतोकिताबत (पत्र व्यवहार)

[श्री ए० एम० द्विवेदी]

करने के लिय यदि आवश्यक होता, तो अंग्रेज़ी ज़बान भी वहां रखी जाती और अंग्रेज़ी में बिल्स आदि के अनुवाद छापे जायें और गज़ट प्रकाशित हों, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो प्रथा वहां पर अब तक चलती आई है, उसको मिटा कर एक दूसरी प्रथा उन राज्यों पर लाद दी जाय, मुझे यह उचित नहीं जान पड़ता। मैं इस सम्बन्ध में बाद में एक संशोधन भी पेश करूंगा। 'ग' राज्यों के विषय में इन शब्दों को कहने के पश्चात् मैं दो शब्द और कहूंगा और वह यह हैं कि हमारे संविधान में 'ग' राज्यों का निर्माण एक अजीब तरीके से हुआ। पहले केवल तीन राज्य ऐसे थे जो 'ग' राज्य थे उदाहरणार्थ दिल्ली, कुर्ग और अजमेर। एकीकरण और विलीनीकरण के समय कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर 'ख' किस्म के राज्य नहीं बन सके। और वहां पर हमको 'ग' किस्म के राज्यों का निर्माण करना पड़ा। उन में से कुछ जब तक 'ख' भाग के राज्य थे तब तक उनको वह तमाम सुविधायें प्राप्त थीं जो 'ख' भाग वाले राज्यों को अब प्राप्त हैं, चाहे जो भी कारण हो, वहां के राजप्रमुख ठीक से काम नहीं कर सके या मंत्रीगण ठीक प्रकार से काम नहीं कर सके और इसलिये वह 'ग' राज्य बना दिये गये और उनकी तमाम सुविधायें उठा ली गयीं। मिसाल के लिये मैं कहता हूं कि इनकमटैक्स का जो क़ानून लागू होना था वह विन्ध्य प्रदेश में लागू नहीं होता अगर वह 'ख' भाग का राज्य रहता और जिस तरह से दूसरे भागों को यह सुविधा दी गई है कि पांच वर्ष के बाद इनकमटैक्स लगेगा या दस वर्ष के बाद लगेगा तो जहां तक इनकमटैक्स लगाने का सवाल था उसको भी यह सुविधा प्राप्त होती। लेकिन उसको 'ग' भाग में शामिल किया गया और वहां इनकमटैक्स एकदम लागू किया और केन्द्र के और दूसरे क़ानून लागू किये लेकिन जहां तक उस राज्य की तरक्की करने और दूसरे राज्यों के मुक़ाबिले उन राज्यों में सुख सुविधा पहुंचाने का सवाल था, उपेक्षा की नीति बर्ती गई। इसलिय मेरा कहना यह है कि जहां तक संभव हो ऐसे राज्य जहां कि तरक्की नहीं हुई थी, उनकी तरक्की के लिये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि वे राज्य पूर्णरूप से आपके आश्रित हैं; वे केन्द्र के आश्रित हैं। वहां के जो मंत्रिमंडल हैं वे इतने समुन्नत नहीं हैं कि वे दूसरे राज्यों का मुक़ाबिला कर सकें, उनके पास इतना धन भी नहीं है और वह केन्द्र के द्वारा प्रशासित हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि क़ानून बनाते वक्त इन तमाम बातों के ऊपर विचार कर के यदि संभव हो सके तो एक संशोधन बिल लायें जिस में इन सब चीजों का समावेश हो। इस अवसर पर और अधिक न कह कर इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद–पश्चिम) : महोदय, मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई विचार नहीं था। परन्तु अभी मैं ने जो विधेयक सामने है, उसमें हिन्दी सम्बन्धी धारा जो पढ़ी तो मुझको जान पड़ा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। यह तो मैं मानता हूं कि पन्द्रह वर्ष तक हमारे संविधान के अन्दर अंग्रेज़ी को अवसर दिया गया है।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : उसमें से चार साल निकल गये।

श्री टंडन : परन्तु यह बात भी स्पष्ट है और केन्द्रीय सरकार भी यह मानती आई है, कि उसका कर्तव्य है कि अपने शासन के कामों में जहां तक संभव हो हिन्दी को सहारा दे।

४ म० प०

संविधान की किसी धारा को तोड़ने का या उसका अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न मैं नहीं उठाता। मैं स्वयं अपने को संविधान से, जब तक वह है, बंधा हुआ मानता हूं। मैं उसके बदलवाने का प्रश्न उठा सकता हूं, यत्नवान भी हूंगा। मैं संविधान में हिन्दी के बारे में जो अनुच्छेद हैं उन में से कई एक को गलत मानता हूं। परन्तु आज वह प्रश्न नहीं है, मैं उससे उतना ही बंधा हुआ हूं जितने कि हमारे मंत्रिगण बंधे हैं। इस कारण मैं कोई अनर्गल प्रश्न नहीं उठाऊंगा कि जिसमें संविधान के विरुद्ध कोई बात कही जाय या करने को कही जाय। परन्तु मैं यह चेतावनी देता हूं कि अनावश्यक रीति से कोई धारा रखना जब उसकी आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी के ऊपर बल और उसकी ओर बार २ झुकाव देना, यह नीति के और संविधान की मंशा के भी विरुद्ध है। आपको हिन्दी को सहारा देना है संविधान के भीतर। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं, जिन्होंने बिल सामने रखा है, कि आज यह जो धारा उन्होंने रखी सो क्यों? क्या कोई मामले ऐसे आये किसी सी क्लास स्टेट से, जिसके कारण उनको यह रखना पड़ा? संविधान स्पष्ट है इस बात में कि हर राज्य को अधिकार है कि वह अपनी भाषा में काम करे। हमारे मंत्री जी ने सिर हिलाया इसलिये मुझको संविधान का अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है। (अनुच्छेद) ३४५ में है :

"अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।" उस के साथ 'प्राविज़न' भी है। यह स्पष्ट है कि हर एक राज्य को अपने यहां अपनी भाषा द्वारा काम करने का अधिकार है।

यह प्राविज़न तो सिर्फ वहां के लिये है जहां पर कि कोई ला स्वीकृत नहीं हुआ। परन्तु स्पष्ट है कि हर एक राज्य को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्रीय भाषा के सम्बन्ध में अपना निश्चय करे। इसके अनुसार कुछ प्रदेश तथा कुछ राज्य कर भी चुके हैं। मेरा अनुमान है कि बहुतों ने कर लिया है। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात तो जानता हूं जहां मैं स्वयं विधान-सभा का अध्यक्ष था। वहां मेरी अध्यक्षता में ही इस प्रकार का अधिनियम इस प्रकार की विधि निश्चित हो चुकी थी, कानून मंजूर हो चुका था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपने पहले ही से कर दिया था।

श्री टंडन : मेरी अध्यक्षता में वह स्वीकार हुआ या इस प्रकार का अधिकार हर एक राज्य को है संविधान में यह भी। स्पष्ट है कि जहां अपनी भाषा के बारे में कोई कानून पास भी हो गया हो वहां भी अधिनियमों, आज्ञाओं आदेशों आदि का अंग्रेजी में अनुवाद उस शासन को प्रकाशित करना होगा। जो अनुवाद प्रकाशित होगा अंग्रेजी में वह संविधान के शब्दों में 'अथारिटेटिव टेक्स्ट' माना जायेगा। आज आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि संविधान के एक अनुच्छेद के अंश को इस विधेयक में आपने रक्खा? अगर रखना ही है तो मेरा सुझाव है कि आप देखिये ३३ए की भाषा को। आपने इस में 'प्राविजन' दे कर कुछ सहारा तो क्षेत्रीय भाषा को दिया है लेकिन जो असली अनुच्छेद है, जो मुख्य वाक्य है, उसमें आपने कहा है कि हर एक बिल इत्यादि, आर्डर इत्यादि अंग्रेजी भाषा में होगा। यह तो अशुद्ध भी है। यह सही है कि इस अशुद्ध चीज को लिख कर 'प्रोवाइडेड दैट' कह कर, एक अपवाद देकर उसे संभाला है। परन्तु प्रारम्भ आपने किया एक

[श्री टंडन]

अशुद्ध बात से । वह बात अपने में अशुद्ध है, अनर्गल है, संविधान के विरुद्ध है । एक गलत चीज को रख कर, विधान के अन्दर "प्रोवाइडेड दैट" लिख कर .....

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : "प्रोवाइडेड दैट" रीज़नल लैंग्वेज के लिये है । हिन्दी के लिए नहीं ।

श्री टंडन : तो मैं आप से कहता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है क्योंकि इस "प्रोवाइडेड दैट" में जैसा मेरे भाई ने अभी कहा हिन्दी के लिये नहीं कहा है । अगर हिन्दी नहीं है तो वह धारा संविधान के अनुच्छेद ३४५ के विरुद्ध जाता है क्योंकि हर एक स्टेट को अधिकार है, ट्रावनकोर तक को अधिकार है कि वह अपने यहां हिन्दी रखे । मैं यह आप से यह कहता हूं कि इस का अर्थ यह है । वह हिन्दी रखेगा नहीं, परन्तु हिन्दी रखने का अधिकार ट्रावनकोर कोचीन को है । मैसूर को अधिकार है कि वह चाहे तो हिन्दी को अपने यहां की भाषा रख सकता है । आपने इस क्लाज़ से इस को रोक दिया है । मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप को केवल यह देखना है कि क्या कोई , "लैकुना" जैसा आपने कहा था, कोई कमी रह गई है । मेरा कहना है कि किसी कमी का प्रश्न नहीं उठता । संविधान सबके ऊपर है । और अगर कहीं पर आपको कोई कमी दिखलाई पड़ती है तो मेरा कथन यह है कि आप इस पहले वाक्य को हटा दें । जहां आपने कहा है :

"धारा ३३ में किसी बात के होते हुये भी , जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे,

(क) किसी राज्य की विधान-सभा में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों या उन पर प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधनों के प्राधिकृत पाठ ;

(ख) किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों, के अधिकृत पाठ ; तथा

(ग) किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे ।"

मैं कहता हूं कि इसको आप हटा दें । हां, जो आपका प्राविजन इस में है उसको मेन टेक्स्ट बनाइये, जिसको आपने "प्रोवाइडेड दैट" करके लिखा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा संशोधन इसी भांति है ।

श्री टंडन : आप यह स्पष्ट कर दें कि बिल्स का, रेगुलेशन्स का, आर्डर्स का अथारिटेटिव टेक्ट' अंग्रेज़ी में होगा ।

यह संविधान कांस्टीट्यूशन में भी है । आप उसको इसमें धर दें । ३४५ के अन्दर जो अधिकार है उसको आप मान कर आगे चलें। यदि आप इस कानून में भाषा सम्बन्धी धारा आवश्यक समझते हैं तो कुछ शब्दों में आप ३४५ का हवाला दें कि हर राज्य को अधिकार है कि वह अपने यहां हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा रखें और आप यह भी हवाला दे दें कि 'अथारिटेटिव टेक्स्ट' अंग्रेज़ी में हो जैसा कि संविधान की धारा ३४८ में कहा गया है । इसमें आपका कुछ बिगड़ता नहीं है । मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि मेरे इस सुझाव के अन्दर क्या 'लेक्यूना' रह जायेगा । यह मैं जानना चाहूंगा मेरा विचार है कि बिल्कुल पूरा काम

होता है । अपने मसौदे में आप मजबूर कर रहे हैं, अंग्रेज़ी को चढ़ा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं । हर रियासत को मजबूर कर रहे हैं कि वह अंग्रेज़ी में काम करें । जिस रियासत में दम है वह आपकी बात फेंक देगी । अगर मैं कहीं चीफ मिनिस्टर होऊं तो मैं तो उस 'प्रोवाइजो' के अन्दर हिन्दी को रखूंगा । बात स्पष्ट है । मगर मैं जानता हूं कि राज्यों के साधारण मिनिस्टर कमजोर होते हैं । वह यह समझेंगे कि आपने जो यह लिख दिया है कि, "शैल बी इन दी इंगलिश लैंग्वेज" यह उनको दाब रहा है । वह 'प्रोवाइज़ो' का पूरा लाभ नहीं उठायेंगे । जैसा कि अभी मालूम हुआ कि कई जगह अंग्रेज़ी चल रही है । आवश्यकता नहीं है चलने को । उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ी नहीं है । मैं ने अपने सामने सही रूप दे कर स्पीकरी छोड़ी थी । वहां आज भी वही है । नहां अंग्रेज़ी नहीं चल पाई है । कांस्टीट्यूशन की मजबूरी की वजह से अंग्रेज़ी में बिलों, आदेशों आदि का अनुवाद अवश्य हो जाता है । परन्तु वहां का काम हिन्दी में होता है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह ऐसा रूप दें कि लोगों को यह बहकावा न हो, यह धारणा न हो कि जो कुछ वह काम करें वह अंग्रेज़ी में हो । "शैल बी इन दी इंगलिश लैंग्वेज" । यह न रखिये । जितना संविधान के अन्दर आवश्यक है उतना ही आप बचाव करें । मेरा यह नम्रता से सुझाव है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : श्रीमान्, विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री ने बताया कि यह विधेयक अविवादास्पद है, किन्तु सदन के दोनों ओर से अभी जो चर्चा चली है उससे स्पष्ट है कि इस पर काफ़ी विवाद हो सकता है । इस विधेयक में जो बातें अधिक कही गई हैं अथवा जिन का लोप किया गया है उनके लिये मैं ज़ोरदार शब्दों में, अपने दल की ओर से इसकी गर्हणा करना चाहता हूं जहां तक लोप की गई बातों का सम्बन्ध है, हमें यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि भाग ग राज्य अधिनियम के अधीन भाग ग राज्यों में अलोकतंत्रात्मक पद्धति का निवारण करने के स्थान पर वहां के प्रशासन में इस बुराई को मौजूद रखा जा रहा है, इतना ही नहीं अपितु इस विधेयक ने भाग ग राज्य अधिनियम के अलोकतंत्रात्मक-स्वरूप को और भी भीषण बना दिया है ।

श्रीमान्, हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त है और इस नाते ब्रिटिश आदर्शों की अंधाधुंध नक़ल चल रही है और भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में तो औपनिवेशिक प्रशासन की पद्धति की नक़ल उतारी गई है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विशेषता यह थी कि उसने कई उपनिवेशों में अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली और कई अन्य उपनिवेशों में कुछ कम उत्तरदायी शासनप्रणाली तथा अन्य उपनिवेशों में बिल्कुल अनुत्तरदायी शासन प्रणाली चलाई थी । और अब यहां भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में उसी प्रकार की बिल्कुल अनुत्तरदायी शासन प्रणाली चल रही है । त्रिपुरा, कच्छ और मनीपुर को भाग ग राज्यों की श्रेणी में रख कर उत्तरदायी शासन प्रणाली से वंचित रखा गया है, यद्यपि ऐसा कदम उठाने में कोई भी तुक नहीं । वहां न तो विधान-सभायें हैं और न अपनी सरकारें हैं, यद्यपि व उत्तरदायी शासन प्रणाली के लिये दुहाई दे रहे हैं । इस विधेयक में इन तीनों राज्यों की उपेक्षा की गई है ।

दूसरे यह कि अन्य भाग ग राज्यों यानी अजमेर, भूपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में जिस प्रकार की उत्तरदायी शासन प्रणाली बनाई गई है, उसे भी लोकतंत्रात्मक प्रशासन नहीं कहा जा सकता, वहां की निर्वाचित विधान-सभा के निर्णय की हर बात पर राष्ट्रपति अपना विनिर्णय दे सकता है । सांविधानिक विधि जानने वाले इस बात को जानते होंगे कि

[श्री साधन गुप्त]

राष्ट्रपति के देश में, वस्तुतः केन्द्रीय सरकार ही को इस बात का अधिकार प्राप्त है। यानी लोगों द्वारा निर्वाचित विधान-सभा एक ढंग से काम करेगी और केन्द्रीय सरकार उसको बदल कर और कोई ढंग चलाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सामान्य नीति पर इतने समय तक बोला है। यह विधेयक के विशेष उपबन्धों पर बोलें।

श्री साधन गुप्त : श्रीमान्, धारा २८ को संशोधित करने से संचित निधि में से एक और मद की मांग की गई है। दूसरे यह कि एक आकस्मिकता निधि बनाई गई है, किन्तु प्रश्न यह है कि आकस्मिकता निधि कैसे बन सके। यहां तो यह बात होगी कि राज्य की विधान-सभा से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अथवा केन्द्रीय सरकार के कहने पर इस बात का निश्चय होगा कि राज्य के राजस्व में से आकस्मिकता-निधि को कौनसा और कितना चन्दा दिया जाएगा ? किन्तु यह ब्रिटिश प्रशासन की नक़ल होगी और औपनिवेशिकता की बात को ताज़ा करती रहेगी। आखिर भाग ग राज्य कोई उपनिवेश नहीं न तो कोई शत्रु हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय।

श्रीमान्, भाषा सम्बन्धी प्रश्न से एक प्रतिक्रियावादी बात पैदा हो जाती है। यह उपबन्धित हुआ है कि सरकारी भाषा, वह चाहे कुछ भी हो, जारी रहे किन्तु विधेयकों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। भला ऐसी बात क्यों ? प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय जागृति में भाषा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और विदेशी सबसे पहले भाषा पर ही प्रहार करते हैं। इस विधेयक द्वारा हम अपने देश की भाषा पर क्यों कुठाराघात करें। मुझ से पहले बोलने वाले किसी माननीय सदस्य ने कहा था भूपाल में विधायन कार्य करने वाले व्यक्ति इतनी अंग्रेज़ी नहीं जानते कि वह अंग्रेज़ी में कार्यवाही कर सकें। और अब यदि ऐसी ही बात हो तो अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ रखने का क्या तुक है ? यदि आज तक यह काम हिन्दी या किसी प्रान्तीय भाषा में होता चला आया है, तो उसी को क्यों न रहने दिया जाय। हम अंग्रेजी का बहिष्कार चाहते हैं अतः हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा को पनपाने और बढ़ाने के लिये अंग्रेजी भाषा को बहिष्कृत कर देना चाहिये। जब तक अंग्रेजी भाषा रहेगी तब तक हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषायें पनप नहीं सकतीं। अब बताइये कि त्रिपुरा के न्यायालय अपनी कार्यवाही बंगला में करते रहे हैं, और यदि इस विधेयक को चालू किया गया तो उन्हें पुनः अंग्रेजी में काम करना पड़ेगा। आप ही बताइये कि यह कितनी बेतुकी बात है। यदि कोई विधान-सभा किसी विधेयक को हिन्दी में रखे, हिन्दी में उस पर चर्चा करे, हिन्दी में उसे समझे, तो अंग्रेजी में 'प्राधिकृत' अनुवाद देने का अधिकार क्या है ? अनुवाद मूल वस्तु नहीं बन सकता; यदि कोई बात मूल रूप से हिन्दी में कही गई है तो कैसे उसका अंग्रेजी अनुवाद उसकी अभिव्यक्ति को किस प्रकार सही और ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है ? सच तो यह है कि सर्वश्रेष्ठ अनुवादक भी कभी-कभी विधेयक के वास्तविक अभिप्राय को नहीं व्यक्त कर सकते। अतः इस बात पर अड़ जाना कतई बेतुका है कि प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होना चाहिये। यह बेतुका ही नहीं बल्कि कतई राष्ट्रीयता और देशभक्ति के विरुद्ध है, और इसकी ज़ोरदार शब्दों में गर्हणा की जानी चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक पूर्णतया विवादास्पद है। इस विधेयक के कई अंश तो विशेष रूप से विवादास्पद हैं क्योंकि उन के कारण भाग ग राज्यों की लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विध्वंस होगा और प्रादेशिक भाषा अथवा हिन्दी भाषा के विकास में गतिरोध पैदा होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर जो बहस हो चुकी है उससे भाषा के बारे में पूरा कनफ्यूजन (गड़बड़) सा नज़र आता है। जिस वक्त कि यह बिल हाउस में पार्ट सी स्टेट्स का पास हुआ उस वक्त इसमें दफ़ा ३३ रखी गयी थी।

जनाब मुलाहज़ा फ़रमावेंगे कि कांस्टीट्यूशन की दफ़ा ३४५ का इसमें हवाला नहीं है, स्पैसिफिक तरीके से, गो कि पार्ट १७ की तरफ़ इस दफ़ा ३३ में ज़रूर हवाला है।

इसके साथ जब जनाबवाला ३४८ दफ़ा का मुलाहज़ा फ़रमावेंगे तो रोशन होगा कि ३४८ का पहला हिस्सा ऐसा है कि जिस को जब तक कि तबदील न किया जाय, और पार्लियामेंट नया कानून न बनावे तब तक न होम मिनिस्टर, न स्टेट गवर्नमेंट और न कोई और इसमें तबदीली कर सकता है। उसके अल्फ़ाज़ बिल्कुल साफ़ हैं। वह यह हैं :

"इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों (यानी व्यवहारिक रूप में अनुच्छेद ३४६) में किसी बात के होते हुये भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक--,(अगर पार्लियामेंट हुक्म दे दे, यह दूसरा सवाल है)

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां;

(ख) जो--

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ;

(२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सबके प्राधिकृत पाठ; तथा

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायं उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।"

इसको नरम करने के वास्ते, जहां तक अप्लाई करते हैं वहां पर पार्ट २ है इसका सब-क्लाज २ है :

"खंड (१) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुये भी किसी राज्य का राज्यपाल राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्च यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।"

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक इस कांस्टीट्यूशन का सवाल है, पार्ट सी स्टेट्स में यह गैरमुमकिन है कि हम एथारिटेटिव टेक्ट्स को या ऐक्ट्स को या रेलेवेन्ट रेगुलेशन्स को सिवा अंग्रेजी लैंग्वेज के दूसरी ज़बान में कर सकें क्योंकि उसके अल्फ़ाज़ इम्पेरेटिव (आदेशात्मक) हैं।

जहां तक ए० और बी० स्टेट्स का ताल्लुक है, इसका पार्ट २ गर्वनर और राजप्रमुख को रेफ़र (निर्दिष्ट) करता है, इन अगराज़ के वास्ते ए० और बी० स्टेट्स में जो यह रियायत दी गयी है, इसके प्राविज़न्स को एक तरह से नरम करने की कोशिश की गयी है। जहां तक पार्ट सी स्टेट्स का ताल्लुक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है, वहां न गवर्नर होते हैं और न राजप्रमुख होते हैं। सेक्शन २३ ए ओरिजनल ऐक्ट में था, उसकी रू से लेजिस्लेटिव असेम्बली की कार्रवाई हिन्दी या रीजनल लैंग्वेज में हो सकती थी, लेकिन जहां तक एथोरिटेटिव टेक्स्ट्स का सवाल था जैसा ३४८ के भाग १ में दर्ज है, उसके वास्ते किसी क़िस्म का हुक्म नहीं था। अब जो नया बिल आया है, उसमें सेक्शन ३३ ए में ३४८ (१) रिप्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन ३४८ को एक हद तक जहां तक वह पार्ट सी स्टेट्स को एप्लाई करता था उसको लागू करने की कोशिश की गयी है। पार्ट सी स्टेट्स के भाइयों की शिकायत है कि उनके राज्यों में पहले की अपेक्षा अब अंग्रेज़ी अधिक रायज हो गयी है, मैंने यह भी देखा है कि जहां पहले सेशन कोर्ट या दूसरे कोर्टस में अंग्रेज़ी में बयानात नहीं लिखे जाते थे, वहां अब अंग्रेज़ी में बयानात लिखे जाते हैं, वहां नये स्टेनो दिये गये हैं और वहां अंग्रेज़ी में रेकार्ड रक्खा जाता है और यह ठीक भी मालूम देता है क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में होती हैं। मैंने उस ज़माने में कोर्टस में प्रैक्टिस की है जब कांस्टीट्यूशन नहीं बना था और मैंने देखा है कि कचहरियों में बयानात वगैरह हिन्दी में होते थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चन्द ही दिन हुए जोधपुर हाई-कोर्ट में मैं सारी बहस हिन्दी में ही करके आया हूं, वहां अंग्रेज़ी में सारी बहस नहीं होती, वहां कुल कार्यवाही हिन्दी में ही होती है, वहां सब के सब वकील अंग्रेज़ी जानने वाले भी नहीं हैं। जहां पहले हिन्दी ही रायज थी और अंग्रेजी नहीं थी वहां अब अंग्रेज़ी को जारी करना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि वहां के निवासियों की शिकायत जायज़ जान पड़ती है। अलबत्ता जहां तक टेक्स्ट्स का ताल्लुक़ है, मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बिल में ३३ ए में जो प्राविजन आया है, सिवाय इसके और कोई दूसरा प्राविज़न नहीं आ सकता जब तक कि दफ़ा ४८ कांस्टीट्यूशन में मौजूद है और कांस्टी-ट्यूशन की यह दफ़ा ३४८ सब जगह एप्लाई करती है, देश के अन्दर यह बड़ी नियामत है और मैं समझता हूं कि विधान परिषद् के अन्दर इस धारा को जो बनाया गया वह बिल्कुल ठीक ही किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी अदालत है, जिसका कि काम सारे क़वानीन का इंटरप्रेटेशन करना होता है और वहां जब तक सारा काम अंग्रेज़ी में चलता है तब तक यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि सेशन कोर्टस अथवा और दूसरे कोर्ट्स में अंग्रेजी में काम न किया जाय। जब तक हम हर एक चीज़ में अंग्रेज़ी को हिन्दी से बदल न दें तब तक हमें अंग्रेज़ी में अपने काम काज को चलाना होगा। यह मुमकिन है कि कई हिस्सों के अन्दर जहां हिन्दी प्रचलित है वहां तो हिन्दी में सब काम काज ठीक तरह चलेगा लेकिन सारे देश के वास्ते यह एक दम से मुमकिन नहीं है कि दफ़ा ३४८ को जब तक पार्लियामेंट रिपील न करे, हम उसमें तबदीली नहीं कर सकते और मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक वह दफ़ा मौजूद है, यह मांग करना कि बिल्स, ऐक्ट्स या अमडमेंट्स हिन्दी में शाया हों, दुरुस्त नहीं है। लेकिन साथ ही मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे पूज्य टंडन जी ने भारतीय संविधान की धारा ३५१ का हवाला देकर कहा गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि हिन्दी लैंग्वेज को बढ़ाये और उसको डेवलप करे और उसको रायज करे। अब चार वर्ष गुज़र गये हैं और थोड़ा ही अर्सा रह गया ह, और इस ओर हाउस में जो गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया गया है वह सब दुरुस्त है और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जहां तक

इस विधेयक का ताल्लुक़ है मैं नहीं देखता कि इसमें क्या दबदीली की जा सकती है ? इस बिल का बहुत सारा हिस्सा तो फिलवाक़य नान-कंट्रोवर्सियल था और जैसा कि हमारे होम मेम्बर साहब ने फ़रमाया क्या इस बिल की मुख़ालफ़त करने वाले यह चाहते हैं कि कंसालिडेटेड फंड आफ़ दी स्टेट न रहे ? और क्या वह इस फंड के मातहत स्टेट को जो लोन और ग्रान्ट दी जायगी उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करते। कंटिंजेंसी फंड जो हमने स्टेट के लिए रक्खा है क्या वह उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करते और क्या वह हमने ग़लत रक्खा है ? इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर नुक्ताचीनी करना नावाजिब था। जिस वक्त पार्ट सी स्टेट्स बनी थीं, उस वक्त हमने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की ख़िदमत में अर्ज़ किया था कि इन छोटे छोटे आइलेंडस को न बनाइये, यह परपीचुएट हो जायेंगे। अजमेर के लोग कितनी दफ़ा सरदार पटेल की ख़िदमत में हाज़िर हुए कि हमारी अलहिदा स्टेट न बनायें, लेकिन गवर्नमेंट ने ज़बर्दस्ती एक अलहिदा स्टेट बना डाली, छोटी छोटी स्टेट्स बनायी हुई हैं और सिवाय इसके कि ख़र्चा वहां अधिक बढ़ जाता है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्गेनाइज़शन आफ़ दी स्टेट्स के लिए जो नया कमीशन बना है, वह इसकी तरफ़ पूरी तवज्जह देगा और ठीक ठीक यूनिट्स बनायेगा।

इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से बहुत अदब से एक चीज़ समझना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझा कि सेक्शन २ के अन्दर जो अमेंडमेंट किया जाता है और इन अल्फ़ाज़ को जोड़ा जाता है : "or of any law made in pursuance of that article" ["अथवा किसी विधि का जो उस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई हो"] इसकी क्या ज़रूरत है। मेरी अदब से गुज़ारिश है कि जब दफ़ा १०२ को मलाहिज़ा फ़रमायेंगे तो देखेंगे कि वह बज़ात ख़ुद एक मुकम्मिल दफ़ा ह। उसके अन्दर जो क़वानीन का ज़िक्र है वह बजात ख़ुद काफ़ी हैं और इन अल्फ़ाज़ को उसमें जोड़ने की क़तई ज़रूरत नहीं ह। जो असल चीज़ जिसके अन्दर सबको समझते हुए बड़ी दिक्क़त हुई वह यह थी जो २५४ के मुताल्लिक़ है। होम मिनिस्टर साहब न उद्देश्य तथा कारण विवरण में यही कहा कि इस अधिनियम से राज्य विधान-सभायें राज्यों की विधियों में, जो संसद् के १ अप्रैल, १९५२ से पहले 'राज्य सूची' में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में बनाई हैं, कोई भी संशोधन नहीं कर सकतीं

जनाब मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे कि स्टेट लिस्ट के अन्दर जो क़ानून हैं उनके बारे म उन्होंने महसूस किया कि पहली अप्रैल सन् ५२ के पहले जितने क़ानून बने थे, उनको वह स्टेट तबदील नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो पुरानी दफ़ा थी, उसके अन्दर उनको कोई हक़ नहीं था कि जो पार्लियामेंट न क़ानून बना दिया उस क़ानून की दफ़ा २२ की रू से वह स्टेट्स हाथ नहीं लगा सकती थीं लेकिन जो दूसरी कौनकरेंट लिस्ट (साथ चलने वाली सूची) हैं उनके बारे में स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में क़तई कोई ज़िक्र नहीं है सब स्टेट लिस्ट का ज़िक्र है। लेकिन अब जो नया क़ानून बनाया गया है और दफ़ा ४ के अन्दर जो तबदीली की जा रही है वह कौनकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों के बारे में है। मैं समझता हूं कि शिकायत यह थी कि इस क़ानून को इतना वाज़ क्यों नहीं बनाया गया कि वह दोनों को कवर कर ले। हमने पार्ट सी स्टेट्स को क़ायम करते वक्त इस उसूल को तसलीम किया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता पार्ट सी स्टेट्स को भी वह अख़्तियारात दे देंगे जो ए० और बी० को हासिल थे।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पहले पार्ट सी स्टेट्स के बारे में जो बिल आया था वह इतना निकम्मा और संकुचित था कि उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और पार्लियामेंट में उस पर बहस भी हुई और मेम्बरों ने उसको बिल्कुल नाकाफ़ी बतलाया और उसके विरुद्ध शिकायत की और हमारे श्री गोपालस्वामी आयंगर को उस बिल को वापिस लेकर नया बिल पेश करना पड़ा जिसके मुताबिक़ यह पार्ट सी स्टेट्स बिल बना। लेकिन उसके ऊपर जब बहस हुई पार्ट सी स्टेट्स पर तो हम ने जोर दिया कि हम यह डिस्टिंक्शन हिन्दुस्तान में नहीं रखना चाहते। हम ए, बी का डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहते, हम ए, बी और सी का डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहते। इस रू से जब कोई बिल आता है जिस म 'बी' या 'सी' स्टेट्स की पावर्स बढ़ती हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है।

आज यह बिल इस किस्म का है जिसमें कि जो कमियां पहले थीं उन में से कई को दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं अब तक जो कुछ नहीं समझा वह यह है कि जो कुछ कान्स्टिट्यूशन (संविधान के अनुच्छेद) की दफ़ा २५४ में साफ़ है, उस २५४ के असर को कम करने के वास्ते सेक्शन ४ लगाया गया है जोकि पार्ट सी स्टेट्स ऐक्ट की दफ़ा २२ में लगा हुआ है। २५४ में जनाब मुलाहजा फरमायेंगे कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दे तो...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस विधेयक के सिद्धान्तों के अलावा और भी बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक में कहा गया है कि संसद् द्वारा जो भी विधि बनाई जायगी उसे राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक पर पूर्ववर्तिता अथवा अधिमान प्राप्त होगा।

यह तो समवर्ती सूची के लिए ही कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र कोई विधि नहीं बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद २५४ के अनुसार कोई भी भाग क अथवा ख राज्य आज किसी ऐसी विधि के विरुद्ध विधि बना सकता है। जो कि संसद् ने संविधान के लागू होने से पहले अथवा बाद में बनाई हो तथा वह कोई भी ऐसी विधि बना सकते हैं जो कि संसद् द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के विरुद्ध हो, किन्तु उस विधि पर राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होनी चाहिये।

यहां जो संशोधन रखा गया है उसके अन्तर्गत भाग ग राज्य किसी भी विधि में परिवर्तन कर सकते हैं बशर्ते कि वह विधि १ अप्रैल १९५२ से पहले बनाई गई हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह '१ अप्रैल १९५२ से पहले' की शर्त क्यों रखी गई है। भाग ग राज्य के प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है, तो यह तिथि की जो शर्त रखी गई है, इसकी आवश्यकता क्या है? भाग ख तथा भाग ग राज्यों में यह अन्तर क्यों रखा जाय? यदि आप अधिकार देना चाहते हैं तो समस्त राज्यों को समान अधिकार दीजिये। मैं श्री द्विवेदी के इस कथन से सहमत हूं कि यह विधेयक पूर्णतः व्यापक नहीं तथा कई ऐसे विषय हैं जिनके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री को भाग ग राज्य तथा भाग ख राज्य एक ही स्तर पर रखने चाहियें थे। इसके अलावा इस विधेयक में कोई भी बुराई नहीं तथा यह पूर्णतः नियमित है। इसे बिना किसी संकोच के कानून का रूप दिया जाना चाहिये।

डा० काटजू : आरम्भ में ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचार-प्रस्ताव के समय जब मैं इस विधेयक पर संक्षेप में बोला था तो मेरे दिमाग़ में यह बात थी कि सदन के सामने भारी विधायिनी कार्यक्रम है। हमारे पास बहुत से ऐसे विधेयक हैं जो कि

चिरकाल से अनिर्णीत पड़े हैं और हमारे पास समय भी बहुत कम है इसलिए मैंने सोचा कि एक संक्षिप्त भाषण देकर मैं सदन का कुछ समय बचा सकता हूं। अन्यथा मैंने इसे पर खंडशः चर्चा करके घंटा भर लिया होता।

यह बात नहीं है कि मुझे विवादास्पद विधेयकों को अविवादास्पद कहने की आदत है जैसे कि श्री त्रिवेदी ने मुझे पर आक्षेप किया है। जब वह इस पर विचार करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि यह निस्संदेह एक अविवादास्पद विधेयक है।

राज्यों के भविष्य के सम्बन्ध में बड़े बड़े प्रश्न उठाये गए हैं, यदि श्री त्रिवेदी के भाषण का विश्लेषण किया जाये तो पहिले भाग में वह कहते हैं कि अजमेर एक द्वीप है जिसे राजस्थान रूपी समुद्र में विलीन किया जाना चाहिये। भूपाल—ईश्वर जाने इसे कहां जाना है; फिर उन्होंने कहा कि आप अजमेर से यह ले रहे हैं, वह ले रहे हैं तथा अन्य बातें, इसी तरह मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त ने दूसरा प्रश्न उठाया। राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में हम ने एक आयोग नियुक्त किया है, यह आयोग उन सभी प्रश्नों पर विचार करेगा जिनकी ओर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने तथा अन्य मित्रों ने संकेत किया है।

इस विधेयक का उद्देश्य सीधा सादा है। पहले मैं अधिकाधिक रूप से उन बातों को पूरा करना चाहता था जो कि भाग ग राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने राज्य मंत्रालय को पेश की थीं—विशेषकर आयव्ययक के दृष्टिकोण से। मैं मामलों को आसान बनाना चाहता था।

खंड ७ को लीजिये। श्री यू० एम० त्रिवेदी ने बताया कि राज्य की संचित निधि रखने का फायदा क्या है? भाग ग राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इसके लिए मांग की थी क्योंकि उन्ह इसके बिना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह राज्य की सचित निधि स्थापित करने की मांग करते थे जिससे वह काम आसानी से चला सकें। वर्तमान भाग ग राज्य शासन अधिनियम के अन्तर्गत भाग ग राज्य की विधान सभा पूंजी आय-व्ययक से संव्यवहार नहीं कर सकती है, वहां कोई पूंजी आयव्ययक नहीं क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पूंजी अथवा कर्ज़े दिए जाते हैं वह उस राज्य की संचित निधि में शामिल नहीं होते हैं। भाग ग राज्य सार्वजनिक ऋण नहीं ले सकते हैं। इस विधेयक में यथासम्भव यही कोशिश की गई है कि उन मामलों में जिनका कि इस विधेयक में जिक्र आया है, भाग ग राज्यों को उसी स्तर पर लाया जाये जिस पर भाग क अथवा भाग ख राज्य हैं, इसी दृष्टिकोण से हमने संचित निधि के सम्बन्ध में यह खंड इस विधेयक में निविष्ट किया है। आकस्मिकता निधि भी स्थापित की जानी चाहिये तथा मने इस बारे में एक छोटे संशोधन की सूचना भी दी है कि राज्य विधान मंडल को भी इस मामले के बारे में बोलने का अधिकार होना चाहिये।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध ह, मुझे इस बात पर खेद है कि इस बारे में कुछ मिथ्याशंका पदा हुई ह। सविधान के अनुच्छेद ३४५ में कहा गया है कि हिन्दी प्रत्येक राज्य की राज भाषा होगी, इससे हम यह समझ लेते कि राज्य के उच्च न्यायालय में, वहां की विधान सभा में तथा विधेयकों आदि के सम्बन्ध में 'हिन्दी' में ही काम होगा। परन्तु वहां अनुच्छेद ३४५ तथा अनुच्छद ३४८ में भेद दिखाया गया है जिसमें कहा गया है कि विधेयकों में तथा उच्च न्यायालयों में जो भाषा प्रयोग में लाई जायेगी वह दूसरी होगी। वह अनुच्छद ३४५ के अन्तगत नहीं आ जायेगा। कानूनी सलाह जो हमें दी गई वह

[डा० कःटजू]

यह थी कि अनुच्छेद ३४८ अपने वर्तमान रूप में भाग ग राज्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि एक और सामान्य खंड है जो कि अधिकारपूर्ण तथा अनिवार्य है तथा जिसम कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में, विधेयकों में तथा विधान मंडल में भाषा अंग्रज़ी होनी चाहिय । यह पहली बात थी । इसके बाद परन्तुकों की बात आती है, हमारे कानूनी सलाहकारों ने राय दी है कि यह तर्क दिया जा सकता है कि वह यह निर्देश राज्य-पाल अथवा राजप्रमुख के सम्बन्ध में है तथा चूंकि भाग ग राज्यों में कोई राज्यपाल अथवा राजप्रमुख नहीं होता है इसलिए यह परन्तुक भाग ग राज्यों पर लागू नहीं होते हैं । यदि वह तर्क सही हो तो हमारे पास रह क्या जाता है ? हमारे पास केवल अनच्छद ३४८ रह जाता है जिसमें कहा गया है कि भाषा अंग्रेजी होगी । इसका परिणाम यह होता कि भूपाल, विन्ध्य प्रदेश अथवा अजमेर में कोई भी व्यक्ति हिन्दी में विधेयक पुरः स्थापित नहीं कर सकता था और न ही वह इसका हिन्दी म अनुवाद करा सकता था । परन्तु मैं भाग ग राज्यों में वही प्रणाली रखने के पक्ष में हूं जो कि उत्तर प्रदेश में है, मैं चाहता हूं कि वहां भी यह प्रणाली चालू हो जिंस से अनुच्छेद ३४८ भी रहे तथा इसके साथ ही वहां लोग हिन्दी अथवा किसा अन्य भाषा में चर्चा भी कर सकें । तो, इस विधयक द्वारा हम इसे प्रचलित कराना चाहते हैं जिससे कि वहां भी वैसे ही काम हो जैसे कि भाग क राज्यों में होता है । अन्तर केवल यह ह कि अनुच्छेद ३४८ में कहा गया है "हिन्दी भाषा अथवा अन्य भाष।" परन्तु यहां केवल इतना कहा गया है "अथवा अन्य कोई भाषा ।"

इसका कारण इस प्रकार है । यह सर्व विदित बात है कि अजमेर, विन्ध्य प्रदेश तथा उत्तर भारत के अन्य भाग ग राज्यों में भाषा हिन्दी है, परन्तु हमारे सामने कुर्ग का मामला भी है, कुर्ग में हम हिन्दी भाषा में कोई विधेयक पुरः स्थापित नहीं कर सकते हैं । जिसका कारण यह है कि वहां के लोग हिन्दी नहीं समझते हैं । इसलिए हमने सोचा कि यदि हम अंग्रेजी के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाएं रखें तो इसमें हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी आ जायेंगी । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं न केवल हिन्दी का प्रेमी हूं अपितु मैं अपने मित्र श्री टंडन से भी आगे जाना चाहता हूं..... तथा कहना चाहता हूं कि विधेयक संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किये जाने चाहियें । वकील लोगों को संस्कृत में कानून की व्याख्या करने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से विचार प्रकट किये जा सकते हैं । इसके अलावा हमारे कानून भी संस्कृत में हैं, जबकि न मालूम आपकी खिचड़ी भाषा हिन्दी हमें कहां ले जायगी ।

श्री अबगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं । मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं तो संस्कृत चाहता हूं । कांस्टीट्यूशन में हिन्दी की बात कही गई है । हिन्दी न चाह कर आपकी व्यक्तिगत राय संस्कृत चाहने की है । तो क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि आप हिन्दी के पक्ष में नहीं हैं या कि हिन्दी को एलिमिनेट करने के लिए आप यह बात कह देते हैं ।

डा० काटजू : आप सुनते नहीं हैं, आप केवल बाधा डाल रहे हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं ने आप की बात सुनी है ।

डा० काटजू : अच्छी बात है, आप किस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस के निर्वचन का भार अध्यक्ष पर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री हिन्दी के मुकाबले में संस्कृत को रख रहे हैं।

डा० काटजू : नहीं, कदापि नहीं । मैं यह आन्दोलन आरम्भ नहीं कर रहा हूं । यदि मुझे यह आन्दोलन प्रारम्भ करना है तो मैं सदन के बाहर ऐसा करूंगा । मैं केवल मेरे प्रति लगाये गये इस आरोप का खण्डन कर रहा हूं कि प्रस्तुत विधेयक प्रगतिशील न हो कर प्रतिक्रियावादी है तथा यह अंग्रेजी भाषा को सशक्त बनाने का प्रयत्न है। यह कदापि इस का उद्देश्य नहीं है। इस का उद्देश्य यह है कि इस बात में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिय कि जिस प्रकार आप इसे भाग 'क' अथवा 'ख' राज्यों में रखते हैं उसी प्रकार आप भाग 'ग' राज्यों में भी अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में विधेयक रख सकते हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : लेकिन किसी भी दशा में हिन्दी में नहीं होने चाहियें ।

डा० काटजू : माननीय मित्र श्री एम० एल० द्विवेदी ने सेवाओं, न्यायिक आयुक्तों आदि के सम्बन्ध में अनेक बातों की ओर निर्देश किया है। लेकिन उस में किसी विधान सम्बन्धी अधिनियमन अथवा भाग 'ग' राज्यों की सरकार सम्बन्धी अधिनियम में किसी रूपभेद की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय मित्र इस विषय पर मुझे से निजी तौर पर चर्चा करें तो उन्हें मालूम होगा कि यहां उठाये गये अधिकांश विषयों पर सहमति से पहले ही निबटारा हो गया है ।

उदाहरण के लिये न्यायिक आयुक्तों का प्रश्न लीजिये । जब मैं ने उक्त राज्यों को लिखा कि क्या आप किसी दूसरे राज्य के पास जाना पसन्द करेंगे तो उन्हों ने कहा कि नहीं जायेंगे । जब मैं ने पूछा कि क्या आप राजस्थान जायेंगे, उत्तर मिला कि क्या राजस्थान उच्च न्यायालय अजमेर में रहेगा ? और जब उन्हें बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय अजमेर नहीं जायेगा तो उन्हों ने कहा कि नहीं जायेंगे । अतः इस सब शासन सम्बन्धी विषयों पर कार्यवाही की गई है और इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है ।

जहां तक माननीय मित्र श्री यू० एम० त्रिवेदी का सम्बन्ध है वह अपने नकारात्मक रवैये में प्रायः प्रत्येक बात का विरोध करते प्रतीत होते हैं । मैं वस्तुतः उन का अभिप्राय नहीं समझा । उन्होंने कहा कि हम सदा के लिये आप का दास-भाव बनाये रखना चाहते हैं । यह कभी भी सत्य नहीं है । विह्वलता इस बात की है कि जब तक राज्यों के पुनर्गठन का आयुक्त इस विषय का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं करता है उन्हें उठ खड़े होना चाहिये और जैसा मैं ने कई बार कहा है मैं इन भाग 'ग' राज्यों को समुचित रूप से प्रशासित होते देखना चाहता हूं, उन्हें अपने कार्यों की व्यवस्था उचित पद्धति तथा सामंजस्य के साथ करनी चाहिये और उन्हें भाग 'क' अथवा 'ख' राज्यों की भांति बनना चाहिये ।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

५ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डों के सम्बन्ध में और विचार किये जाने के हेतु यह विषय अभी उठा रखा है ।

अध्यादेशों का जारी किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब उस विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे जिस की सूचना डा० कृष्णस्वामी और डा० लंका सुन्दरम् द्वारा दी गई है। और भी सदस्य इस वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : संसद् के भंग होने के बाद उस के अधिकारों, विशेष अधिकारों पर किये गये गंभीर कुठाराघातों की ओर सदन का ध्यान आमंत्रित करने के लिये आप ने मुझे जो अवसर दिया है उस के लिये मैं आप का आभारी हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सभा २४ दिसम्बर, १९५३ को विसर्जित हुई थी और १५ फरवरी, १९५४ को वह पुनः समवेत हुई। इस संक्षिप्त अन्तर्विराम में सात अध्यादेश जारी किये गये हैं अर्थात् एक सप्ताह में एक अध्यादेश। कोई भी संसत्सदस्य जो संसद की प्रतिष्ठा में रुचि रखता है वह इस स्थिति के प्रति स्थितप्रज्ञ नहीं रह सकता और भले ही हम किसी भी हल से सम्बन्धित हों यह सर्वथा उचित है कि हम स्वतंत्र संस्था के कार्य संचालन में उत्पन्न की जाने वाली बाधाओं से रक्षा करने के लिये उचित कार्यवाही करें।

मैं पहले संविधान को लूंगा। उस में स्पष्ट लिखा है कि अध्यादेश जारी करने के लिये तीन शर्तें होनी चाहियें। राष्ट्रपति अथवा कार्यपालिका की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति तीन तथ्यों द्वारा नियंत्रित है। प्रथम, विधान मंडल का सत्र न हो रहा हो। संसद के विसर्जित होने के बाद आपात उत्पन्न हो गया हो और तीसरे, आपात का स्वरुप इतना गम्भीर और गुरुतर होना चाहिये कि कार्यपालिका संसद का आह्वान करने तक प्रतीक्षा न कर सके।

अब मैं विगत सात सप्ताहों में प्रख्यापित किये गये मुख्य अध्यादेशों को लूंगा क्योंकि वे कार्यपालिका के कार्य संचालन और संसद् से उस के सम्बन्ध पर प्रकाश डालेंगे। सब से पहले मैं प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम के संशोधन विधेयक को लेता हूं। यह बहुत ही विवादास्पद् व्यवस्था है और सदन के विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया था कि विधेयक पुरःस्थापित कर के संसद द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिये और इस अभिप्राय की पूर्ति के लिये अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाना चाहिये। सदन की बैठक स्थगित होने के पश्चात् अधिनियम के विस्तार का कारण पैदा नहीं हुआ था। सरकार इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दे सकती थी और बिना किसी विशेष कठिनाई के इसे पारित कर दिया जाता। यह अधिनियम विस्तार करने से सम्बन्धित है अतः उस में अधिक समय नहीं लगता। सरकारी प्रवक्ता द्वारा कार्यक्रम मंत्रणा समिति को यह बात नहीं बतलाई गई। बिना किसी चेतावनी दिये हुए २५ जनवरी अथवा उस के आस पास सहसा ही अध्यादेश जारी कर दिया गया। गृह मंत्री और सरकार द्वारा सदन की प्रतिष्ठा और उस के विशेषाधिकारों का जान बूझ कर अपमान किया गया है। मैं नहीं समझता कि सदन के समक्ष इसे उपस्थित न करने का कार्य आकस्मिक था। यह औचित्य के समस्त सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। कुछ व्यक्ति जो इन अध्यादेशों को औचित्ययुक्त ठहराते हैं कहते हैं कि वैध हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ये अध्यादेश वैध हैं। लेकिन हमारे लिये—जिन्हों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है—प्रश्न यह है कि क्या अध्यादेश जारी करने का कार्य वैधानिक और सही है। इस से यह बात पैदा होती है कि क्या आपात

स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैं अनुभव करता हूं कि यह ऐसा विषय है जिस में संसद् पर गहरा उत्तरदायित्व है। इस तरह के अनुत्तरदायित्व-पूर्ण तरीके से अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति प्रयुक्त की गई तो भयानक निष्कर्ष निकल सकते हैं। आपात कालीन संवैधानिक अधिकार मिथ्या और हास्यास्पद होंगे। जो सरकार प्रजातांत्रिक जनमत पर निर्भर है उसे यह कभी नहीं करना चाहिये था। इस के अतिरिक्त उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिये कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : क्या मैं एक औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर चर्चा उस समय अधिक संगत नहीं होगी जब कि विधान मंडल के समक्ष विधेयक के रूप में जारी किया गया अध्यादेश वस्तुत: उपस्थित किया जायेगा क्योंकि उस समय विधेयक के विषय से सम्बन्धित चर्चा अधिक स्पष्ट होगी। यदि ऐसी अवस्था रही तो हमें पांच या छः विभिन्न ज़ोरदार विधेयकों पर हमें बातचीत करनी पड़ेगी। और दूसरी सूचना के आधार पर मेरी यह धारणा थी कि यह उस विषय से निर्दिष्ट है जिसे विधेयक के रूप में सदन के समक्ष लाने का विचार नहीं था क्योंकि यह व्यक्त अवधि के पूर्व ही अर्थात् संसद के समवेत होने के छै सप्ताह बाद समाप्त हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस आधार पर चर्चा की स्वीकृति दी थी, जैसा कि मेरा विचार था, कि यह सरकार के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न से सम्बन्धित होगा। यह समझने की बात है कि यह प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं है और सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति का उपयोग अपवादयुक्त परिस्थिति में ही किया जाना चाहिये। यह प्रश्न दलगत दृष्टिकोण से सम्बन्धित नहीं है; संसद् में परम्परा प्रतिष्ठित करने के सामान्य दृष्टिकोण से हमें इस पर विचार करना है। चर्चा सामान्यतया अध्यादेशों की शक्ति के उपयोग की वांछनीयता अथवा औचित्य से सम्बन्धित है। प्रश्न की ओर मेरी यही विचारधारा है।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा इरादा यह कहने का था कि यदि यह चर्चा सत्र के अन्त में की जाती, जब कि विधेयक के गुणावगुण पर सदन में विचार कर लिया जाता तो सदन पर उस के सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा करने का उत्तरदायित्व निर्भर रहता। यहां सरकार को कुछ कमी मालूम देती है, क्योंकि हमें सम्पूर्ण आधारभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रत्येक विषय पर अलग से निर्देश किये बिना सिद्धान्त की स्थापना नहीं की जा सकती और माननीय सदस्य उसी पद्धति पर अपना तक प्रस्तुत कर रहे हैं। वह एक एक अध्यादेश को ले रहे हैं और यह प्रमाणित कर रहे हैं कि वह आवश्यक नहीं था अथवा वह अनुच्छेद १२३ के शब्दों में नहीं था। इसी बात पर मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें प्रत्येक अध्यादेश के विशेष गुणावगुण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्ण चर्चा करनी चाहिये थी, और यह चर्चा हमें बाद में करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि मुझे और कुछ कहना है लेकिन हम इस प्रश्न पर सामान्यतया विचार करेंगे।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : मुझे एक सन्देह है। दफ़ा १२३ भाग १ में जिस तरह के शब्द हैं, उन से यह बात स्पष्ट है कि प्रेसीडेंट को इस बात का सैटिसफैक्शन होना चाहिये (संतोष होना चाहिये) कि ऐसी स्थिति है जिस में आर्डिनेंस बनाये जाने चाहियें। जब आर्डिनेंस बनाये जाने का यह अधिकार उस के

[श्री अलगू राय शास्त्री]

सैटिसफैक्शन पर छोड़ा गया है, तब जिस समय दोनों हाउसेज़ न मीट कर रहे हों, उस में आर्डिनेंस बनाने की ज़रूरत समझी गई हो, वह आवश्यकता समझना या न समझना केवल प्रेसीडेंट के संतोष के ऊपर रखा गया है, तब उन आर्डिनेंसेज़ के बारे में जो कि उस बीच में बने हैं, इस प्रकार का आक्षेप करना और उस पर इस प्रकार का विवाद होना कहां तक उचित है, इस की शब्दावली मेरे लिये स्पष्ट नहीं है। सर्कमस्टानसेज़ को जज करने का अधिकार हम ने प्रेसीडेंट को विधान में दिया है, तो हमारा फिर उस के ऊपर इतना आक्षेप और एतराज़ करना कहां तक उचित है, यह मेरी समझ में नहीं आया और उस पर मैं प्रकाश चाहता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह सन्देह संविधान को गलत पढ़ने से पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति संविधान की दृष्टि से राष्ट्रपति है और वह सरकार की मंत्रणा पर कार्य करता है। और जब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं इस का यही अर्थ होता है कि सरकार संतुष्ट है और उसी आधार पर सदन को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : प्रश्न यह है कि क्या यह आवश्यक है। जब तक आवश्यक न हो अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर विचार करना समूचे सदन का कार्य है। यदि वे यह अनुभव करते हैं कि यह उचित नहीं है तो उन्हें दल से ऊपर उठ कर यह कह देना चाहिये कि यह उचित नहीं है। क्योंकि जैसा मैं ने कहा नवीन संविधान के अधीन हमारी यह प्रथम संसद् है और प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर उदाहरण अथवा प्रथा स्थापित करने का उत्तरदायित्व हम पर है।

डा० कृष्णस्वामी : मैं प्रस्ताव के गुणावगुण पर विचार करने का इरादा नहीं रखता हूं। सरकार ने एक युक्ति दी है। उन्होंने कहा है 'हम ने प्रेस आयोग की नियुक्ति कर दी है। हमें नहीं मालूम कि वह क्या करेगा। हमें यह भी ज्ञात नहीं कि वह क्या सिफारिश करेगा। इसलिये हमें इस के विस्तार के लिये मत देना चाहिये।' निष्कारण विधेयक अर्थात् ऐसा विधेयक जो यह बतलाये बिना कि विधान-मंडल को क्यों ऐसा करना चाहिये, उस से मत दिलवाता है, अनियमित विधेयक है। सदन द्वारा विचार किये बिना ही अध्यादेश जारी कर दिये गये हैं। यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रति घोर आघात है।

सदन की स्वीकृति के बिना कभी भी कर वसूल नहीं किया जा सकता। इस मामले में सदन की स्वीकृति कदापि प्राप्त नहीं की गई।

डा० कृष्णस्वामी : किस आपात के कारण यह दो राजकोषीय अध्यादेश लागू किये गये ? नवम्बर में संसद् की बैठक हो रही थी तब तक सरकार को कुछ भी पता नहीं था। अचानक जनवरी में सरकार को पता चला कि ३ फ़रवरी को कुंभ पड़ने वाला है, बहुत बड़ा मेला होगा और इस अवसर पर राजस्व प्राप्त करने का अवसर अच्छा मिल सकता है। परन्तु बात तो कुछ और ही है। वह यह कि संसद् की बैठक होने तक कुंभ समाप्त हो चुका है इसलिये सरकार को किसी अनुसमर्थन विधेयक के रखने की आवश्यकता नही पड़ेगी। कर लगाने के सम्बन्ध में तथा कर से प्राप्त धन को व्यय करने के सम्बन्ध में 'सम्पूर्ण प्रभुत्व' संसद् तथा लोक सभा को ही प्राप्त है। इस लिये राजकोषीय अध्यादेशों

के लिये, आपात की उद्घोषणा में अधिक सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है ।

एक बार ऐसा ही अवसर इंगलैण्ड में १९५० में उपस्थित हुआ था, जब कार्यपालिका द्वारा आपात की उद्घोषणा पर तथा अध्यादेश जारी किये जाने पर भारी आपत्ति उठाई गई थी । अन्त में संसद् इस परिणाम पर पहुंची थी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति की सीमाएं निर्धारित करना नितान्त आवश्यक है ।

बाहर की जनता समझती है कि मंत्रिमंडल तथा सदन के सदस्य, दोनों ही संसद् का आदर करते हैं । परन्तु हाल में इतनी अधिक संख्या में अध्यादेश जारी किये गये हैं, कि इस के परिणामस्वरूप, जनता की दृष्टि में संसद् का जो मान था उस को निश्चय ही भारी धक्का लगा है ।

इन अध्यादेशों के सांविधानिक मान्यता पर किसी को एक मिनट के लिये भी आपत्ति नहीं है, आपत्ति तो केवल इस बात पर है कि क्या ऐसे अध्यादेशों के लिये संविधान का इस प्रकार उपयोग करना उचित है । इस के लिये मेरा सुझाव यह है कि सारे सदन की एक समिति बनाई जाये जिस के सभापति आप हों । ऐसे सारे अध्यादेश, इस समिति के सामने विचारार्थ उपस्थित किये जायें, फिर यह कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी होगी कि समिति की सिफ़ारिशें माने या न माने । अन्यथा आपात की सारी विचारधारा ही एक उपहास बन कर रह जायेगी । इस समिति में सदन के सभी दलों के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है । हम सभी अनुभव करते हैं कि सदन की मान मर्यादा का प्रश्न हम सभी के लिये चिन्तन का विषय है । यह विषय ऐसा है कि जिस की जांच न्यायालय द्वारा कराई नहीं जा सकती है । आपात की परिस्थितियां कौन सी हैं तथा ऐसे अध्यादेश जारी करने का कारण क्या है, संसद् पर ही इस के जांच करने का भारी उत्तरदायित्व है । इस प्रकार न केवल कार्यपालिका को बल मिलेगा वरन् संसद् का मान भी बढ़ेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि, माननीय वित्त मंत्री द्वारा उठाये गये, औचित्य प्रश्न के उत्तर में, आपने जो कुछ कहा है उस के लिये, सदन आप का आभारी रहेगा । मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न मैं ने तथा मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णस्वामी ने उठाया है उस पर सरकार निष्पक्ष दृष्टिकोण से तथा कानूनबाजी को छोड़ कर विचार करे जिस से यह सदन सदा के लिये इस सम्बन्ध में स्थायी अभिसमय स्थापित कर सके ।

दो सत्रों के बीच के काल में जो छै अध्यादेश पहले जारी किये गये थे उन के सम्बन्ध में भी मैं ने १६ नवम्बर को यही बात कही थी । माननीय उपाध्यक्ष ने अध्यादेशों के सम्बन्ध में १६ सितम्बर को जो निर्णय दिया था उस का भी सरकार पालन करने को तैयार नहीं है ।

मेरा विचार है कि वे लोग जो सरकार को परामर्श देते हैं, कि दो सत्रों के बीच के काल में किस प्रकार के विधानों की आवश्यकता होगी, किसी योजना के अनुसार कार्य नहीं करते हैं । पिछले सत्र में २९ काम के दिन थे जिस में ५४ विधेयकों को निपटाना था । ३ विधेयक, जो संसद् के सामने विचारार्थ उपस्थित थे, अध्यादेश के रूप में जारी किये गये ।

इस का उत्तर देते हुए श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि इन तीनों अध्यादेशों की आधारभूत नीति संसद् को तथा जनता को बताई जा चुकी थी तथा सरकार का काम चलाने के लिये यह अध्यादेश बहुत आवश्यक थे ।

[डा० लंका सुन्दरम्]

सरकार के कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहता है। आवश्यकता तो केवल इस बात की है कि योजना के अनुसार कार्य किया जाये, संविधानिक औचित्य का तथा सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उचित रूप में सम्मान किया जाये। मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णस्वामी ने सात अध्यादेशों के सम्बन्ध में कहा है। पर मैं तो केवल दो अध्यादेशों के सम्बन्ध में कहूंगा जिन का सम्बन्ध कुंभ मेले से है। खर्चे के सम्बन्ध में करारोपण, संभरण विनियोग तथा प्राधिकार देना, इन सब बातों का अधिकार इस सम्मानित सदन को ही प्राप्त है। संसद् की मंजूरी के बिना कर सम्बन्धी विधान जारी करने के सम्बन्ध में इंगलैण्ड में भी बहुत चिन्ता प्रकट की गई है। फ्रांस में भी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है परन्तु बहुत ही कम। अमरीका में अध्यादेश जारी करने का कोई उपबन्ध ही नहीं है। परन्तु हमारे देश में अनुच्छेद १२३(१) का उपयोग न केवल साधारण अध्यादेशों के लिये ही किया गया है वरन् कर-सम्बन्धी अध्यादेशों के लिय भी। पिछले अवसर पर, जब मैं ने यही आपत्ति उठाई थी, तो समाचार पत्रों तथा जनता में इस की प्रतिक्रिया बड़े वेग से हुई थी। किसी ने कहा, यह संविधान का दुरुपयोग है। किसी ने कहा यह तो सदन का अपमान है तथा इस प्रकार कार्यपालिका अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग अत्याचार करने के लिये कर रही है। परसों के 'स्टेट्समैन' अखबार ने कहा है कि कुंभ मेले के प्रबन्ध में उत्तर प्रदेश ने ४१.२५ लाख रुपया व्यय किया और रेलवे ने ७५ लाख रुपया। अध्यादेश संख्या १ की अनुसूची के अनुसार वातावरण स्थापित दर्जे पर तथा पहले दर्जे पर डेढ़ रुपया, दूसरे दर्जे पर एक रुपया, मध्यम दर्जे पर आठ से ले कर दस आने तक तथा तीसरे दर्जे पर छै से लेकर आठ आने तक का कर लगाया गया है। मेरा अन्दाज़ा है कि इन दो अध्यादेशों के द्वारा लगभग २० या २५ लाख रुपया प्राप्त किया गया है। यह तो सर्वविदित है कि महीनों से जनता में कुंभ मेले का प्रचार किया जा रहा है, फिर भी सदन के स्थगित होने के ११ दिन के बाद अध्यादेश संख्या १ जारी किया गया और उस के ८ दिन के बाद अध्यादेश संख्या २ पहले अध्यादेश का संशोधन करने के लिये जारी किया गया। इस से स्पष्ट है कि सरकार की ओर से जो लोग इस प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं वे न तो उचित परामर्श देते हैं और न किसी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। यह सभी को ज्ञात है कि संविधान के लागू होने के ठीक तीन दिन के बाद २३ जनवरी १९५० को अध्यादेश संख्या ९, १९५० जारी किया गया था। यदि किसी योजना के अनुसार कार्य किया गया होता तो ऐसे अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता न पड़ती।

अंतर्कालीन संसद् में बोलते हुए, संविधान के अनुच्छेद २६५ के सम्बन्ध में, २७ फरवरी १९५२ को डा० कुंजरू ने कहा था कि संविधान में इतना संशोधन किया जाये कि अनुच्छेद २६५ में शब्द 'संसद्' के स्थान पर शब्द 'विधि' आदिष्ट कर दिया जाये चूंकि अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद् के अधिनियम का तथा अध्यादेश के द्वारा करारोपण भी किया जा सकता है। इन अध्यादेशों के द्वारा, संसद् को कुंभ मेले में जाने वाले ४० लाख यात्रियों के प्रबन्ध के लिये, आवश्यक धन प्राप्त करने के विषय पर विचार करने से वंचित रखा गया है। अब तो कुंभ मेला भी समाप्त होने वाला है। इसलिये कार्यपालिका इस सदन के अधिकारों पर आक्रमण करने के बाद भी प्रसन्न है कि कोई उस का कुछ नहीं कर सकता है। पिछले अवसर पर अध्यादेश जारी किये गये थे और अब की बार सात अध्यादेश जारी किये गये हैं। कार्यपालिका के अधिकार बढ़ते

ही जा रहे हैं जो एक दिन देश तथा सदन पर एक प्रकार के अत्याचार का रूप धारण कर लेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री के औचित्य प्रश्न पर आप ने जो बातें कहीं हैं उन के द्वारा आप ने देश का बहुत बड़ा उपकार किया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मुझे यह देख कर बहुत ही खेद है कि, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकारों का जो उपयोग किया गया है, तथा जिस का वर्णन मुझ से पहले बोलने वाले मेरे दो माननीय मित्र कर चुके हैं, उस के लिये सरकार की ओर से किसी प्रकार के खेद प्रकट करने का कोई चिह्न भी दिखाई नहीं पड़ता है ।

हम सभी जानते हैं कि इंगलैण्ड में, १६१० की उद्घोषणा के प्रसिद्ध केस के बाद से, कार्यपालिका के प्रधान को, उद्घोषणा द्वारा विधि बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है । आयरलैण्ड जैसे अधिराज्यों में भी आप को अनुच्छेद १२३ जैसा उपबन्ध नहीं मिलेगा । अनुच्छेद १२३ में यह नहीं निर्धारित किया गया है कि, अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में तथा, किन प्रियोजनों के लिये किया जा सकेगा। इसलिये यदि कोई अध्यादेश सदाशय के बिना भी जारी किया गया हो, तो भी, न्यायालय इस की जांच नहीं कर सकते हैं । यह मैं केवल इसलिये कह रहा हूं कि इन अध्यादेशों के जारी करने में प्राधिकारियों की सदाशयता पर सन्देह प्रकट किया जा रहा है ।

मुझे याद है कि १९४८ में, 'ज्ञान प्रसन्न आदि' बनाम 'पश्चिम बंगाल प्रान्त' का मुकदमा जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने उपस्थित था तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने—तब संभवतः डा० काटजू ही पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे—अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय को उक्त मामले में निर्णय करने से रोकने के लिये किया था जो प्रान्तीय सरकार को अप्रिय था । हालांकि उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने कार्यपालिका की ऐसी नीति की कड़े शब्दों में आलोचना की थी फिर भी यह अध्यादेश वैध घोषित किया गया । इसलिये कि न्यायालय को इस बात के जांच करने का अधिकार नहीं था कि ऐसा अध्यादेश जारी करने के लिये न्यायोचित परिस्थितियां थीं या नहीं । यह घटना १९४८ की है । यह भारत सरकार अधिनियम १९३५ की स्मृति है । यदि हम इस का त्याग इसलिये नहीं कर सकते हैं कि यही बात हमारे संविधान में भी है तो कम से कम हमें चाहिये कि हम इस का उपयोग बड़ी सावधानी से करें । इसी प्रकार का उदाहरण प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम के सम्बन्ध में भी दिया जा सकता है जब अध्यादेश के द्वारा उस का अवधिकाल बढ़ाया गया था अध्यादेश जारी करने की शक्ति का सरकार ने जिस प्रकार प्रयोग किया है वह बहुत ही खतरनाक है । मैं जानता हूं कि यदि इस सम्बन्ध में हमारी ओर से कोई चेतावनी दी जाये तो सरकार उस की कोई परवाह नहीं करेगी । परन्तु मेरे पूर्व बोलने वाले दो माननीय सदस्यों के गंभीर परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को कहना चाहिये कि वह भविष्य में विधान निर्माण कार्य का ऐसा प्रबन्ध करेगी कि सदन में वास्तविक वादविवाद हो सके तथा ऐसे विषय जिन के सम्बन्ध में सरकार अधिक चिन्तित है शीघ्रता के साथ सदन के सामने उपस्थित किये जा सकें ।

मेरी समझ में नहीं आता कि गृह-कार्य-मंत्रालय यदि यह भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के विधेयक संसद् के सामने पहले उपस्थित किये जायें जिन के लिये सरकार को

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अध्यादेश जारी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है तो फिर इस मंत्रालय से लाभ ही क्या है ।

मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह स्वतन्त्रता के बाद जारी किये जाने वाले अध्यादेशों की एक तालिका उपस्थित करे और तब अपने कार्यों का औचित्य प्रमाणित करे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि जिस लोकमत का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वह इस प्रकार के स्वतंत्रता-विरोधी हथकण्डों को सहन नहीं करेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अध्यादेशों द्वारा कर लगाना संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध है ।

हमारे गणतन्त्रीय संविधान का मूलभूत सिद्धान्त है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगाना चाहिए । हमारी सहमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता; किन्तु घुमा फिरा कर अप्रत्यक्ष तथा अन्य उपायों द्वारा इन शुभ सिद्धान्तों से सरकार छुटकारा पाना चाहती है । हो सकता है कि संविधान की औपचारिकता के अनुसार यह ठीक हो क्योंकि अनुच्छेद १२३ आप को यह अधिकार देता है, किन्तु इस शक्ति को सीमा में रखना ही अभीष्ट होगा; और विशेष रूप से जैसा कि आजकल आप अध्यादेशों के आधार पर कर लगा रहे हैं इस से सदन की बदनामी होती है । कार्यपालिका द्वारा नियम बनाना ही बुरा है और फिर कार्यपालिका द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कर लगाना और भी बुरा है तथा साथ ही साथ लोकतन्त्रात्मक सरकार के मूलसिद्धान्तों के भी बहुत ही प्रतिकूल है ।

हमारे संविधान में भी 'कराधान' की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद ३६६ खंड २८ में लिखा है "कराधान के अन्तर्गत है किसी कर या लाभकर का लगाना चाहे वह फिर साधारण या स्थानीय, या विशेष हो और 'कर' का तदनुसार अर्थ किया जायेगी ।"

अतः कोई भी कर जो करारोपण हो वह चाहे साधारण या स्थानीय, या विशेष हो, हमारे संविधान के अनुसार कराधान की श्रेणी में आ जाता है। क्या कार्यपालिका इस कुम्भ मेला कर को टाल नहीं सकती थी ? क्या सदन के सामने इसे लाकर पारित नहीं कराया जा सकता था ? बड़ी आसानी से यह हो सकता था। जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा है कि यह वास्तविक आपात नहीं था बल्कि इसे तो बनाया गया था और यह बनाया हुआ आपात स्वतन्त्रता तथा संसदीय शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है ।

जब कभी भी सदन की बैठक शुरू होती है तो बहुत से अध्यादेश प्रस्तुत किये जाते हैं जिन में से कुछ तो उन विधानों को नया करने के लिये होते हैं जिन का कि कार्यकाल समाप्त हो गया है एवं कुछ अध्यादेश नये करारोपण के लिये होते हैं। किन्तु इस से संसद् की बदनामी ही होती है । सभी को यह मालूम था कि कुम्भ मेला होगा उस के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही थीं और ऐसी स्थिति में आप बड़ी आसानी से विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे । और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता कि संसद् के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है । बिना इस सदन से सलाह लिए सरकार को कभी कोई कर नहीं लगाना चाहिए । मैं डा० कृष्णस्वामी के उस सुझाव का समर्थन करता हूं जिस में उन्हों ने मांग की है कि अध्यादेशों के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करने के लिए सदन की एक समिति —चाहे वह सम्पूर्ण सदन की हो अथवा सदन के प्रतिनिधियों की एक छोटी समिति हो—नियुक्त की जानी चाहिए ।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) पिछले अधिवेशनों में इतना अधिक कार्य था

कि कई आवश्यक कार्य भी नहीं किये जा सके। इस सत्र में भी वही बात है; बहुत सारा काम है जो पूरा किया जाना चाहिए किन्तु उस काम को पूरा करने के लिए सदन के पास एक निश्चित समय है। अब प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार पूरा हो सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यह चाहे कि इस काम को कम कर दिया जाय। डा० लंका सुन्दरम् ने अनुच्छेद २६५ का निर्देश किया है और उन्हों ने कहा है कि "विधि द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से" के स्थान पर "संसद् द्वारा प्रदत्त अधिकार से" शब्द आदिष्ट किये जायं। संसद् के अधिकार सम्बन्धी इस निश्चित परिभाषा का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह बात किस प्रकार राष्ट्रपति को इस वर्तमान उत्तरप्रदेश सीमाकर लगाने वाले अध्यादेश सरीखे अध्यादेश भविष्य में जारी करने से रोकती है; क्योंकि अनुच्छेद १२३ (२) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कि संसद् का अधिनियम। अतः कोई भी कर जो संसद् के किसी अधिनियम द्वारा लगाया जा सकता है वह राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद १२३ के खंड ३ ने इस का और भी स्पष्टीकरण कर दिया है।

पथकर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं तथा सीमाकर लगाना राज्य सरकार के अधिकार के बाहर की बात है यह तो केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी स्थिति में कर न लगाया होता तो सम्भवतः हम उस पर आरोप लगाते। यह कराधान तो ऐसा है जो एक बार लग कर समाप्त हो गया है। यह कराधान अधिक समय तक चलने के लिये नहीं है, यदि यह अधिक समय तक चलने के लिए होता निश्चय ही सदन में इस पर विचार किया जाता।

डा० जयसूर्य (मेदक): सरकार जनता की इच्छा की पूर्ति करने का एकमात्र साधन है। दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए सरकार को कुछ अधिकार देने होते हैं और आपात काल में तो उन को और भी बढ़ा दिया जाता है। किन्तु इस संसद् का यह कार्य है कि वह इस बात को बड़ी तत्परता से देखे कि सीमा से परे इस शक्ति के प्रयोग पर कब रोक लगाये।

ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब अध्यादेश निकालना आवश्यक हो, परन्तु हमें तो दो ही संभावनाएं दिखाई देती हैं: या तो कार्यपालिका तनिक भी कार्यपटु नहीं है; या वह हमारी पीठ पीछे कुछ करती है क्यों कि उसे संविधान से ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है। दो ही विकल्प हैं।

आजकल संसद् के सत्रावस्थित न होने पर क्या स्थिति है: न युद्ध है, न आक्रमण है, फिर भी अध्यादेश प्रख्यापित होते हैं। कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करती है। आज हम जो निर्णय देंगे उस से संसद् के भाग्य का निर्णय हो जायेगा और लोगों के लोकतंत्र में विश्वास का भी पता लग जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: स्पीकर साहब, इस मौके पर आपने जो इर्शाद फरमाया है वह हम सब के वास्ते चिराग़े हिदायत है। आपने फरमाया है कि इस मामले में पार्टी की तरफ या पार्टी मैंडेट की तरफ या पार्टी के इंटरैस्ट की तरफ देखना वाजिब नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर जनाबवाला इर्शाद न फरमाते तब भी मेरा इसकी तरफ यही खयाल होता, क्योंकि ऐसे मामलों में सही नुक्ता निगाह यही है। लेकिन जनाब

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के इर्शाद के बाद और भी तकबीयत हो जाती है। यह मामला हमारे लिये, ख़सूसन कांग्रेस के लिये और भी ग़ौर करने के लायक़ है। हमारे ऊपर जब दूसरी सरकार राज्य करती थी तब आर्डिनेंस के बरख़िलाफ़ मैं समझता हूं कि हर एक कांग्रेसमैन इस तरह महसूस करता था कि गो आर्डिनैन्स बिल्कुल लालैस ला है। वह आर्डिनैन्स जिसका हम ज़िक्र किया करते थे वह दफ़ा ३५२ में है। लेकिन यह आर्डिनैन्स दफ़ा १२३ में है। इन दोनों में यह फ़र्क़ है कि ३५२ दफ़ा का जो आर्डिनैन्स है वह सिक्योरिटी आफ स्टेट के मुताल्लिक़ है और ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ है जिनका वास्ता सेफ़्टी आफ दी स्टेट से है। वह बिल्कुल अलाहदा चीज़ है। यह आर्डिनैन्स १२३ दफ़ा के हैं, इन में कोई सवाल इमरजेंसी (आपात) का पैदा नहीं होता। जब हमने यह कांस्टीट्यूशन बनाया था तो कांस्टीट्यूएट असेंबली में इस दफ़ा को रुटीन मामलों के लिये बनाया था और इसको इस तरह पर सरकमस्क्राइब कर दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट हिन्दुस्तान पर आर्बिट्रैरीली राज्य न कर सके। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर जनाब इसके अल्फ़ाज़ को देखें तो यह बिल्कुल रोशन हो जायेगा। इसके अल्फ़ाज़ यह हैं :

"that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to reguire."

[कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।]

पहली चीज़ तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दोनों सैशन के दरमियान उस तरह के सरकमस्टांसैज होने चाहियें जिनको पहले से नहीं देख सकते थे। यहां एसी कोई बात नहीं है कि जिसको पहले से नहीं देख सकते थे। इस वास्ते इस आर्डिनैन्सैज का जारी करना दुरुस्त नहीं था।

दूसरी बात यह है कि इम्पेरैटिव नैसेसिटी आर्डिनैन्स के लिये होनी चाहिये। इतना ही काफी नहीं है कि आर्डिनैन्स को जारी कर दिया जाय क्योंकि एक ऐग्जीक्यूटिव के लिये एक हैंडी चीज़ है। फिर यह ज़रूरी है कि इमीजिएट ऐक्शन का होना ज़रूरी हो और आर्डिनैन्स के अलावा दूसरा कोई ऐक्शन नहीं हो सकता हो। फिर चौथी चीज़ यह है कि आर्डिनैन्स सिर्फ उतनी हद तक हो सकता है जितने के लिये कि सरकमस्टांसैज वारंट करें। यह नहीं कि आपने आर्डिनैन्स को दो वर्ष के लिये जारी कर दिया कि दो वर्ष तक के लिये आब्जैक्शनैबुल मैटर प्रेस ऐक्ट चला जायेगा और उसमें और भी तरमीमें कर दीं। अगर ज़रूरी है तो इतना ही होना चाहिये कि जब तक पार्लियामेंट न बैठे यह कानून लागू रहे। चूंकि शायद कोई मुक़द्दमात चल रहे हों, कोई आदमी क़ैद हों, इस तरह की कोई सूरत हो तो इतना ही करना चाहिये कि जब तक पार्लियामेंट बैठ कर इसका निर्णय न करे तब तक यह जारी रहेगा।

जहां तक टैक्स का मामला है, जनाब वाला, मैं बिल्कुल सहमत हूं उन मैम्बरान से जिन्होंने पहले राय दी है कि किसी भी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की राय के बग़ैर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। यह हरगिज़ दफ़ा १२३ की मंशा नहीं है कि गवर्नमेंट जितने टैक्सेज चाहे

उतने लगा ले और जब चाहे रुपया जमा कर ले और उसको हाउस में आने की ज़रूरत न हो। आज हमारी गवर्नमेंट है। इस के लिये ही नहीं, लेकिन जब भी दूसरी गवर्नमेन्ट आवेगी तब भी मैं यही कहूंगा, यह बिल्कुल भी पार्टी का सवाल नहीं है, कि कोई भी टैक्स पार्लियामेंट की राय के बग़ैर नहीं लगना चाहिये। मैं इस में नहीं जाना चाहता कि आया यह टैक्स जस्टीफाइड था कि नहीं। मैं इस में नहीं जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक टैक्स जो लगाया जाय वह टैक्स पार्लियामेंट की राय के बग़ैर नहीं लगाया जाना चाहिये।

इसके अलावा, जनाब वाला मुलाहज़ा फ़रमायेंगे कि जब मैं इस बिल की तरफ़ देखता हूं तो पिछली मर्तबा भी मैं ने अर्ज़ किया था कि दफ़ा १२३ क़ानूनन् इज़ाजत देती है और गवर्नमेंट अपने फ़र्ज़ को अदा नहीं करेगी अगर सरकमस्टांसैज देश में ऐसे हों कि आर्डिनैन्स जारी करना चाहिये और गवर्नमेंट आर्डिनैन्स को जारी नहीं करती। आज भी मैं इसी बात को दोहराता हूं कि अगर देश में सरकमस्टांसैज ऐसे हों कि आर्डिनैन्स का जारी करना निहायत ज़रूरी है तो गवर्नमेंट को ज़रूर आर्डिनैन्स जारी करना चाहिये। लेकिन जैसा मैं ने पहले अर्ज़ किया उन सरकमस्टांसैज का होना लाजिमी है। इसलिये जनाब वाला ने जो इर्शाद फ़रमाया वह बिल्कुल दुरुस्त है कि हर एक मामले को देखना है, उसके मैरिट्स को देखना है कि आया जो आर्डिनैन्स जारी हुआ वह दुरुस्त है या नहीं।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि टैक्स के लिये पहले से ही फ़ोरसी किया जा सकता था। सब लोग जानते थे, १२ वर्ष पहले जानते थे कि कौन सी तिथि को कुंभ आवेगा। मैं यह समझता हूं और सब लोग जानते हैं कि शायद गवर्नमेंट को वक्त की तंगी थी, लेकिन फिर बिजिनैस कमेटी के बनाने से क्या फायदा है अगर ऐसे इम्पार्टैंट लैजिस्लेशन को प्रायोरिटी न दी जा सके।

दूसरे प्रेस आबजैक्शनैबुल मैटर के आर्डिनैन्स के बारे में जब मैं इस बिल को देखता हूं तो मुझे और भी ताज्जुब होता है। मुझे याद है कि पिछली मर्तबा जब यह बिल पेश था तो हमारे उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब नें कहा था कि जो प्रेस कमीशन मुकर्रर कर रहे हैं उसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं है। आज वह कहते हैं कि प्रेस कमीशन की मौजूदगी से यह आर्डिनैन्स ज़रूरी था। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल ग़लत है। अगर पुरानी हिस्ट्री को देखा जाय तो मालूम होगा कि दस पन्द्रह दिन तक हाउस में इस क़ानून की चर्चा चली थी और उससे मालूम होगा कि यह बिल निहायत डिबेटेबुल है। इस आर्डिनैन्स को दो वर्ष के लिये जारी करना मैं समझता हूं कि दफ़ा १२३ का ठीक तरह का इस्तेमाल नहीं है।

जनाब वाला, बाक़ी जितने आर्डिनैन्स हैं, चार पांच, उन सब को हम को मैरिट्स पर देखना है। अगर मैरिट्स पर जायज़ हैं तो ठीक है, वरना गवर्नमेंट जस्टीफाइड नहीं होगी उन को जारी करने में। लेकिन टैक्स के मामले में मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकमस्टांसैज ऐसे नहीं थे कि इस आर्डिनैन्स के लिये दफ़ा १२३ का ठीक इस्तेमाल हुआ। हमको हर एक आर्डिनैन्स के मैरिट्स में जाना है। जहां तक इन दोनों आर्डिनैन्स का सवाल है, टैक्स के बारे में मैं बिल्कुल साफ़ हूं कि गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में जब तक कि सख्त ज़रूरत न हो और सरकमस्टांसैज वारंट न करें, टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं इस मामले में श्री चैटर्जी साहब से इत्तिफ़ाक करता हूं। जब हमारे यहां दूसरी गवर्नमेंट थी तो वह जब इस तरह के टैक्स लगाना चाहती थी तो हाउस में एक इस तरह का एमेंडमेंट मैं ने पेश किया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

था कि हाउस के मैम्बरों की एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी बनाई जानी चाहिये कि जब तक उस कमेटी की सैंक्शन नहीं होती तब तक गवर्नमेंट कोई इस तरह से टैक्स नहीं लगा सके। गवर्नमेंट को याद होगा कि जिस वक्त त्यागी जी साहब मेरे पास इधर बैठते थे तो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन के बारे में भी हमने एक सिलेक्ट कमेटी के लिये कहा था और हम नहीं चाहते थे कि डेलीगेटेड लैजिस्लेशन के बारे में भी पार्लियामेंट के कंट्रोल के बिना ऐसा हो सके। लेकिन यह डेलीगेटेड लैजिस्लेशन नहीं है। यह तो हमने जान बूझ कर प्रैसीडेंट को अख्तियार दिया था। यह डेलीगेटेड लैजिस्लेशन नहीं है, ताहम लैजिस्लेशन जरूर है। और दोनों हाउसेज आफ पार्लियामेंट और प्रैसीडेंट को ही हक है कि लैजिस्लेशन बनायें। और दोनों हाउसेज नहीं बैठे हैं तो उस सूरत में यह चीज पैदा हुई है। जैसा कि जनाब वाला ने फ़रमाया कि यह तो लैजिस्लेशन गवर्नमेंट बनाती है। प्रैसीडेंट का तो नाम है। यह सब गवर्नमेंट की तरफ से आया है और गवर्नमेंट का काम है कि वह इस हाउस की रिस्पैक्ट करे और इस तरह का लैजिस्लेशन न बना दे कि जिसके ऊपर इतना ऐतराज हो और जो टैक्स वगैरह के मुताल्लिक हों।

इसलिये यह भी मुनासिब नहीं होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर एक कमेटी बिठा दी जाय और उसको पूछ कर इस तरह का लैजिस्लेशन बनाया जाय। लेकिन यह मैं चाहता हूं कि हाउस के जितने अपने राइट्स हैं उनको बहाल रखा जाय। जनाबवाला ने डेलीगेटेड लैजिस्लेशन के बारे में एक कमेटी बना दी। इसी तरह इन आर्डिनैन्सेज के वास्ते भी एक कमेटी बैठे और वह देखे कि किन सूरत में यह जायज है कि गवर्नमेंट इस तरह के आर्डिनैन्सेज पास करे और क्या इस ताकत का ठीक इस्तेमाल हुआ है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस के बारे में हाउस को अख्तियार है कि वह इस चीज को रेग्यूलैट करा सके। हम गवर्नमेंट में कोई नो कानफिडेंस जाहिर नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की खास मामले में राय दूसरी हो सकती है और उसी तरीके पर हमारी दूसरी राय हो सकती है। गवर्नमेंट के लोग शायद खास हालत में सैटिसफाइड हो गये हों। इस के बारे में मैं उनको बेनीफिट आफ डाएट देने को तैयार हूं। लेकिन मैं बेनीफिट आफ डाउट तो एक्यूज्ड को देता हूं, इन लोगों को जो कस्टोडियन हैं हमारे राइट्स के, जिन्होंने यह सारा कांस्टीट्यूशन बनाया, और जिनकी सारी उम्र जेल में लिबर्टीज के कायम व महफूज करने में लगी है मैं नहीं समझता कि वे आर्डिनैन्स का जारी करना लाइटली लेवेंगे—बहरसूरत हमारी राय में हालात ऐसे नहीं थे कि इस किस्म के ये दो आर्डिनैन्सेज जारी किये जाते।

बाक़ी पांच आर्डिनैन्सों के बारे में मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट का क्या जस्टिफिकेशन है। गवर्नमेंट जब जस्टिफिकेशन देगी तो मैरिट्स पर हम सोचेंगे कि क्या किया जाय और क्या न किया जाय।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह वाद-विवाद इतना तीव्र हो गया है जितना कि परिस्थितियों के अनरूप उचित नहीं है। कोई भी इस मामले पर निर्णय तभी कर सकता था जब कि वह प्रत्येक मामले में यह पता लगाता कि अनुच्छेद १२३ के अधीन शक्ति का प्रयोग औचित्यपूर्ण था या नहीं। प्रश्न यह है कि इस समय इस प्रश्न को उठाना कहां तक सामयिक है, सत्र के अन्त तक तो इन अध्यादेशों सम्बन्धी सभी बातों पर गुणावगुण को लेकर हम चर्चा कर

चुकेंगे। परन्तु दो ऐसे अध्यादेश हैं जो सभा के समक्ष नहीं आयेंगे और इसलिये उनको प्रख्यापित करने की परिस्थितियों पर मैं अपनी वक्तृता में प्रकाश डालूंगा। पर मैं पहले कुछ व्यापक बातों को लेता हूं। संविधान के उपबन्ध की अनुपयुक्तता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में ही सही। मेरे विचार में हम इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते, संविधान में इस समय जो कुछ है उसे तो मानना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे खयाल में उपबन्ध की 'अनुपयुक्तता' की बात नहीं है, अपितु उपबन्ध के 'प्रयोग' की 'अनुपयुक्तता' का प्रश्न है।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में तो उपबन्ध की अनुपयुक्तता की बात कही गई प्रतीत होती है। यह मेरी राय है चाहे उसका कुछ मूल्य हो या न हो। उपबन्ध की अभीष्टता, संयुक्त राजतंत्र ब्रिटेन तथा अमरीका में उस का न होना—इन सभी बातों का उत्तर मैं नहीं देना चाहता।

अब, उपबन्ध के शब्दों 'आपात' तथा 'तुरन्त' शब्दों का प्रयोग कुछ व्यापक रूप में ही किया गया है। 'तुरन्त' शब्द अनुच्छेद १२३ में प्रयुक्त हुआ है, और अन्तिम वक्ता ने अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत निकलने वाले अध्यादेशों की चर्चा की है, जिसके लिये मैं उन का आभारी हूं। संविधान के लागू होने से पूर्व यह स्थिति थी कि इस प्रकार के अध्यादेशों पर भारत शासन अधिनियम, १९१९ की धारा ७२ लागू थी जो भारत शासन अधिनियम, १९३५ की धारा ३१७ द्वारा जारी रखी गई थी और उस अधिनियम की नवम अनुसूची में दोहराई गई थी। भारत शासन अधिनियम, १९३५ की धारा ४२ तो, जो संविधान के उपबन्ध से मिलती हुई है, लागू हुई ही नहीं, क्योंकि फीडरेशन बन ही नहीं सकी।

पुरानी धारा की भाषा इस प्रकार थी : 'शान्ति और सुशासन के लिये महा राज्यपाल आपात के समय अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकता है आदि, आदि।' अब मैं इसकी तुलना वर्तमान अनुच्छेद १२३ की भाषा से करता हूं।

"उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

इसके अलावा रोक थाम के लिये भी व्यवस्था है जो कि अनुगामी खण्डों में दी हुई है। खण्ड (२) इस प्रकार है :

"इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद् के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उसके निरनुमोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इन में से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा ; तथा

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा।"

इसके बाद व्याख्या है तथा अन्त में खण्ड (३) है जिसमें कहा गया है :

"यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।"

[श्री सी० डी० देशमुख]

अतः मेरे विचार में इसकी मान्यता के सम्बन्ध में भी न्यायालयों को निर्देश किया जा सकता है। इस सारी योजना के अनुसार यह मान लिया गया है कि विश्रान्ति काल में ऐसे अवसर आ सकते हैं जब राष्ट्रपति को जन हित के लिये ऐसा करना पड़े और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित को हानि पहुंच सकती है। अतः हम फिर इसी बात पर पहुंच जाते हैं कि वह परिस्थितियां क्या थीं जिनसे मजबूर होकर राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करने पड़े थे। अतएव जब तक आप प्रत्येक मामले को अलग अलग नहीं देखते तब तक केवल आंकड़ों के बतलाने से काम नहीं चलेगा कि यह अध्यादेश जारी किया गया था या वह अध्यादेश जारी किया गया था और इस निश्चय पर ही पहुंचना संभव नहीं है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की आदत है या कार्य-पालिका को उन्हें इस दिशा में सलाह देने की आदत है।

अब मैं अनुच्छेद २६९ को लेता हूं। संघ द्वारा आरोपित और संग्रहीत करों में, किन्तु जिन्हें राज्यों को सौंप दिया गया हो, यह सीमा-कर भी आ जाता है जो कि रेल, समुद्र या वायु से विहित वस्तुओं या यात्रियों पर लगाया गया हो। इसी के खण्ड (२) में बतलाया गया है कि शुद्ध आगम उन राज्यों को सौंप दिया जायेगा जिनमें उस वर्ष वह कर या शुल्क उद्गृहीत होना है। मेरे विचार में इससे डा० लंका सुन्दरम द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी निवारण हो जाता है कि इस सम्बन्ध में हमें सदन के समक्ष कोई अनुपूरक मांग या ऐसा ही प्रस्ताव रखना चाहिये था। जहां तक इस खर्चे का सवाल है यह हमने खर्च नहीं किया है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया है तथा आगम संघ की संचित निधि में न जाकर उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में जायेगा।

कानून द्वारा करारोपण करने के सम्बन्ध में भी निर्देश किया गया था। मेरे विचार में इस बात का उत्तर एक माननीय सदस्य अपने भाषण में दे चुके हैं। जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है इस बात में कोई अन्तर नहीं है कि कर अध्यादेश द्वारा लगाया गया है या और कोई चीज़ अध्यादेश द्वारा की गई है। चाहे कानून संसद् द्वारा पास किया गया हो या अध्यादेश द्वारा लागू किया गया हो---कोई अन्तर नहीं पड़ता, दोनों ही कानून हैं।

जहां तक दृष्टान्तों का सम्बन्ध है कम से कम छः दृष्टान्त तो ऐसे हैं ही जिनमें कर अध्यादेश द्वारा लगाया गया था। भारतीय डाकघर संशोधन अध्यादेश, १९३५ एक था, लेकिन यह पुराने दिनों में जारी किया गया था। आय (श्रोत पर कटौती) पर भारतीय कर अध्यादेश, १९३५ तथा अतिरिक्त लाभ कर अध्यादेश, १९४३, भी जारी किये गये थे। इस संसद् के कार्यकाल में कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अध्यादेश, १९५३ जारी किया गया था। संविधान लागू होने से ठीक पहले यात्रियों पर उत्तर प्रदेश सीमा-कर अध्यादेश, १९५० जारी किया गया था जिसे हरिद्वार कुंभ मेला अध्यादेश भी कहते थे। एक ऐसा भी उदाहरण है जिसमें राज्य सरकार ने अध्यादेश द्वारा कर लगाया था।

मेरे कहने का आशय यह है कि प्रत्येक मामला, विशेष कर कपड़े पर उत्पादन शुल्क वाला मामला संसद् के सामने नहीं आया। जो सामग्री मेरे पास है कम से कम उसे देखने से तो यह पता नहीं लगता कि किसी ने भी इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि राष्ट्रपति किसी विशेष कार्य के लिये विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं।

यह है कानूनी स्थिति। कुंभ मेला सीमा-कर लगाये जाने के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं। अक्तूबर, १९५३ के अन्त में किसी समय

हमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने कुंभ मेले में होने वाले खर्चे के आधार पर कई सुझाव रखे थे। उसने लिखा था कि क्योंकि नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है इसलिये मेले के लिये उसे नया स्थान बनाना पड़ेगा तथा साथ ही वहां तक पहुचने के लिये भी नये रास्ते बनाने पड़ेंगे और इन सब बातों पर गत वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक रुपया व्यय करना होगा। अतएव, उसका पहला प्रस्ताव यह था कि खर्चे को पूरा करने के लिये केन्द्र भी कुछ रुपया दे।

उसका दूसरा प्रस्ताव यह था कि उसे अपने पुराने यात्री कर में, जो कि ऐसे ही काम के लिये प्रयोग में लाया गया था, वृद्धि करने दी जाये। उसने बतलाया कि पुराने कर के आधार पर दो या ढाई लाख रुपया प्राप्त होगा जो कि वर्तमान कार्य के लिये बिल्कुल अपर्याप्त होगा। अतः उसने यह सुझाव दिया कि हरिद्वार सीमा-कर, १९५० के समान ही सीमा-कर लगाने दिया जाये जिससे उसे लगभग १५ लाख रुपया प्राप्त हो जाने की आशा थी।

इसके बाद काफी समय इन प्रस्तावों के आने जाने तथा सोचने में निकल गया। वित्त मंत्रालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः अभिवेदन भेजे और उनका भी उत्तर देना पड़ा। इसके अलावा सीमा-कर के सम्बन्ध में हमने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ससाधनों को देखते हुये १२ या १३ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसने फिर विभिन्न प्रकार के अभिवेदन भेजे तथा दिसम्बर के अन्त तक, जब कि सदन स्थगित या सत्रावसान कर दिया गया था, यह निश्चय किया गया कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के सीमा-कर लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, विशेषकर, जब कि हमने उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी।

आप कह सकते हैं कि यह सब प्रशासनीय बिलम्ब था। मैं मानता हूं कि था मगर इस बात को भी तो ध्यान में रखना चाहिये कि सरकार के पास अनेक काम लगे रहते हैं, विशेषकर, यह संसदीय कार्य और इन सब बातों के रहते हुये यह कैसे आशा की जा सकती थी कि सरकार सब काम छोड़ कर इसी मामले में लग जाती जिससे इस कर के सम्बन्ध में सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता। तो यह है कच्चा चिटठा।

संसद् की सहमति से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्त मंत्री के मन में यह बात कभी नहीं उठ सकती थी कि सदन इस छोटे से कर के सम्बन्ध में कोई अनुदार दृष्टिकोण अपनायेगा, विशेषकर जबकि यही कर एक वर्ष पहले किसी विशिष्ट कार्य के लिये लगाया जा चुका था। आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्री विलम्ब किये जाने की बात को उत्तर प्रदेश सरकार पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि समस्त कार्यपालिकाएं एक सी हैं क्योंकि एक ही दल उन्हें चलाता है। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को ठीक से नहीं सोचा कि दोनों सरकारों के बीच पत्र व्यवहार ही में दो महीने से अधिक समय लग जायगा और इसीलिये उसे पत्र व्यवहार अक्तूबर के अन्त में आरम्भ करने की बजाय अगस्त के अन्त में आरम्भ करना चाहिये था। मैं इस बात को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे कारण हों जिनकी वजह से उसने यह प्रस्ताव पहले न रखने चाहे हों। हो सकता है कि नदी के मार्ग बदलने की स्थिति को पहले वहां के इंजीनियर न समझ सके हों और वे यह सलाह न दे पाये हों कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार के कार्य के किये जाने की

[श्री सी० डी० देशमुख]

आवश्यकता होगी। मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है कि नदी ने अपना मार्ग कहां और कैसे बदला।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : नदी ने अपना मार्ग पिछले वर्षाकाल के समाप्त होने पर ही बदलना आरम्भ कर दिया था।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सफाई देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें ३० अक्तूबर को पत्र प्राप्त हुआ था और सावधानी के कारण हमने आर्थिक सहायता देने से इंकार कर दिया था तथा इस बात पर भी तुरन्त ही सहमत नहीं हुए थे कि कर लगाया जाये। अतः यदि हमें इस बात को समझने में दो महीने लग जायें कि ऐसे कर के लगाये जाने की आवश्यकता है या नहीं तो यह कोई दण्डनीय अपराध नहीं है। इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में यही बातें हुई थीं।

मेरे पास अन्य अध्यादेशों के सम्बन्ध में भी सारी सूचना है परन्तु क्योंकि आपने यह कह दिया है कि यह समय अध्यादेशों के गुणों पर विचार करने का नहीं है इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं है। फिर भी मैं बार्सो लाइट रेलवे के सम्बन्ध में बनाये गये विधान का निर्देश करना चाहूंगा। इस विशेष मामले में, बार्सो लाइट रेलवे कम्पनी को, जो कि यूनाइटेड किंग्डम में पंजीबद्ध थी, १९ दिसम्बर, १९५२ को सूचित किया गया था कि भारत सरकार उस रेलवे को १ जनवरी, १९५४ को खरीद लेगी। श्रमिकों के हितों की रक्षा के हेतु सरकार ने कम्पनी को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह सरकार को इतनी राशि दे जिस से सरकार कर्मचारियों को उस अवधि के लिये उपदान तथा छुट्टी वेतन दे सके जितनी अवधि के लिये उन्होंने कम्पनी की नौकरी की है। यद्यपि कम्पनी इस प्रकार के भुगतान के सम्बन्ध में राशि देने के लिये तैयार हो गई किन्तु बाद में हमें पता लगा कि इंग्लैण्ड के कानून के अनुसार—हमारे कानून के अनुसार नहीं—हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि १ जनवरी, १९५४ को रेलवे खरीद ली जाने वाली थी और यदि इस प्रकार का निष्कारण भुगतान किया गया होता तो रेलवे के अंशधारी यूनाइटेड किंग्डम में आपत्ति उठा सकते थे। अपने श्रमिकों की रक्षा के हेतु—मैं जानता हूं कि देश के उस भाग से आने वाले माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता थी—हमने यही सबसे ठीक समझा कि हम एक अध्यादेश द्वारा स्थिति को संभाल लें और क्योंकि रेलवे १ जनवरी, १९५४ से खरीद ली जाने वाली थी इसलिये अध्यादेश जारी करने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं रह गया था। आप फिर यही कह सकते हैं कि कम्पनी के कानूनी अधिकारों के सम्बन्ध में पहले ही छानबीन क्यों नहीं कर ली गई थी। इस सम्बन्ध में मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता हूं कि प्रत्येक मंत्रालय में इसी प्रकार से बातें उठ खड़ी होती हैं। निश्चय किये जाते हैं और इसी तरह बातें उठ खड़ी होती हैं। कम्पनी से परामर्श किया जाता है। कुछ प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं और कुछ अस्वीकार कर दिये जाते हैं। आगे चल कर एक बात तय की जाती है और इस मामले में वह बात यह तय की गई थी कि कम्पनी अपनी निधि में से श्रमिकों को उपदान देने के लिये राशि देगी। जैसा कि मैंने पहले बतलाया यह बात दिसम्बर के अन्त में या बीच में तय हुई थी और हमें कानूनी स्थिति का पता लगाने में कुछ समय लग गया। अतएव,

इस मामले में भी, मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति जो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस अध्यादेश का जारी किया जाना सम्भवतः ठीक ही था। और इसीलिये मेरा यह कहना है कि जब तक हरेक मामले के बारे में पूरी जानकारी न हो, तब तक सामान्य बातें कहना सम्भव नहीं। असली चीज़ यह है कि कार्यपालिका की यह इच्छा नहीं है कि वह सदन की उपेक्षा करे परन्तु उसकी कठिनाई यह है कि वह पहले से हरेक बात या हरेक घटना को नहीं देख सकती। यह अवश्य है कि प्रशासनिक बातों में देर हो जाती है और भविष्य के बारे में भी ठीक अनुमान लगाने में गड़बड़ हो जाती है, परन्तु यह सब दोष ऐसे ह जिनसे किसी भी देश की कार्यपालिका बच नहीं सकती। जब कभी हम अपनी योजना के क्रियान्वित होने के बारे में कोई सन्देह प्रगट करते हैं तो हमारे दिमाग़ में उस वक्त यही बात होती है। यह एक ऐसा दोष है जिसे हटाना सम्भव नहीं। कोई व्यक्ति आसानी से यह नहीं कह सकता कि दोष कहां है और देर क्यों होती है। परन्तु मेरी यह धारणा है कि सदन प्रशासन सम्बन्धी विलम्ब पर या दूरदर्शिता के अभाव पर इतना ज़ोर नहीं दे रहा—यद्यपि उसे यह अधिकार है कि जहां कहीं भी सरकार दूरदर्शिता से काम ले सकती थी और उसने नहीं लिया हो वहां वह उस पर दोष लगाये—जितना वह अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका पर दुर्भावनाओं से कार्य करने का आरोप लगा रहा है। परन्तु मैं इन आरोपों का उत्तर देन के लिये तैयार हूं। मैं यह कहूंगा कि हरेक मामले में पूरी तरह से सोच विचार कर लिया गया था क्योंकि कार्यपालिका भी अब अच्छी तरह यह जानने लगी है कि विधान मंडल अध्यादेशों के प्रख्यापन को किस दृष्टि से देखता है; और मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब कभी कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो बहुत अच्छी तरह से विचार करने के बाद ही ऐसा किया जाता है। इसलिये, मुझे ऐसा लगता है कि इस चर्चा का उद्देश्य एक तरह से यह कहना ह कि कार्यपालिका कुछ अयोग्य है। मेरा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर दूसरे तरीक़े से विचार होना चाहिये, इस विषय पर चर्चा करना कि कुछ अध्यादेश उचित थे या नहीं या यह कहना कि कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने की आदत सी पड़ गई है, ठीक नहीं मालूम होता।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों के उस सुझाव का ज़िक्र करूंगा जिसमें कहा गया है कि गण तन्त्र स्थापित होने के समय से जितने अध्यादेश जारी हुए हैं उनकी जांच करने के लिये यदि संसद एक समिति बिठा दे तो अच्छा होगा। (**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं) वास्तव में एक माननीय सदस्य ने मुझे से यह मांग की स्वतन्त्रता के बाद से जितने अध्यादेश निकाले गये हैं, वे सब प्रस्तुत किये जायें। मेरे लिये ऐसा करना संभव नहीं। मेरे पास वे सब अध्यादेश हैं जिन्हें पिछले विश्रान्ति काल में जारी किया था; परन्तु मैं समझता हूं कि इन सब पुराने अध्यादेशों पर इस समय विचार करना सदन का समय और श्रम नष्ट करना होगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इन अध्यादेशों को क़ानून का रूप देते समय संसद् को लगभग प्रत्येक अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका के परामर्श के अनुसार संविधान के अनुच्छेद १२३ में दी गई अपनी शक्तियों की, ठीक या ग़लत तरीक़े से प्रयोग करने के विषय पर अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा मौक़ा मिला है। जहां तक इस विशेष अध्यादेश का सम्बन्ध है, जिसके लिये विधान मंडल को बहस करने का मौक़ा नहीं था, यह मेला उत्तर प्रदेश, सरकार के अनुसार, दिसम्बर में शरू होना था।

कुछ माननीय सदस्य : जनवरी में।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे तो ऐसा ही बताया गया है। मेले के पहली दिसम्बर से पन्द्रह मार्च तक चलने की आशा थी।

एक माननीय सदस्य : आपको ठीक सूचना नहीं दी गई।

श्री सी० डी० देशमुख : हो सकता है उन्हें गलत सूचना मिली हो या यह भी हो सकता है कि लोग मेले में समय से बहुत पहले आने लग गये हों। जो कुछ भी हो, हमने इसे जितनी जल्दी हम अध्यादेश जारी कर सकते थे उतनी ही जल्दी यानी ७ जनवरी से ही क्रियान्वित कर दिया था। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यू० पी० सरकार ने जब हमें बताया कि १५ मार्च को मेला खत्म हो जायेगा तो हम इस बात पर राज़ी हो गये थे कि सदन-कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श करके हम सदन में आवश्यक विधान पारित कर लेंगे। इसलिये यह स्पष्ट है कि अध्यादेश की अवधि १५ मार्च रख कर हमने सदन से किसी बात के छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। यही हुआ भी कि मेला १५ मार्च को खत्म हो रहा है और सदन के सत्र की तारीख भी १५ फ़रवरी रखी गई; इस प्रकार बीच का अन्तर चार सप्ताह होता है, छः नहीं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो सबसे पहले मैं सदन के सामने यह विधान लाता और उसका निर्णय प्राप्त करता। मुझे केवल इतना ही कहना है।

डा० काटजू : मेरे माननीय कार्यबन्धु ने वित्तीय अध्यादेशों के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखीं। इन तीन-चार मिनटों में मैं आपसे स्थिति पर सामान्य दृष्टिकोण से विचार करने के लिये कहूंगा। माननीय सदस्यों ने कई तरह से और कई विषयों पर जैसे प्रजातंत्र, संसद आदि पर अपने विचार प्रगट किये और उनकी आलोचना की। मेरे माननीय मित्र, श्री भार्गव ने प्रेस अधिनियम का तीव्र विरोध किया। मुझे इसके बारे में कोई पछतावा नहीं और मेरा अन्तःकरण शुद्ध है। यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था परन्तु सदन अन्य विधानों में बहुत व्यस्त था: फिर वैदेशिक मामलों, अनुसूचित जातियों आदि पर भी वाद विवाद हुआ था। मैंने स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि चूंकि विधेयक पर विचार नहीं किया जा रहा है इसलिये मुझे एक अध्यादेश जारी करवाना होगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं—क्या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के बारे में इस प्रश्न पर, कि अमुक विषय में तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं, परामर्श देने की ज़िम्मेदारी इस सरकार या अन्य सरकार के अलावा किसी और की भी होनी चाहिय ? या यह ज़िम्मेदारी केवल सरकार की ही होनी चाहिये ? आप ज़रा इस विषय पर विचार करें और सोचें कि असल में क्या चीज़ ठीक है।

फिर, एक सुझाव यह दिया गया कि अब तक के सारे अध्यादेशों की नये सिरे से जांच की जाये और दूसरे यह कि अध्यादेश जारी करने से पहले सरकार को यह परामर्श देने के लिये कि अध्यादेश जारी करने की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं सारे सदन की एक समिति बनाई जाये। मैं नहीं जानता कि सारे सदन की समिति कैसी होगी।

डा० कृष्णस्वामी : सदन की समिति।

डा० काटजू : मैंने समझा आप 'सारे सदन की' कह रहे हैं। भारत के विभिन्न भागों से सदन की समिति बुलाने में पन्द्रह-बीस दिन लग सकते हैं और तब जाकर वह किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। मेरा कहना यह है कि यह कार्य कार्यपालिका सरकार का है कि वह इस चीज़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर

ले। आप देखिये कि वास्तव में क्या हुआ। जैसा श्री भार्गव ने कहा संविधान बनाने वालों ने जान बूझ कर यह उपबन्ध रखा था। उन्होंने कहा कि ज्यों ही संसद की बैठक हो, अध्यादेश सदन पटल पर रखे जायें। प्रेस अधिनियम अध्यादेश या किसी अन्य अध्यादेश को लीजिये। संविधान क्या कहता है। यह संसद की इच्छा पर है कि वह चाहे तो दूसरे दिन भी एक प्रस्ताव रख कर उस विशेष अध्यादेश का निरनुमोदन कर सकती है। इस सदन की बैठक १५ तारीख को हुई थी और मान लीजिये वह किसी अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करता तो अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत आप एक प्रस्ताव रख सकते हैं और कह सकते हैं कि यह अध्यादेश बिल्कुल अनावश्यक है; इसके लिये कोई औचित्य नहीं था; तात्कालिक कार्यवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यह एक बिल्कुल निरंकुश कार्यवाही है; सरकार अपनी शक्ति के नशे में चूर है और वह संसद् की उपेक्षा करना चाहती है, इसलिये हम इन अध्यादेशों का निरनुमोदन करना चाहते हैं। वे आपके पास आकर कह सकते थे कि यह एक बहुत ज़रूरी मामला है और आप सारे कार्य संचालन नियम अलग करके हमारे प्रस्ताव को ले लें और उस पर बहस करें। १७ फ़रवरी को सारी बातों पर विचार हो सकता है। यह अध्यादेश कोई दो या तीन वर्ष के लिये तो है नहीं। यह बात तो है नहीं कि कार्यपालिका सरकार संसद् को अलग करके कोई अधिनियम बना रही है। कार्यपालिका अपनी बुद्धि को काम में लाती है और जहां तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है वहां कदम उठाती है। फिर संसद् मौजूद है, ज्यों ही उसकी बैठक होती है अध्यादेश पटल पर रख दिये जाते हैं; तब सदस्यों को उसका निरनुमोदन करने का अवसर मिलता है और वे चाहें तो अविश्वास के प्रस्ताव पर भी बहस कर सकते हैं। फिर अभिभाषण पर वाद विवाद होता है और वे कह सकते हैं कि यह सरकार जल्दबाज़ी से काम कर रही है और हम लोगों की कोई परवा नहीं करती। तो ये मामूली तरीक़े हैं जिससे संसदीय प्रजातंत्र का कार्य चलता है; केवल कह देने से काम नहीं चलता कि अध्यादेश एक घृणात्मक शब्द है और इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिये आप संविधान में संशोधन कीजिये; आप यह व्यवस्था कर दें विधायिनी शक्ति केवल संसद् में ही हो, कार्यपालिका सरकार में न हो। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु जब तक यह संविधान है, तब तक कार्यपालिका सरकार के यह उत्तरदायित्व रहे आयेंगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रख कर स्थिति पर विचार करें। प्रेस विधेयक ३१ जनवरी, १९५४ को समाप्त होना था। दिसम्बर में एक विधेयक अवधि बढ़ाने के लिये लाया गया था। हमने प्रतीक्षा की परन्तु सदन अन्य कार्यों में व्यस्त था। मैंने सदन को सूचना दे दी थी जब माननीय डा० लंका सुन्दरम् ने....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को एक बात बता दूं। सदन कार्य मंत्रणा समिति ने जब संसद् काय मंत्री से उन विधेयकों की सूची मांगी थी जो विचाराधीन थे और जिन्हें सरकार पुरःस्थापित करना चाहती थी तब इस विधेयक की सूचना नहीं दी गई थी।

डा० काटजू : बहुत अच्छा, श्रीमान् मैं अपनी ग़लती सुधारता हूं। परन्तु इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता। हम इस विषय पर आगे वाद विवाद करेंगे। प्रेस विधेयक का सूची में तीसरा स्थान है। मैं सब तरफ की बातें सुनने के लिये तैयार हूं। मेरे पास समाचार-पत्रों की कटिंग है। आप ही सोचिये कि कौन सी मुसीबत आई है? मूल प्रेस अधिनियम ३१ जनवरी को समाप्त होना था। सदन का सत्र नहीं हो रहा था और हमने

[डा० काटजू]

केवल यह कहा था कि विधेयक मौजूद ही है और हम यह नहीं चाहते कि सिलसिला बीच में तोड़ दिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि प्रेस क्या कर सकता है और क्या नहीं। चूंकि हम नहीं चाहते थे कि सिलसिला बीच में टूटे इसलिये हमने कहा कि अध्यादेश जारी किया जाये चूंकि संसद् की बैठक १५ फ़रवरी को होगी ही और सबसे पहले यह विषय विचार के लिये आयेगा, इसलिये इन २४ दिनों या महीने भर के लिये अध्यादेश जारी कर दिया जाये।

श्रीमान्, मुझे इतना ही कहना है। यह संसद् की और आम लोगों की इच्छा पर है कि वे चाहें तो संविधान में संशोधन करने का फ़ैसला कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार से यह शक्ति ले ली जाये। परन्तु यदि वे इसे देना चाहते हैं तो यह एक बहुत अनुचित चीज़ होगी कि उनकी ज़िम्मेदारी में किसी और को भी शामिल किया जाये। कार्यपालिका सरकार को इस शक्ति के प्रयोग के लिये पूरी तरह उत्तरदायी होना चाहिये। हो सकता है कि चौबीस घंटे या अड़तालीस घंटे में ही किसी अध्यादेश की ज़रूरत पड़ जाये। दूसरे वर्त्तमान संविधान में संसद् को किसी कार्य का अनुमोदन या निरनुमोदन करने का और सरकार की निन्दा करने का भी पूरा पूरा अधिकार है। और आपको क्या चाहिये? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना।

अध्यक्ष महोदय : आज की बैठक समाप्त होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १७ फरवरी १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD HS—69 P.S.D—5-5-54—285